# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

# वार्षिक प्रतिवेदन

# 2009-10

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

# वार्षिक प्रतिवेदन

# 2009–10


**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरु मार्ग

(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002

दूरभाष : +91-11-2323 3466, 2322 0534, 2321 3223, 2323 6308

फैक्स नं0: +91-11-2321 3294

ई-मेल : ap@trai.gov.in

वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

# संप्रेषण पत्र

**माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के तेरहवें वार्षिक प्रतिवेदन को संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखे जाने के लिए भेजते हुए मुझे प्रसन्नता है। यह प्रतिवेदन वर्ष 2009–10 के लिए है। इस प्रतिवेदन में वह सूचना सम्मिलित है जो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।

इस प्रतिवेदन में दूरसंचार क्षेत्र का विहंगावलोकन तथा उन विनियामक मुद्दों पर भादूविप्रा द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश निहित है जो अधिनियम के अधीन इसे अधिदेशित कृत्यों से विशिष्ट संदर्भ रखते हैं। प्राधिकरण के लेखाओं का लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण भी प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

**(डा0 जे0एस0 शर्मा)**
**अध्यक्ष**

दिनांक : 09 नवम्बर, 2010

# विषय सूची


| क्रमांक | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | विहंगावलोकन | 1–12 |
| | **भाग–एक** | |
| | **नीतियां तथा कार्यक्रम (अनुबंधों सहित)** | |
| क. | दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा | 13–22 |
| ख. | नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा | 23–40 |
| | भाग–एक के अनुबंध | 41–52 |
| | **भाग–दो** | |
| | **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण और प्रचालन की समीक्षा** | 53–72 |
| | **भाग–तीन** | |
| | **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कृत्य** | 73–98 |
| | **भाग–चार** | |
| | **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन** | |
| क. | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले | 99–108 |
| ख. | भादूविप्रा के वर्ष 2009–2010 के लेखापरीक्षित लेखे | 109–138 |
| ग. | भादूविप्रा अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2009–2010 के लेखापरीक्षित लेखे | 139–160 |
| | **इस संकलन में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची** | 161–163 |

# विहंगावलोकन

## (I) मिशन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) का मिशन है यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो रहा है तथा साथ–ही–साथ देश में दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास के लिए ऐसे तरीके और ऐसी गति से परिस्थितियां संपोषित करना जिनसे भारत उभरते विश्व सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ हो सके।

## (II) लक्ष्य और उद्देश्य

2. भादूविप्रा के लक्ष्य और उद्देश्यों की दिशा और केन्द्रबिंदु, नई दूरसंचार नीति 1999 के उद्देश्यों की प्राप्ति को आसान बनाने वाली विनियामक व्यवस्था का निर्माण करना है। भादूविप्रा के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

- देश में टेलीघनत्व बढ़ाना और वहन किए जा सकने वाले मूल्यों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना,
- विस्तार, मूल्य एवं गुणवत्ता की दृष्टि से, विश्व की श्रेष्ठतम दूरसंचार सेवाओं के समान सेवाएं उपलब्ध कराना,
- न्यायोचित और पारदर्शी नीति का वातावरण बनाना जिससे समान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र को बढ़ावा मिले और पर उचित प्रतिस्पर्धा मुहैया हो,
- उचित, पारदर्शी, त्वरित तथा साम्यतापूर्ण अंतरसंयोजन वाली अंतरसंयोजन व्यवस्था की स्थापना करना।
- टैरिफों का पुनः संतुलन करना ताकि, उपभोक्ताओं की वहनशीलता और साथ ही प्रचालक की अर्थक्षमता के उद्देश्यों की निरन्तर आधार पर पूर्ति हो।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और सेवा की उपलब्धता, मूल्य एवं सेवा गुणवत्ता और अन्य मामलों से जुड़ी ग्राहकों की आम समस्याओं का समाधान करना,
- विभिन्न प्रचालकों द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करना।

- सुदूर और ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सेवाएं पहुँचे और दूरसंचार प्रचालक सार्वभौमिक सेवा दायित्त्व को निभाएं इसके लिए निवल लागत क्षेत्रों/सार्वजनिक टेलीफोनों के वित्त–पोषण हेतु एक तंत्र की व्यवस्था करना,
- सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के अभिसरण के युग में, निर्बाध प्रवेश का आधार तैयार करना,
- वाणिज्यिक तथा गैर–वाणिज्यिक चैनलों के जरिए भारत में रेडियो कवरेज के विकास को बढ़ाना,
- टीवी चैनल प्राप्त करने के संबंध में उपभोक्ताओं के विकल्प बढ़ाना और टेलीविजन तथा अन्य सम्बद्ध सुविधाएं कौन सा ऑपरेटर प्रदान करेगा इसका चुनाव करने का विकल्प प्रदान करना।

## (III) संगठन

3. दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपर्युक्त नाम द्वारा निगमित एक निकाय है, जिसके पास उत्तरोत्तर उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा है, और भादूविप्रा अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन चल एवं अचल, दोनों ही प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने व निपटान करने तथा उसका अनुबंध करने की शक्ति प्राप्त है तथा वह उक्त नाम से वाद कर सकेगा अथवा उस पर वाद किया जा सकेगा। प्राधिकरण में शामिल है – एक अध्यक्ष तथा दो से अनधिक पूर्णकालिक सदस्य तथा दो से अनधिक अंशकालिक सदस्य, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

4. सचिव भादूविप्रा सचिवालय के प्रमुख हैं जो दस कार्यात्मक प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। मोबाइल नेटवर्क, अंतरसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क, कन्वर्ज्ड एवं आईटी, सेवा गुणवत्ता, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आर्थिक विनियम, वित्त विश्लेषण एवं आईएफए, विधि, विनियामक प्रवर्त्तन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा प्रशासन एवं कार्मिक।

### मोबाइल नेटवर्क (एमएन) प्रभाग

5. एमएन प्रभाग मोबाइल प्रचालकों को जारी विभिन्न लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों के कार्यान्वयन; मोबाइल सेवा के विविध मुद्दों/पहलुओं से संबंधित सिफारिशों; सार्वभौमिक सेवा दायित्वों से संबंधित मामलों का अनुपालन सुनिश्चित करने

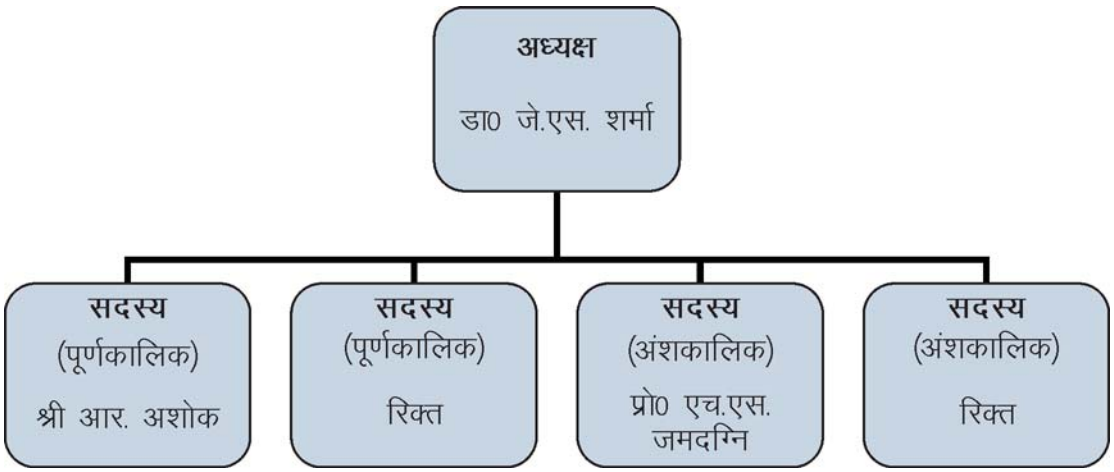

तथा दूरसंचार सेवाओं के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम के प्रभावी प्रबंधन और मोबाइल सेवाओं से संबंधित तिमाही पीएमआर तैयार करने से संबंधित मामलों का निपटान करता है।

### अंतरसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क (आई एंड एफएन) प्रभाग

6. आई एंड एफएन प्रभाग अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार, एक्सेस डेफिसिट प्रभार का निर्धारण तथा उसकी नियमित समीक्षा; बुनियादी, एनएलडी और आईएलडी सेवाओं की लाइसेंस शर्तों के अनुपालन की मॉनीटरिंग तथा सभी अंतरसंयोजन मामलों के निपटान; फिक्सड लाइन सेवाओं से संबंधित तिमाही पीएमआर; अंतरसंयोजन के निबंधन और शर्तों का नियतन तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। आई एंड एफएन प्रभाग एन.जी.एन. और 3जी में अंतरसंयोजन से संबंधित मुद्दों की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

### कन्वर्ज्ड नेटवर्क एवं आईटी (सीएन एंड आईटी) प्रभाग

7. सीएन एवं आईटी प्रभाग दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में कन्वर्जेंस से संबंधित तकनीकी मुद्दों के निपटान के लिए उत्तरदायी है। सीएन एंड आईटी प्रभाग इंटरनेट, इंटरनेट टेलीफोनी एवं वीओआईपी, ब्रॉडबैंड, आईपीवी 6, सीयूजी तथा आईपी–II सेग्मेंट और आवधिक आधार पर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की वृद्धि सहित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के निष्पादन की निगरानी से संबंधित मुद्दों का भी निपटान करता है।

### सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रभाग

8. सेवा गुणवत्ता प्रभाग सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने; सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करने के लिए उत्तरदायी है ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। सेवा गुणवत्ता प्रभाग अंतरसंयोजन करारों का रजिस्टर अनुरक्षित करने तथा ऐसे अन्य सभी मामलों का निपटान करने के लिए भी उत्तरदायी है जो विनियम में उपबंधित किए जाएं। सेवा गुणवत्ता प्रभाग रेडियो पेजिंग, पीएमआरटीएस तथा वीएसएटी सेवा से संबंधित मामलों का भी निपटान करता है। सामान्य उपभोक्ता शिकायतें भी सेवा गुणवत्ता प्रभाग को सौंपी गई हैं।

### प्रसारण और केबल सेवाएं (बी एंड सीएस) प्रभाग

9. प्रसारण एंड केबल सेवाएं प्रभाग प्रसारण और केबल सेवाओं से संबंधित अंतरसंयोजन, टैरिफ, सेवा गुणवत्ता, लाइसेंसिंग मुद्दों की मॉनीटरिंग; प्रसारण सेवाओं के आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों के परीक्षण तथा नई प्रसारण सेवाओं की शुरूआत; शिकायतों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

### आर्थिक विनियमन (ईआर) प्रभाग

10. आर्थिक विनियमन प्रभाग प्राधिकरण को समय–समय पर दूरसंचार सेवाओं के लिए उपयुक्त टैरिफ नीति तैयार करने; भारत में ऐसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का नियतन करने से संबंधित मामलों

में परामर्श देता है, जो टैरिफ विनियमन के अधीन हैं, जिनमें शामिल हैं घरेलू लीज्ड सर्किटों, अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज्ड सर्किटों और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं में राष्ट्रीय रोमिंग के लिए टैरिफ। आर्थिक विनियमन प्रभाग प्राधिकरण को लागत आधारित अंतरसंयोजन प्रभारों के निर्धारण से संबंधित मामलों पर तथा भारत में दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न सेग्मेंटों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों पर भी परामर्श देता है। यह प्रभाग "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतन रिपोर्ट" का भी संकलन करता है तथा इसे तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है।

### वित्त विश्लेषण (एफए) प्रभाग

11. एफए प्रभाग दूरसंचार सेवाओं की लागत क्रियाविधियों तथा लागतों से संबंधित सभी पहलुओं, लेखांकन पृथकीकरण, और सेवा प्रदाताओं के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण आदि के लिए उत्तरदायी है। प्रधान सलाहकार (एफए) भादूविप्रा की आंतरिक वित्तीय सलाहकार भी हैं तथा वे सभी वित्तीय मामलों, आय एवं व्यय लेखाओं, वित्तीय लेखापरीक्षा तथा वित्तीय संव्यवहारों की प्रतिभूति से संबंधित मामलों पर प्राधिकरण को सलाह देती हैं।

### विधि प्रभाग

12. विधि प्रभाग सभी विनियामक मामलों पर प्राधिकरण को विधिक सलाह प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। प्रभाग उन सभी वाद के मामलों का प्रबंधन करता है, जिनमें भादूविप्रा एक पक्ष होता है।

### प्रशासन एवं कार्मिक (ए एंड पी) प्रभाग

13. प्रशासन एवं कार्मिक प्रभाग नियुक्तियों, स्थापना मामलों, प्रशिक्षण, प्रेस विज्ञप्तियों, सम्मेलनों, ओपन हाउस चर्चाओं आदि की समग्र आयोजना एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी है। सलाहकार (प्र0 एवं का0) प्रबंधन प्रतिनिधि की अपनी क्षमता में भादूविप्रा में आईएसओ 9001 : 2000 के अंतर्गत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रबंधन समीक्षा संचालित और समन्वित करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

### विनियामक प्रवर्त्तन और अंतरराष्ट्रीय संबंध (आरई एंड आईआर) प्रभाग

14. विनियामक प्रवर्त्तन और अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभाग भादूविप्रा द्वारा जारी सभी विनियमों/निदेशों/आदेशों के प्रवर्त्तन के लिए उत्तरदायी है। आई एंड आईआर प्रभाग अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भी निपटान करता है जिसमें सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों/निकायों अर्थात, आईटीयू, एपीटी, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, एडीबी, एसएटीआरसी, ओईसीडी शामिल हैं तथा अंतरराष्ट्रीय विनियामक निकायों के साथ समन्वय शामिल है।

## (IV) कार्यकलापों का विहंगावलोकन

### (क) दूरसंचार क्षेत्र

#### दूरसंचार आंकड़े

15. भारत में दूरसंचार क्षेत्र विश्व में उच्चतम विकास दर का साक्षी रहा है तथा यह प्रवृत्ति रिपोर्ट के वर्ष के दौरान भी जारी रही। सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि विशेष रूप से मोबाइल टेलीफोनी में अभूतपूर्व वृद्धि द्वारा हुई है। यह वृद्धि इस बात पर विचार करते हुए विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस अवधि के दौरान समूचा विश्व

वैश्विक आर्थिक गिरावट तथा मंदी की प्रवृत्तियों द्वारा प्रभावित था। यह उच्च विकास दर सेवा प्रदाताओं की अभिनव एवं निम्न टैरिफ वाले प्लानों की पेशकश द्वारा हासिल की गई है। इस विकास ने सब्सक्राइबर आधार का तेजी से विस्तार किया है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक संचार के व्यापक प्रावधान के लिए मार्ग प्रशस्त किया है तथा सेवाओं और उपस्करों की बिक्री में वृद्धि के जरिए सरकार के राजस्व को अत्यधिक ठोस बल प्रदान किया है।

16. वित्तीय वर्ष 2009–10 की समाप्ति पर समग्र टेलीफोन कनेक्शन आंकड़े 621.28 मिलियन थे। इसमें से वायरलैस सब्सक्राइबर एक वर्ष पूर्व के 391.76 मिलियन की तुलना में 584.32 मिलियन थे। वर्ष–दर–वर्ष विकास 192.56 मिलियन अर्थात 49.15 प्रतिशत था। ग्रामीण बाजार पिछले वर्ष में 111.63 मिलियन की तुलना में 190.88 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गया जिसमें सीडीएमए शामिल नहीं है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 71 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। यह सूचित किया गया है कि आज कुल सब्सक्राइबरों में से 32.67 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वायरलाइन कनेक्शनों की कुल संख्या 36.96 मिलियन थी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 9.93 मिलियन थी। पिछले कुछ वर्षों में वायरलाइन सेगमेंट स्थिर रहा है अथवा गिर रहा है परंतु इसका एक सकारात्मक पहलू यह है कि यह गिरावट –3.69 प्रतिशत से कम होकर –2.65 प्रतिशत हो गई है। पिछले वर्ष के दौरान, हालांकि बीएसएनएल और एमटीएनएल ने गिरावट दर्ज की है, निजी प्रचालकों ने संयुक्त रूप से 11.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिसमें 5.04 मिलियन से 5.62 मिलियन कनेक्शनों की वृद्धि हुई। पिछले दशक के दौरान सब्सक्राइबर आधार (2000–2010) की वृद्धि को नीचे दर्शाया गया है।

**वर्ष 2000 से 2010 तक सब्सक्राइबर आधार की वृद्धि (मिलियन में)**

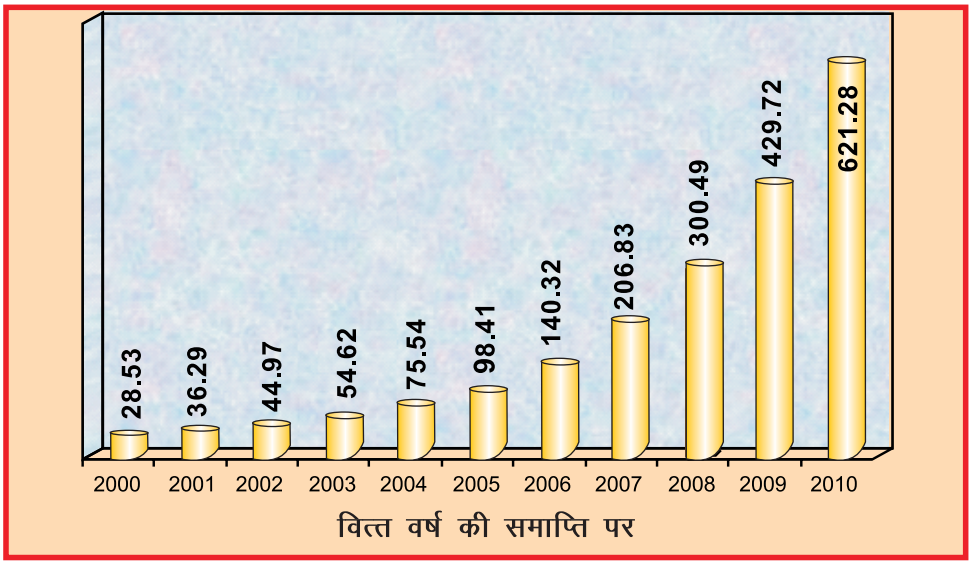

## वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- 31 मार्च 2010 को कुल वायरलैस सब्सक्राइबर आधार {जीएसएम, सीडीएमए और डब्ल्यूएलएल (एफ)} 584.32 मिलियन था।
- 31 मार्च 2010 को वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या 36.96 मिलियन थी।
- वित्त वर्ष के दौरान प्रति माह औसतन लगभग 15 मिलियन से अधिक टेलीफोन सब्सक्राइबरों की वृद्धि हुई।
- 31 मार्च 2010 को देश में पीसीओ की कुल संख्या 4.59 मिलियन और वीपीटी की संख्या 0.58 मिलियन थी।
- मार्च 2009 की समाप्ति पर 36.98 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2010 के अंत में समग्र टेलीघनत्व 52.74 प्रतिशत था।
- मार्च 2009 की समाप्ति पर 14.93 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2010 की समाप्ति पर ग्रामीण टेलीघनत्व 24.29 प्रतिशत था
- 31 मार्च 2009 के 13.54 मिलियन की तुलना में 31 मार्च 2010 को इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या 16.18 मिलियन थी।
- उपर्युक्त इंटरनेट सब्सक्राइबरों के अलावा, 117.87 मिलियन वायरलैस डाटा सब्सक्राइबर ऐसे हैं, जो वायरलैस (जीएसएम और सीडीएमए) नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं।
- 31 मार्च 2010 को ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 31 मार्च 2009 के 6.22 मिलियन की तुलना में 8.77 मिलियन थी।

17. आंकड़ों के क्षेत्र में भी सौम्य वृद्धि हुई है। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार 6.22 मिलियन से बढ़कर 8.77 मिलियन हो गया तथा इंटरनेट सब्सक्राइबर 13.54 मिलियन से 16.18 मिलियन हो गए। इंटरनेट टेलीफोनी का सकल उपयोग 122.96 मिलियन मिनट था।

### टैरिफ

18. भादूविप्रा ने स्वयं को बाजार के माइक्रो प्रबंधन में स्वयं को शामिल न करने अथवा हस्तक्षेपी आर्थिक विनियमन बनाए रखने के अपने दृष्टिकोण को जारी रखा जिसने उद्योग को ऐसी रीति से विकसित होने की अनुमति प्रदान की जिसका राष्ट्र के लिए अधिकतम लाभ हुआ। परिणामी प्रतिस्पर्धा ने बाजार को उपभोक्ताओं के व्यापक आधार के लाभ को बनाए रखने के लिए निम्न टैरिफ अवधारित किए। भादूविप्रा की नीतियों ने सेवा प्रदाताओं को अभिनव प्लान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जो सभी सेगमेंटों और प्रयोग प्रोफाइलों के अनुकूल थे। प्रीपेड प्लान लोकप्रियता के साथ निरंतर विकास करते रहे तथा वे समस्त सब्सक्राइबरों का लगभग 96 प्रतिशत हैं। सब्सक्राइबर को आजीवन प्लानों में प्रतिबद्ध टैरिफ, सामान्य प्लानों में 6 माह के लिए तथा उस समय भी संरक्षण प्रदान किया गया है, यदि सेवा प्रदाता कुछ प्लानों को समाप्त कर देते हैं। अनेक नए प्लेयरों के इस वर्ष प्रवेश ने पहले से ही प्रतिस्पर्धी

मोबाइल टेलीफोनी बाजार को और भी गरमा दिया है। नए प्लेयर बाजार में अपने पांव जमाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर, इंकम्बेंट प्रचालक बाजार हिस्से की क्षति को रोकने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। इस वर्ष एक प्रमुख टैरिफ संबंधी गतिविधि प्रति सेकण्ड बिलिंग की शुरूआत रही है। जून, 2009 माह में एक नए जीएसएम प्रचालक ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में तेजी के साथ बाजार हिस्से का निर्माण करने के लिए एक कार्यनीति के रूप में प्रति सेकण्ड बिलिंग की शुरूआत की। इसे सब्सक्राइबरों द्वारा काफी पसंद किया गया जिसके परिणामस्वरूप अन्य प्रतिस्पर्धियों ने भी उसी तरीके से उसका उत्तर दिया। कुछ ही माह की अवधि में, लगभग सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने एक अथवा अन्य रूप में मोबाइल सब्सक्राइबरों के लिए सेकेण्ड आधारित टैरिफ प्लान शुरू कर दिए।

## राजस्व

19. वर्ष 2009–10 के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्र का सकल राजस्व 1,57,985 करोड़ रु0 था जो बाजार में अभूतपूर्व मंदी होने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.7 प्रतिशत की वृद्धि है। पूर्ण गतिशील सेवा हेतु जीएसएम के लिए औसत राजस्व प्रति प्रयोक्ता (आरआरपीयू) 131 रु0 तथा सीडीएमए के लिए 76 रु0 प्रति माह था जबकि संबंधित प्रयोग के मिनट 410 और 307 थे।

## विनियामक हस्तक्षेप

20. भादूविप्रा ने देश में स्पेक्ट्रम प्रबंधन के ढांचे तथा कुछ लाइसेंसिंग शर्तों की समीक्षा की आवश्यकता पर एक विस्तृत अध्ययन किया। एक परामर्श–पत्र जारी किया गया, पणधारकों और विशेषज्ञों, जो उद्योग एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में से थे, के साथ चर्चाओं के अनके चक्र आयोजित किए गए ताकि ऐसी सिफारिशें तैयार की जा सकें जो इस गतिशील क्षेत्र के समग्र विकास को आगे और बल प्रदान कर सकें। सिफारिशों में मुद्दों की विशाल श्रृंखला को शामिल किया गया था जिसमें स्पेक्ट्रम आवश्यकता और उपलब्धता, सेवा प्रदाताओं की संख्या पर सीमा लगाना, लाइसेंस में प्रतिबद्ध स्पेक्ट्रम की मात्रा, क्रियान्वयन दायित्व, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का निपटान, स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से डी–लिंक करना, स्पेक्ट्रम निर्दिष्टीकरण तथा स्पेक्ट्रम समेकन के उपायों को सुकर बनाने के लिए मूल्य–निर्धारण शामिल थे। इन्हें मई 2010 में दूरसंचार विभाग को प्रेषित किया गया।

21. वर्ष के दौरान, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के सभी प्रासंगिक पहलुओं जैसे मोबाइल टेलीफोन नम्बरों की पोर्टिंग के लिए स्पष्ट पात्रता शर्तें निर्धारित करना, विभिन्न पणधारकों के अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित करना, नम्बर पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण की श्रृंखला में प्रत्येक प्लेयर द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति निर्धारित करना, आदि के लिए विनियामक ढांचे को स्थापित किया गया। दूरसंचार विभाग द्वारा दो जोनों में (प्रत्येक में 11 सर्किल) एमएनपी सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस जारी किए गए। भादूविप्रा ने पोर्टिंग प्रभार अधिसूचित किए जिन्हें सब्सक्राइबरों से उद्ग्रहित किया जाना था तथा प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार

19/–रु0 पर नियत किए। देश में कैरियर चयन पर व्यापक बहस छिड़ गई। एक नवीकृत परामर्श के पश्चात, भादूविप्रा ने अगस्त, 2008 में अनुशंसा की कि एनएलडी/आईएलडी को कॉलिंग कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी जाए ताकि सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं के सब्सक्राइबर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कॉलों को करते समय उनके लंबी दूरी के कैरियर चुन सकें। सिफारिशें स्वीकार ली गई हैं तथा लाइसेंस शर्तों को तदनुसार संशोधित कर दिया गया। उपभोक्ताओं के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंटेलीजेंट नेटवर्क विनियमों में संशोधन किए जा रहे हैं।

22. भादूविप्रा ने फिक्सड नेटवर्कों के अनुरक्षण की दिशा में कार्य किया है जोकि देश में ब्रॉडबैंड की पैठ के लिए मुख्य धारा है। एडीसी प्रणाली को समाप्त करते समय, भादूविप्रा ने प्रस्ताव किया था कि फिक्सड लाइन कनेक्शनों के अनुरक्षण के लिए यूएसओएफ से 3 वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 2000 करोड़ रु0 की सहायता प्रदान की जाए। यह दूसरा वर्ष चल रहा है तथा कॉपर पर ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या मार्च, 2009 में 5.36 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2010 में 7.60 मिलियन हो गई है जो समग्र वृद्धि का 41.7 प्रतिशत है।

23. विभिन्न नेटवर्कों के बीच अंतरसंयोजन भादूविप्रा के ध्यान में निरंतर बना रहा तथा भादूविप्रा ने दूरसंचार प्रचालकों और उपभोक्तओं के लाभ के लिए दूरसंचार प्रचालकों के मध्य सहायक अंतरसंयोजन परिवेश बनाने के लिए कड़ा कार्य किया है। भादूविप्रा की अंतरसंयोजन उपयोग प्रणाली (आईयूसी) अत्यंत सुकर ढंग से कार्य कर रही है। लागत आधारित घरेलू फिक्सड तथा मोबाइल समापन प्रभारों ने प्रतिस्पर्धा एवं ग्राहक कल्याण में सहायता की है। उच्च अंतरराष्ट्रीय समापन ने देश में निधि के अंतर्प्रवाह को उच्च बनाया है।

24. इस बढ़ती हुई धारणा पर ध्यान देते हुए कि आप्टिकल फाइबर आधार और एक्सेस वास्तविक ब्रॉडबैंड अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण होंगे, भादूविप्रा ने गांवों तक फाइबर ले जाने के मुद्दे पर विचार किया। ग्रामीण क्षेत्र को यदि अधिक नहीं, तो भी टेलीमेडीसन, टेली–शिक्षा, ई–कॉमर्स, ई–शासन के लिए शहरी क्षेत्र के समान ही बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी जो बुनियादी अवसंरचना से वंचित लोगों के लिए एक आवश्यकता होगी। इस विचार की व्यापक रूप से प्रंशसा की गई है।

## सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता मामले

25. कुछ विद्यमान मापदण्डों को समाप्त करने अथवा उनमें आशोधन करने तथा साथ ही कुछ नए मापदण्डों को शामिल करने के लिए मार्च, 2009 में सेवा गुणवत्ता विनियम की पुनरीक्षा की गई थी। फरवरी, 2010 में एक्सेस सेवा प्रदाताओं को एक निदेश जारी किया गया था कि वे बेंचमार्कों की तुलना में उनके निष्पादन को उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। भादूविप्रा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) कंजेशन की निगरानी करता है। सेवा गुणवत्ता के संबंध में उनके निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनुवर्ती–बैठकें आयोजित की गईं हैं। लाइसेंस से निबंधन और शर्तों का

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण ने फरवरी 2010 में सब्सक्राइबरों की सूचना की गोपनीयता तथा संप्रेषणों की गुप्तता के बारे में निदेश जारी किया।

26. सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित की गई जानकारी की प्रमाणिकता, उपभोक्ता संरक्षण और शिकायतों का निराकरण विनियम, 2007 के क्रियान्वयन एवं प्रभाविता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने तथा सेवा गुणवत्ता के बारे में ग्राहकों की सोच का पता लगाने के लिए भादूविप्रा ने स्वतंत्र एजेंसियां नियुक्त की हैं। इन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें भादूविप्रा की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं।

27. प्राधिकरण ने मोबाइल हैंडसेट/टेलीफोन उपकरणों में कुंजियों को दबाने के माध्यम से मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक पद्धति तथा मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रावधान करने से पूर्व उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के बारे में सेवा प्रदाताओं को 27 अप्रैल 2009 को एक निदेश तथा बाद में दिनांक 4 सितम्बर 2009 को एक संशोधन निदेश जारी किया।

28. उपभोक्ताओं के हित को उच्च प्राथमिकता पर रखना भादूविप्रा का सतत प्रयास रहा है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क में कंजेशन से संबंधित मुद्दों का निपटान करने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एवं संवर्धित सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा धारण की गई ब्रॉडबैंड क्षमता की पुनरीक्षा की है। प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन किए जा रहे "कंटेशन अनुपातों" की स्थिति की भी आवधिक पुनरीक्षा करता है।

29. वर्ष 2009–10 के दौरान तीन उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाएं आयोजित की गईं। उपभोक्ता संगठनों तथा एनजीओ की बैठकों का आयोजन किया गया ताकि उन्हें उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए भादूविप्रा द्वारा की जा रही विभिन्न कार्रवाईयों के बारे में शिक्षित किया जा सके। दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि से निधियों का उपयोग करने से संबंधित विभिन्न उपभोक्ता संबंधी क्रियाकलापों के बारे में प्राधिकरण को सिफारिशें करने के लिए दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि के उपयोग संबंधी समिति (सीयूटीसीईएफ) की चार बैठकें हुईं।

## अध्ययन और कार्यशालाएं

30. दूरसंचार विश्व में हो रहे चहुंमुखी विकासों के प्रति अवगत रहने के लिए भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में हित के विषयों पर निरंतर शोध और अध्ययन करता है। अध्ययन का एक क्षेत्र कन्वर्जेंस है जो पारंपरिक दूरसंचार बाजारों और व्यापारिक मॉडलों में अत्यधिक परिवर्तन ला रहा है। दूरसंचार, प्रसारण तथा मनोरंजन उद्योग की पारंपरिक बाजार सीमाएं समाप्त हो रही हैं। भादूविप्रा ने "कन्वर्जेंस तथा उसके विनियामक प्रभाव" पर 4 मार्च 2010 को एक अध्ययन पत्र जारी किया जिसमें प्रौद्योगिकियों, प्रवृत्तियों तथा विनियामक प्रभाव की जांच की गई। भादूविप्रा ने मोबाइल टावरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जैसे टावर डिजाइन,

अभिनव प्रौद्योगिकियों जो टावरों की संख्या को कम करेंगी, टावर के स्वरूप में सुधार, संबधित प्राधिकारियों से आसान आरओडब्ल्यू अनुमति, लोक सुरक्षा के लिए विकिरण सीमाओं को सुनिश्चित करना, प्रदूषण नियंत्रण आदि, पर चर्चा करने के लिए एक परामर्श–प्रक्रिया भी आरंभ की है।

31. "एम–अनुप्रयोगों" पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें विश्व बैंक ज्ञान–सहयोगी थे। पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण पर भारत तथा विदेशी लेखकों की ओर से पर्याप्त उत्साह प्रदर्शित किया गया था। भादूविप्रा ने सभी पत्रों की जांच की तथा विषय की प्रासंगिकता और अन्य मानदण्डों के आधार पर 28 पत्रों का चयन किया और उनके लेखकों को प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यशाला की समाप्ति पर "एम–अनुप्रयोगों" पर एक कंपेंडियम भी जारी किया गया। भादूविप्रा का विचार है कि ऐसे अग्रगामी विषयों पर नियमित रूप से सेमिनार और सम्मेलन आयोजित कराए जाएं।

### विनियामक प्रवर्त्तन

32. सेवा प्रदाताओं द्वारा यूसीसी संदेश/एसएमएस भेजने तथा उन पर कार्रवाई के बारे में नियम तथा विनियम दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम (यथासंशोधित) द्वारा विनियमित किए जाते हैं। प्राधिकरण ने दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें भी आयोजित की।

33. प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों/आदेशों के अनुपालन में सुधार लाने तथा प्रवर्त्तन संबंधी गतिविधियां संचालित करने के लिए एक केन्द्रीयकृत अनुपालन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली प्रभावी निगरानी के लिए भादूविप्रा द्वारा समय–समय पर जारी कारण बताओ नोटसों/निदेशों/चेतावनियों/आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुरक्षण करती है।

### अंतरराष्ट्रीय संबंध

34. अंतरराष्ट्रीय संगठनों/निकायों जैसे आईटीयू, एपीटी, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, एसएटीआरसी, ओईसीडी तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय विनियामक निकायों के साथ समन्वय भादूविप्रा के कृत्यों का एक महत्वपूर्ण भाग है। भादूविप्रा ने दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण विनियम के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है तथा वह ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके अन्य अंतरराष्ट्रीय विनियामकों/एजेंसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना का पक्षधर है।

## (ख) प्रसारण एवं केबल क्षेत्र

### उद्योग के आंकड़े

35. प्रसारण एवं केबल क्षेत्र रूपांतरण के दौर से गुजर रहे हैं तथा पिछले पांच वर्षों ने बाजार की गतिशीलता को उल्लेखनीय रूप से सतर्क किया है। प्राधिकरण ने प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित त्रि–स्तरीय कार्यनीति तैयार की हैः–

- विभिन्न वितरण प्लेटफार्मों के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

- एड्रेसेबिलिटी लाना जो व्यापारिक मॉडलों के बारे में अनिश्चितताओं को दूर करेगी
- उपभोक्ताओं को विनियामक ढांचे के मध्य में लाना।

36. डीटीएच एवं आईपीटीवी जैसे दृश्य प्लेटफार्मों की शुरूआत और विकास तथा "लास्ट माइल" के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप एक अधिक गुंजायमान, विविधतापूर्ण और प्रतिस्पर्धी बहु–प्लेटफार्म बाजार स्थापित हो गया है। ऐसे परिदृश्य में, जहां 100 प्रतिशत केबल एवं उपग्रह जनसंख्या एनालॉग केबल सेवाओं पर निर्भर है, डीटीएच ने वर्ष 2009 में बाजार हिस्से के लगभग 20 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण रखा। डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ रही है तथा उपभोक्ता के छोर पर विकल्प संभव बन रहे हैं। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि वह सभी टीवी चैनल वितरण प्लेटफार्मों पर डिजिटलीकरण एवं एड्रेसेबिलिटी को प्रोत्साहित करे।

37. भारत में 133 मिलियन टीवी घर हैं, 500 मिलियन टीवी दर्शक हैं तथा 68 मिलियन केबल टीवी सब्सक्राइबर हैं। लगभग 60,000 केबल प्रचालक तथा 6000 एमएसओ इन सब्सक्राइबरों को सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, छह पे–डीटीएच प्रचालक ऐसे हैं, जिनका सब्सक्राइबर आधार मार्च 2010 की समाप्ति तक 21.30 मिलियन था। वर्ष 2009–10 में चैनलों की संख्या बढ़कर 521 हो गई। प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या 248 थी।

## राजस्व

38. वर्ष 2009 में, भारतीय टेलीविजन उद्योग का राजस्व आकार 25,700 करोड़ रु0 अनुमानित किया गया था। इसमें से 16,900 करोड़ रु0 (66 प्रतिशत) उपभोक्ताओं से अर्जित सब्सक्रिप्शन राजस्व है तथा शेष 8,800 करोड़ रु0 (34 प्रतिशत) विज्ञापन बाजार से आया है। पिछले वर्षों ने बाजार की गतिशीलता को उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित किया है।

## विनियामक हस्तक्षेप

39. माननीय उच्चतम न्यायालय ने टैरिफ के अवधारण के लिए तथा एनालॉग केबल टीवी क्षेत्र में केबल टीवी सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर एक नए सिरे से कवायद आरंभ करने का भादूविप्रा को निदेश दिया था। इससे पूर्व, भादूविप्रा ने डीटीएच प्लेटफार्म पर टीवी सेवाओं के लिए मार्च 2009 में टैरिफ विनियम पर एक परामर्श जारी किया था तथा दिसम्बर 2009 में इस परामर्श के संबंध में एक अनुपूरक पत्र जारी किया गया। भादूविप्रा की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने नवम्बर 2009 में हिट्स प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए एड्रेसेबल डिजिटल केबल टीवी सेवाओं के लिए हैड–एंड–इन– द–स्काई (हिट्स) प्रचालनों के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश जारी किए तथा भादूविप्रा से हिट्स प्लेटफार्म के लिए टैरिफ और अंतरसंयोजन विनियमों की समीक्षा का अनुरोध किया। भादूविप्रा ने अधिसूचित कैस क्षेत्रों में भी केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ की पुनरीक्षा करना उपयुक्त समझा। अतः सभी

प्रसारण सेवाओं अर्थात एनालॉग केबल टीवी सेवाओं (गैर–कैस) और डिजिटल एड्रेसेबल सेवाओं जैसे सीएएस, डीटएच, आईपीटीवी और हिट्स के लिए टैरिफ की व्यापक पुनरीक्षा की गई। इन कार्यकलापों में शामिल थे– डाटा संग्रहण, विभिन्न पणधारकों के साथ चर्चाओं के अनेक दौर आदि। इस पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप जुलाई 2010 में एड्रेसेबल टीवी प्रणाली के लिए टैरिफ आदेश जारी किया गया तथा जुलाई 2010 में गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी क्षेत्र पर एक मसौदा टैरिफ आदेश के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। व्यापक टैरिफ कवायद में, यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि भारत में टीवी सेवाओं का संरचनात्मक विकास करने के लिए यही उचित समय है कि एनालॉग केबल टीवी नेटवर्क को एक एड्रेसेबल डिजिटल केबल टीवी नेटवर्क में उन्नयित किया जाए। एड्रेसेबल डिजिटलीकरण हासिल करने के लिए एक रोड मैप के साथ सिफारिशें अगस्त 2010 में जारी की गईं।

40. टीवी चैनलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए सरकार ने भादूविप्रा से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग पर विद्यमान नीति पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया। तदनुसार, भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग पर एक परामर्श–पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 को जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2010 में सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत की गईं। नई एफडीआई नीति की घोषणा के उपरांत, सरकार ने भादूविप्रा को प्रसारण क्षेत्र के लिए विद्यमान विदेशी निवेश सीमाओं पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। तदनुसार, प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमाओं पर एक परामर्श–पत्र 15 जनवरी 2010 को जारी किया गया। सरकार को इस संबंध में सिफारिशें जुलाई 2010 को जारी की गईं।

# भाग – एक

## नीतियां तथा कार्यक्रम

क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

ख) नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

# क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

## दूरसंचार क्षेत्र

1. पिछले वर्ष के विकास पैटर्न के ही अनुक्रम में, इस वर्ष भी दूरसंचार क्षेत्र में सब्सक्राइबर आधार में असाधारण वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष की समाप्ति पर 600 मिलियन सब्सक्राइबरों तक पहुंचने का एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया, जिसमें मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या 500 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई। इस प्रकार 1990 के मध्य से सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह निरंतर विकसित होना जारी रहा। दूरसंचार क्षेत्र की विभिन्न सेवाओं के विकास की स्थिति को इस अध्याय में रेखांकित किया गया है:

### क) वायरलाइन

2. वायरलाइन सब्सक्राइबरों का सब्सक्राइबर आधार 31 मार्च 2009 के 37.96 मिलियन सब्सक्राइबर की तुलना में 31 मार्च 2010 को 39.96 मिलियन था अर्थात उसमें वर्ष 2009–10 के दौरान 1.00 मिलियन सब्सक्राइबरों की कमी दर्ज की गई। 36.96 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से, 27.03 मिलियन शहरी वायरलाइन सब्सक्राइबर और 9.93 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं। गत छह वर्षों के दौरान वायरलाइन सब्सक्राइबरों की स्थिति **चित्र 1** में दर्शायी गई है।

**चित्र 1 : वायरलाइन सब्सक्राइबर (मिलियन में)**

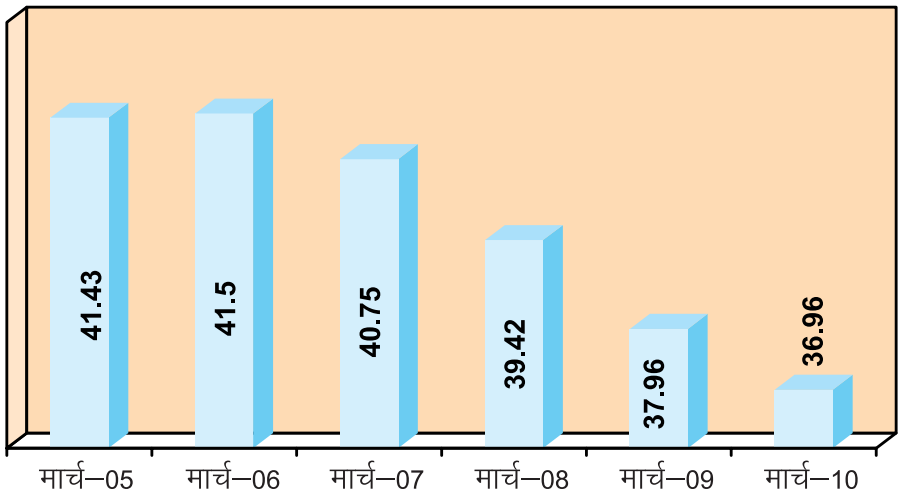

## ख) वायरलेस

3. वायरलेस सब्सक्राइबर आधार जो 31 मार्च 2009 को 391.76 मिलियन था, 31 मार्च 2010 को 584.32 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया। वित्त वर्ष 2009–10 में इसमें 192.56 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि हुई अर्थात् लगभग 49.15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। वायरलेस सेवाओं का कुल सब्सक्राइबर आधार मार्च 2005 के 52.22 मिलियन से बढ़कर मार्च 2010 में 584.32 मिलियन हो गया, जैसाकि **चित्र 2** में दर्शाया गया है।

**चित्र 2 : वायरलैस सब्सक्राइबर (मिलियन में)**

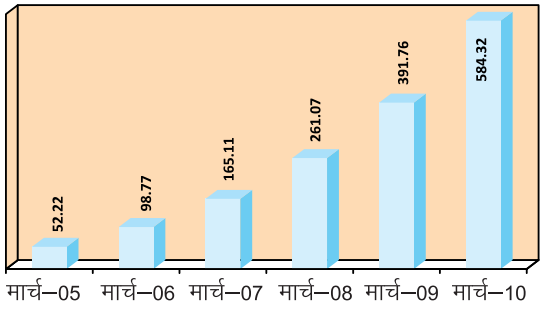


## ग) टेलीघनत्व

4. मार्च 2010 के अंत में टेलीघनत्व पिछले वर्ष के अंत में लगभग 36.98 प्रतिशत की तुलना में 52.74 प्रतिशत हो गया अर्थात् उसमें लगभग 15.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। मार्च 2005 से टेलीघनत्व में विकास को **चित्र 3** में दर्शाया गया है।

**चित्र 3 : टेलीघनत्व में वृद्धि**

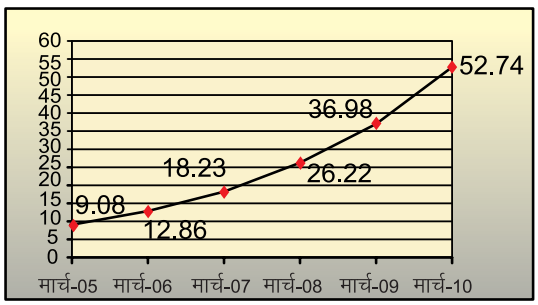


## घ) इंटरनेट सब्सक्राइबर

5. देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार 31 मार्च 2009 के 13.54 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2010 को 16.18 मिलियन था अर्थात् उसमें लगभग 19.49 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। पिछले पांच वर्षों के लिए सब्सक्राइबर आधार को **चित्र 4** में दर्शाया गया है।

**चित्र 4 : इंटरनेट सब्सक्राइबर (मिलियन में)**

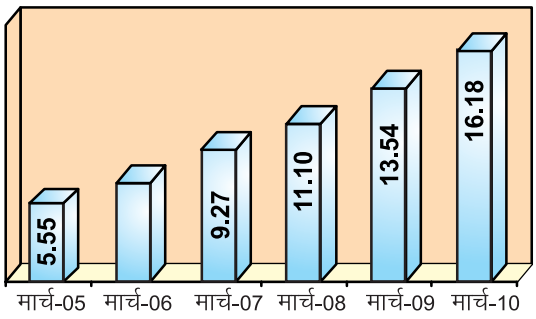


## ड.) ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

6. कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार 31 मार्च 2009 के अंत के 6.22 मिलियन की तुलना में 31 मार्च 2010 के अंत में बढ़कर 8.77 मिलियन हो गया अर्थात् वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों में 2.55 मिलियन की निवल वृद्धि दर्ज की गई तथा विकास दर 41 प्रतिशत थी। पिछले छह वर्षों के लिए सब्सक्राइबर आधार को **चित्र 5** में दर्शाया गया है।

**चित्र 5 : ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर (मिलियन में)**

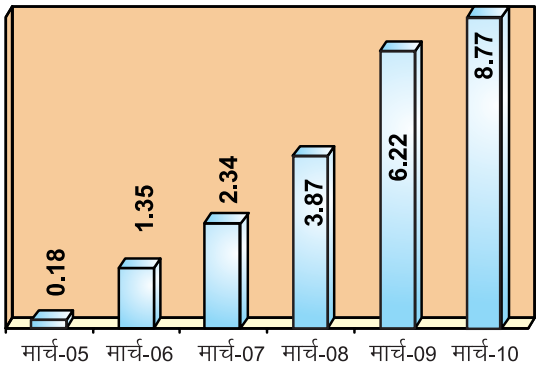

## च) दूरसंचार क्षेत्र में प्रवृत्तियां

7. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपयुक्त विनियामक नीतियों और उपायों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने में सफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप सतत विकास के साथ वहनीय टैरिफ प्राप्त किया गया है। भादूविप्रा ने नीतियों के कार्यान्वयन तथा समाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक पारदर्शी आर्थिक–सहायता तंत्र स्थापित किया है। यह नीति प्रचालकों को वित्तीय स्थायित्व प्रदान करने, क्षेत्र में कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने में सफल रही है। इसके परिणाम सब्सक्राइबर आधार में अत्यधिक वृद्धि तथा टैरिफों में गिरावट से स्पष्ट हैं। भारतीय उपभोक्ता भादूविप्रा के विनियामक उपायों के परिणामस्वरूप टैरिफ में हुई गिरावट से अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं।

8. लगभग दस वर्षों की अवधि में देश में व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक लाभ इस बात का स्पष्ट साक्ष्य हैं कि उद्योग को विनियमित करने की दिशा में सौम्य दृष्टिकोण एक सही दृष्टिकोण था। बाजार के सूक्ष्म–प्रबंधन को प्रविरित करने अथवा सम्मिलित आर्थिक विनियमों को अपनाने के प्राधिकरण के दृष्टिकोण ने उद्योग को ऐसी रीति से विकसित होने की अनुमति प्रदान की है जिसने राष्ट्र के लाभों को अधिकतम बना दिया है।

9. उपभोक्ता भादूविप्रा के विनियामक उपायों के परिणामस्वरूप हुई टैरिफ में भारी गिरावट से पर्याप्त रूप से लाभान्वित हुए हैं। हाल के वर्ष भारत में विशेष रूप से मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेग्मेंटों में दूरसंचार टैरिफ में हुई तेज गिरावट के साक्षी रहे हैं। टैरिफ में गिरावट वर्ष 1999 में विनियामक द्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश की अधिसूचना के साथ शुरूआत हुई तथा उसके पश्चात जारी रही। कुछ वर्षों पूर्व मोबाइल से एक स्थानीय कॉल लगभग 15/–रु0 प्रति मिनट की दर पर प्रभारित की जाती थी। मोबाइल सब्सक्राइबरों द्वारा प्राप्त की जाने वाली आवक कॉलों के लिए भी इसी प्रकार के प्रभार देय थे। आज यह जावक कॉलों के लिए 60 पैसे प्रति मिनट के स्तर तक नीचे आ गई है तथा आवक कॉलों के लिए बिलकुल भी प्रभार नहीं है। एक मिनट की अंतरराष्ट्रीय कॉल, जो पूर्व–टीटीओ 1999 की अवधि में 37/–रु0 से अधिक मूल्य की होती थी, आज लगभग एक स्थानीय कॉल के समान मूल्य पर की जा सकती है, जिसका वास्तविक अर्थ है, दूरी की समाप्ति। इसी प्रकार, भारत से अमरीकी महाद्वीप में की गई कॉल का टैरिफ भी 75/–रु0 से नीचे गिरकर समान समयावधि के लिए 7/–रु0 प्रति मिनट तक आ गया है। सब्सक्राइबरों के लिए चुनने के लिए बड़ी संख्या में विकल्प उपलब्ध हैं, जो उनके प्रयोग प्रोफाइल पर आधारित है। अधिकांश प्रचालकों द्वारा ऐसी स्कीमें प्रदान की गई हैं, जिनमें सब्सक्राइबर को किसी नियत आवर्ती प्रभार का भुगतान किए बगैर आजीवन कनेक्टिविटी का आश्वासन दिया जाता है। भादूविप्रा के टैरिफ विनियमन के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को टैरिफ में वृद्धि की किसी भी आशंका के बिना, समूची लाइसेंसिंग अवधि के लिए एक विशेष टैरिफ लेने का विशेष विकल्प भी प्रदान किया गया है।

10. इस वर्ष उच्च मूल्य प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिली जिसका मुख्य कारण पहले से ही प्रतिस्पर्धी मोबाइल टेलीफोनी बाजार में अनके नए प्रचालकों में प्रवेश है। अत्यंत घटी कॉल दरें तथा अभिनव टैरिफ, नए प्लेयरों द्वारा बाजार में अपने कदम जमाने के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप देखने को मिली हैं। देश में मोबाइल टेलीफोनी बाजार के अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक होने के कारण, इंकम्बेंट प्रचालक के लिए यह अनिवार्य था कि वह बाजार हिस्से के क्षरण को रोकने के लिए समान उपाय करके अपनी प्रतिक्रिया दिखाए। बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं से हाथ धोने के डर, विशेष रूप से मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के भावी संदर्भ में, ने भी प्रचालकों को आकर्षित टैरिफ स्कीमें प्रदान करने तथा साथ ही विद्यमान सब्सक्राइबरों के लिए बेहतर सेवा गुणवत्ता प्रदान करने पर विवश किया है। इन सभी बातों का परिणाम यह है कि सेवाएं अधिक–से–अधिक वहनीय बनी हैं जिनमें पहले से ही विस्तारित मोबाइल सब्सक्राइबर आधार को आगे भी सकारात्मक बल मिल रहा है।

11. वर्ष में एक प्रमुख टैरिफ संबंधी गतिविधि प्रति सेकेण्ड आधारित बिलिंग की शुरूआत रही है। मोबाइल कॉलों के लिए पल्स दर सामान्यतः 60 सेकेण्ड होती है, हालांकि विगत में छुट–पुट उदाहरण ऐसे रहे हैं, जहां कुछ प्रचालकों ने विभिन्न पल्स दर क्रियान्वित की है। जून, 2009 माह में, एक नए जीएसएम प्रचालक ने उच्च प्रतिस्पर्धी बाजार में अत्यंत तेजी के साथ बाजार–हिस्सा बढ़ाने के लिए एक कार्यनीति के रूप में प्रति सेकण्ड बिलिंग की शुरूआत की। इसका सब्सक्राइबरों द्वारा व्यापक स्वागत किया गया जिससे उसके प्रतिस्पर्धियों को ऐसी ही स्कीमों की घोषणाएं करने के लिए विवश होना पड़ा। कुछ माह के भीतर, लगभग सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने मोबाइल सब्सक्राइबरों के लिए, एक रूप में अथवा दूसरे रूप में, सेकेण्ड आधारित टैरिफ प्लान शुरू कर दिए। स्थानीय/एसटीडी कॉलों के लिए सामान्यतः सेकेण्ड आधारित टैरिफ प्लान के रूप में देखा जाने वाला टैरिफ 1 पैसा/1.20 पैसे प्रति सेकण्ड है। निम्न कॉल दरों के साथ प्रति सेकेण्ड बिलिंग प्लान की शुरूआत ने विद्यमान मिनट आधारित प्लानों को, जिनके उच्च कॉल प्रभार हैं, गैर–प्रासंगिक बना दिया जिसके कारण प्रति मिनट प्लानों में भी कॉल प्रभारों में कटौती हुई तथा वे प्रति सेकण्ड बिलिंग प्लानों के ही समान हो गए। अतः अनेक प्रचालक निम्न प्रति मिनट प्रभारों के टैरिफ प्लानों के साथ सामने आए, जो स्थानीय/आईएसडी कॉलों के लिए सामान्यतया 50 पैसे/60 पैसे प्रति मिनट के स्तर पर है। कुछ प्रचालकों ने आजीवन वैधता प्लानों के रूप में इन निम्न दरों की पेशकश की जबकि कुछ अन्य प्रचालकों ने 365 दिनों के लिए उपलब्ध स्कीम/विकल्प के रूप में निम्न दरों की पेशकश का विकल्प दिया।

12. लंबी दूरी सेवाओं तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं के लिए टैरिफ में कटौती निम्न चित्र 6 और 7 से देखी जा सकती है।

**चित्र 6: राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा – पूर्व अवधि के दौरान टैरिफों में गिरावट का प्रतिशत – 1.5.99 से 31.3.2010**

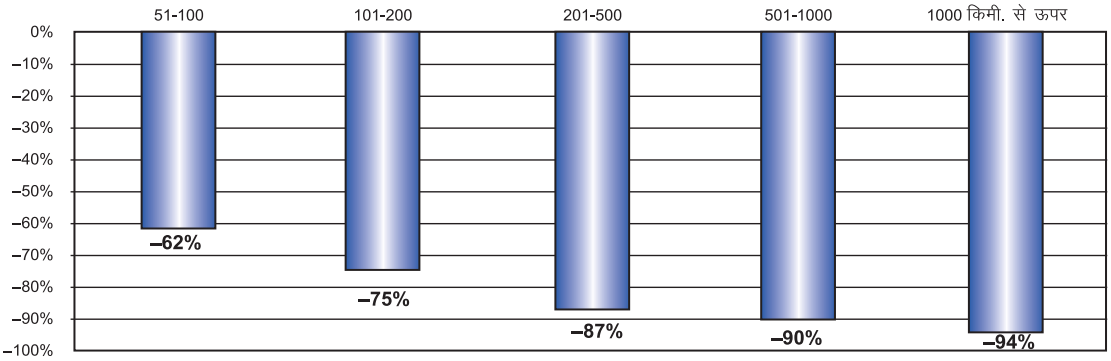


टिप्पणी: ऊपर दर्शाई गई प्रतिशत गिरावट में बीएसएनएल के जनरल प्लान में 2 मिनट के लिए 1.20 रु0 की वर्तमान एसटीडी दर को हिसाब में लिया गया है। यह गिरावट इंडिया वन प्लान के साथ तुलना किए जाने पर और भी अधिक होगी, जहां दूरी की सीमा पर ध्यान दिए बगैर एसटीडी दर 2 मिनट के लिए 1 रु0 है।

**चित्र 7: अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा – पूर्व अवधि के दौरान टैरिफों में गिरावट का प्रतिशत – 1.5.99 से 31.3.2010**

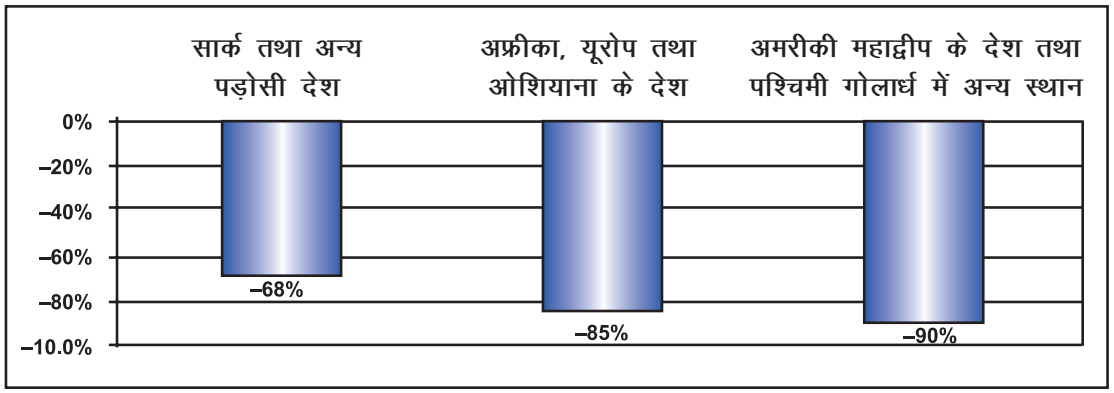


**टिप्पणी:** प्रतिशत गिरावट और भी अधिक होगी यदि इसकी तुलना इंडिया वन प्लान से की जाएगी, जहां आईएलडी प्रभार 9.60 रु0/12 रु0 प्रति मिनट के स्थान पर क्रमशः 6 रु0/8 रु0 / 10 रु0 प्रति मिनट है।

## छ) भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक

13. भादूविप्रा "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतकों" पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं तथा सेवा गुणवत्ता मापदण्डों के लिए मुख्य मापदण्ड एवं वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट भिन्न पणधारकों, अनुसंधान एजेंसियों तथा विश्लेषकों के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करने के लिए दूरसंचार सेवाओं पर व्यापक संदर्श प्रस्तुत करती है। वर्ष 2009–10 के लिए भादूविप्रा ने चार तिमाही रिपोर्टें जारी कीं। चार तिमाहियों के लिए मुख्य मापदण्डों को शामिल करने वाले सारांश **तालिका 1** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1 : निष्पादन संकेतक

| | जून 2009 को समाप्त तिमाही | सितम्बर 2009 को समाप्त तिमाही | दिसम्बर को समाप्त तिमाही | मार्च 2010 समाप्त तिमाही |
|---|---|---|---|---|
| **दूरसंचार सब्सक्राइबर (वायरलैस + वायरलाइन) मिलियन में** | | | | |
| कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर | 464.82 | 509.03 | 562.16 | 621.28 |
| शहरी सब्सक्राइबर | 328.55 | 357.22 | 387.63 | 420.47 |
| ग्रामीण सब्सक्राइबर | 136.27 | 151.82 | 174.53 | 200.81 |
| वायरलेस सब्सक्राइबर | 427.29 | 471.73 | 525.09 | 584.32 |
| वायरलाइन सब्सक्राइबर | 37.53 | 37.31 | 37.06 | 36.96 |
| **टेलीघनत्व** | | | | |
| कुल टेलीघनत्व | 39.86 | 43.50 | 47.88 | 52.74 |
| शहरी टेलीघनत्व | 95.05 | 102.79 | 110.96 | 119.73 |
| ग्रामीण टेलीघनत्व | 16.61 | 18.46 | 21.16 | 24.29 |
| **इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर (मिलियन में)** | | | | |
| कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर | 14.05 | 14.63 | 15.24 | 16.18 |
| ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर | 6.62 | 7.21 | 7.82 | 8.77 |
| **दूरसंचार वित्तीय आंकड़े (रू0 करोड़ )** | | | | |
| तिमाही के दौरान सकल राजस्व | 39,108.33 | 38,854.65 | 39,756.64 | 40,265.12 |
| समायोजित समकल राजस्व (एजीआर) | 29,732.52 | 29,115.30 | 29,125.67 | 28,829.53 |
| **प्रसारण और केबल सेवाएं** | | | | |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत चैनलों की कुल संख्या | 447 | 472 | 485 | 503 |
| पे–चैनलों की संख्या | 136 | 138 | 142 | 147 |
| डीटीएच सब्सक्राइबर (मिलियन में) | 15.17 | 17.34 | 19.1 | 21.3 |
| कैस क्षेत्रों में सेट टॉप बॉक्सों की संख्या | 816,192 | 734,016 | 745,953 | 762,238 |

## प्रसारण और केबल क्षेत्र

14. पिछले पांच वर्षों में प्रसारण और केबल क्षेत्र के बाजार की गतिशीलता में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। भारतीय टेलीविजन उद्योग के राजस्व का 66 प्रतिशत (16,900 करोड रु0) उपभोक्ताओं से अर्जित राजस्व से तथा 34 प्रतिशत (8,800 करोड़ रू0) विज्ञापन बाजार से आया है। केबल टीवी क्षेत्र में डीटीएच, आईपीटीवी जैसे दृश्य प्लेटफार्मों की शुरूआत तथा "लास्ट माइल" के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप बाजार मल्टी–प्लेटफार्म बन गया है। डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ रही है तथा उपभोक्ता के छोर पर विकल्प संभव बन रहा है।

## चित्र 8 : देश के विभिन्न भागों में केबल टीवी घरों का वितरण

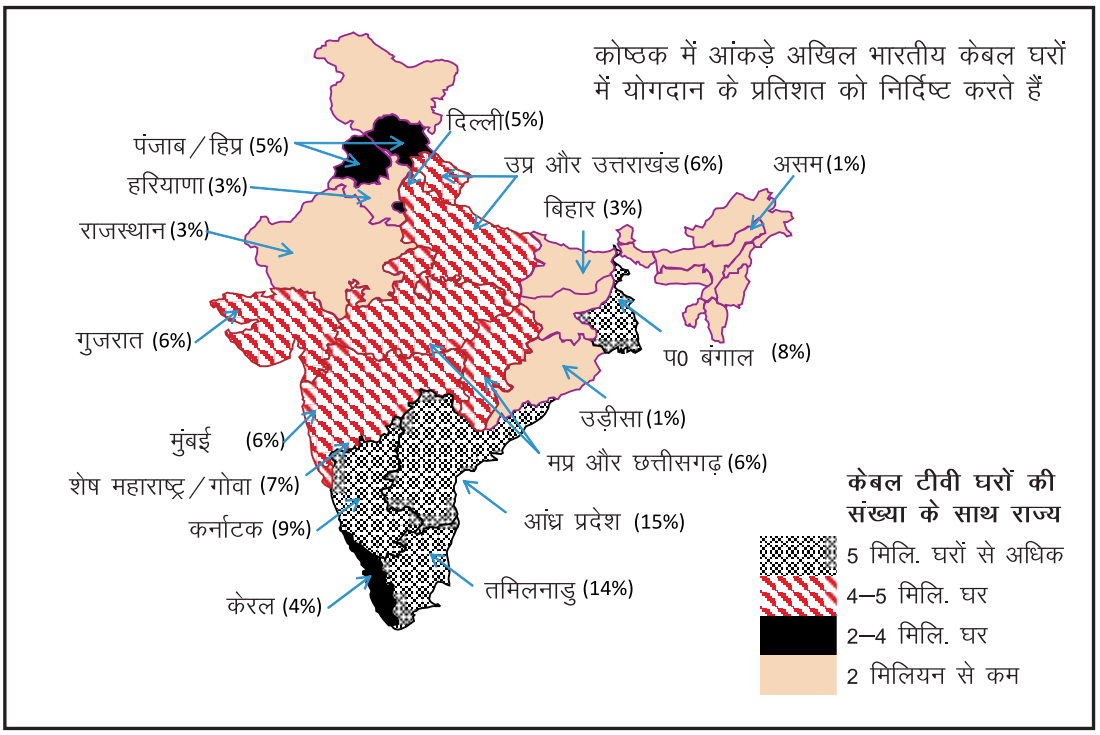


15. उपर्युक्त आकृति **(चित्र 8)** देश के विभिन्न भागों में केबल टीवी घरों के वितरण को दर्शाती है:

16. **तालिका 2** प्रसारण क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करती है:–

### तालिका 2 : प्रसारण क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं

| | |
|---|---|
| देश में टीवी घरों की संख्या (अनुमानित) | 133 मिलियन |
| टीवी दर्शकों की संख्या (अनुमानित) | 500 मिलियन |
| केबल टीवी सब्सक्राइबरों की संख्या (अनुमानित) | 68 मिलियन |
| 31 मार्च 2010 को डीटीएच सब्सक्राइबरों की संख्या (अनुमानित) | 21.30 मिलियन |
| केबल प्रचालकों की संख्या (अनुमानित) | 60,000 |
| मल्टी सिस्टम प्रचालकों की संख्या (अनुमानित) | 6,000 |
| पे–डीटीएच प्रचालकों की संख्या | 6 |
| 31 मार्च 2010 को चैनलों की संख्या | 503 |
| 31 मार्च 2010 को पे–चैनलों की संख्या | 147 |
| 31 मार्च 2010 को एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (आकाशवाणी को छोड़कर) | 248 |
| 31 मार्च 2010 को लाइसेंसशुदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या | 100 |
| 31 मार्च 2010 को प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या | 57 |
| 31 मार्च 2010 को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के कैस अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित सेट टॉप बॉक्स | 7,62,238 |

**तालिका 3 : डाउनलिंकिंग के लिए अनुमतिप्राप्त टेलीविजन चैनलों का विकास**

| दिसम्बर को समाप्त वर्ष | चैनलों की संख्या |
|---|---|
| 2001 | 45 |
| 2002 | 69 |
| 2003 | 92 |
| 2004 | 119 |
| 2005 | 134 |
| 2006 | 173 |
| 2007 | 247 |
| 2008 | 406 |
| 2009 | 485 |
| 2010 (31 मार्च 2010 तक) | 521 |

17. भारत में डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति प्राप्त टेलीविजन टेलीविजनों का विकास **तालिका 3** में दर्शाया गया है:

18. प्राधिकरण ने प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित त्रि–स्तरीय कार्यनीति तैयार की है:–

(क) विनियामक ढांचे के केन्द्र के रूप में उपभोक्ता पर ध्यान केन्द्रण क्योंकि दूरसंचार क्षेत्र से यह पता चला है कि उपभोक्ता–केन्द्रित कार्यकलाप उस क्षेत्र के उल्लेखनीय विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे।

(ख) विभिन्न वितरण प्लेटफार्मों जैसे केबल टीवी, डीटीएच, आईपीटीवी, मोबाइल टीवी आदि के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

(ग) एड्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करना जो व्यापारिक मॉडलों में क्षमता बाधाओं और अनिश्चितताओं को दूर करेगी

# (ख) नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

19. नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) 1999, नए दूरसंचार क्षेत्र की मुख्य मार्गदर्शक नीति है। इस नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) देश के सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूरसंचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूरसंचार नीति का केन्द्र बिन्दु और लक्ष्य नागरिकों को वहनीय तथा प्रभावी दूरसंचार व्यवस्था उपलब्ध कराना है,

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी दूरसंचार विहीन क्षेत्रों को सार्वभौमिक रूप से इस सेवा की व्यवस्था करने और देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चस्तरीय सेवाओं की व्यवस्था करने के बीच अपेक्षित संतुलन का प्रयास करना,

(iii) देश के दूरस्थ, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विकास करना,

(iii) भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक 'महाशक्ति' बन सके इसके लिए आधुनिक और सक्षम दूरसंचार आधारिक संरचना बनाई जाए जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, संचार माध्यमों, दूरसंचार और कंज्यूमर इलेक्ट्रानिकी के पारस्परिक सामंजस्य एवं समन्वयन को ध्यान में रखा जाए,

(v) पीसीओ को, जहां भी समीचीन हो, बहुमाध्यम क्षमताओं वाले सार्वजनिक टेली–इन्फो केंद्रों में रूपांतरित करना जिनमें आईएसडीएन सेवा, दूरस्थ डाटाबेस एक्सेस हो और जो सामुदायिक सूचना प्रणाली में सहायक हो,

(vi) दूरसंचार क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, अधिक उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा वाले परिवेश में परिवर्तित करना, जहां सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर और एक जैसी कार्य – सुविधाएं उपलब्ध हों,

(vii) देश में अनुसंधान और विकास के प्रयासों को सुदृढ़ करना और विश्वस्तरीय निर्माण–क्षमता मुहैया करना,

(viii) स्पेक्ट्रम प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षता तथा पारदर्शिता प्राप्त करना,

(ix) देश की रक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के हितों का बचाव करना,

(x) भारतीय दूरसंचार कंपनियों को वास्तविक रूप में वैश्विक स्तर प्लेयर बनने में समर्थ बनाना।

20. नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) – 1999 में निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्य रखे गये हैं:

(i) वर्ष 2002 तक टेलीफोन, मांग पर उपलब्ध कराना। उसके बाद इस स्थिति को बनाए रखना ताकि इसके परिणामस्वरूप, दूरसंचार घनत्व 2005 तक 7 तक और 2010 तक 15 तक पहुंच जाए।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को प्रोत्साहित करना जिसके लिए उसके टैरिफ ढांचे को उपयुक्त तरीके से संशोधित करना और सभी फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण संचार को अनिवार्य बनाना।

(iii) वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेलीघनत्व वर्तमान 0.4 के स्तर से बढ़ाकर 4 करना और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार माध्यम (ट्रांसमिशन) उपलब्ध करना।

(iv) वर्ष 2002 तक देश के सभी गांवों तक दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराना और सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय संचार माध्यमों की व्यवस्था करना।

(v) वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना।

(vi) जिन नगरों की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है उनमें, वर्ष 2002 तक, आईएसडीएन सहित अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उच्च गति वाले आंकड़ा तंत्र (डाटा) तथा बहुमाध्यम (मल्टीमीडिया) क्षमता की व्यवस्था करना।

21. नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में, विशेष रूप से (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क; (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार; (ग) बुनियादी और मूल्यवर्धित, दोनों ही सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश; (घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतरसंयोजन; (ड.) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन; (छ) सेवा गुणवत्ता; और (ज) सार्वभौमिक सेवा दायित्व के क्षेत्रों में भादूविप्रा के योगदान पर नीचे पैराओं में चर्चा की गई है।

## क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

22. भादूविप्रा ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास को सदैव ही बल प्रदान किया है। विभिन्न चर्चाओं के दौरान तथा सेवा प्रदाताओं के साथ अलग से आयोजित बैठकों में भादूविप्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के विकास के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया है। वायरलैस, वायरलाइन तथा इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाओं के बारे में स्थिति नीचे दी गई है।

### (I) वायरलैस

23. 31 मार्च 2010 को वायलेस ग्रामीण {मोबाइल और डब्ल्यूएलएल (एफ)} बाजार 31 मार्च 2009 को **111.63** मिलियन की तुलना में **190.88** मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गया। सेवा प्रदाताओं की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कुल सब्सक्राइबरों में से 32.67 प्रतिशत आज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण सब्सक्राइबर आधार धीर–धीरे विकास कर रहा है। मार्च 2007 से ग्रामीण वायरलैस सब्सक्राइबर आधार **चित्र 9** में

**चित्र 9 : ग्रामीण वायरलैस सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)**

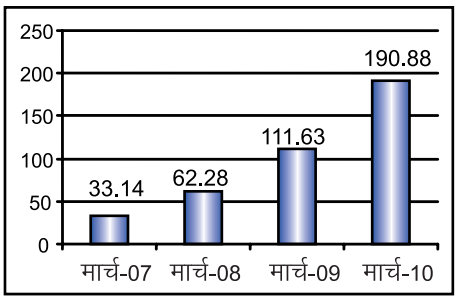

**तालिका 4 : सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलैस सब्सक्राइबर आधार और बाजार हिस्सा**

| क्रमांक | वायलैस ग्रुप | कुल वायरलैस सब्सक्राइबर (मिलियन में) | | ग्रामीण वायरलैस सब्सक्राइबर (मिलियन में) | | वायरलैस ग्रामीण सब्सक्राइबरों का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मार्च,10 | मार्च, 09 | मार्च,10 | मार्च, 09 | मार्च,10 | मार्च, 09 |
| 1 | भारती | 127.62 | 93.92 | 48.09 | 29.53 | 25.19 | 26.46 |
| 2 | रिलायंस | 102.42 | 72.67 | 21.25 | 15.13 | 11.13 | 13.55 |
| 3 | वोडाफोन | 100.86 | 68.77 | 36.79 | 22.33 | 19.27 | 20.00 |
| 4 | बीएसएनएल | 69.45 | 52.14 | 25.26 | 19.09 | 13.23 | 17.10 |
| 5 | टाटा | 65.94 | 35.12 | 13.45 | 2.66 | 7.05 | 2.38 |
| 6 | आइडिया / स्पाइस | 63.82 | 43.02 | 29.82 | 17.24 | 15.62 | 15.45 |
| 7 | एयरसैल | 36.86 | 18.48 | 14.00 | 5.63 | 7.33 | 5.05 |
| 8 | एमटीएनएल | 5.09 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | यूनीटेक | 4.26 | – | 1.40 | – | 0.73 | – |
| 10 | सिस्टेमा | 3.78 | 0.39 | 0.54 | 0.001 | 0.28 | 0.00 |
| 11 | लूप | 2.84 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | एस टेल | 1.01 | – | 0.27 | – | 0.14 | – |
| 13 | एचएफसीएल | 0.33 | 0.60 | 0.001 | 0.004 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | वाइडकॉन | 0.03 | – | 0.00 | – | 0.00 | – |
| 15 | एटीसलाट | 0.00 | – | 0.00 | – | 0.00 | – |
| | **कुल** | **584.31** | **391.76** | **190.88** | **111.63** | **100.00** | **100.00** |

दर्शाया गया है। सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलैस सब्सक्राइबर आधार और उनका बाजार हिस्सा ऊपर **तालिका 4** और नीचे **चित्र 10** में दर्शाया गया है।

**चित्र 10 : ग्रामीण वायरलैस सब्सक्राइबर का बाजार हिस्सा मार्च 2010**

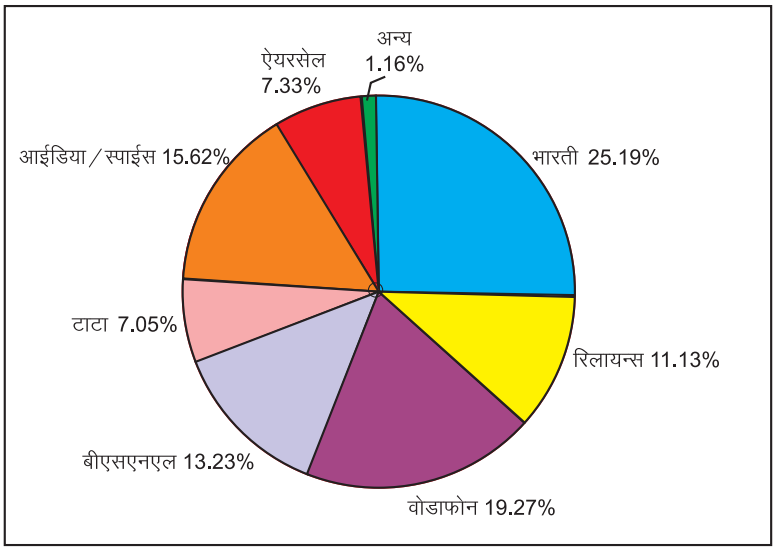


**अन्य में शामिल है यूनीटेक, सिस्टेमा, एस टेल और एचएफसीएल**

### (ii) वायरलाइन

24. ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार में गिरावट हो रही है **(चित्र 11)**। 31.03.2010 को, ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार **9.93** मिलियन था तथा सेवा प्रदाताओं की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में कुल वायरलाइन सब्सक्राइबरों का 26.87 प्रतिशत है। सेवा प्रदातावार वायरलाइन ग्रामीण सब्सक्राइबर आधार तथा उनका बाजार हिस्सा **तालिका 5** और **चित्र 12** में दर्शाया गया है।

**चित्र 11 : वायरलाइन ग्रामीण सब्सक्राइबर (मिलियन में)**

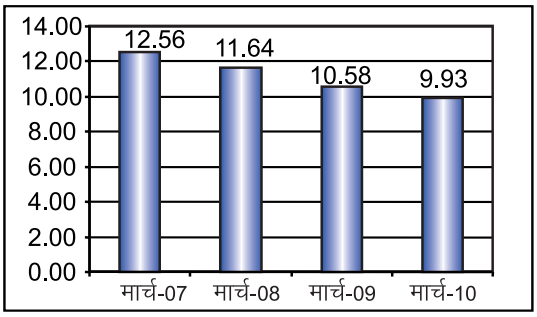


**चित्र 12 : मार्च 2010 को ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों का बाजार हिस्सा**

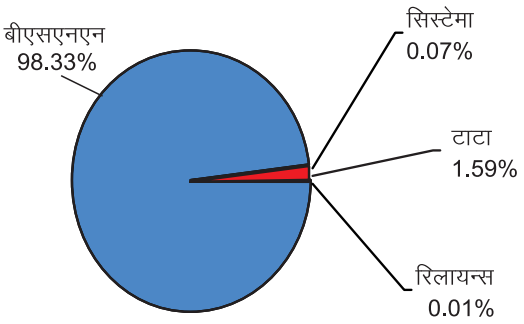


### (iii) इंटरनेट/ब्रॉडबैंड

25. राष्ट्रव्यापी नेटवर्क से व्यापक एवं सुगम ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। यह देश के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान को समर्थ बनाता है ताकि ब्रॉडबैंड सेवा के लाभ जनता तक पहुंच सकें। भादूविप्रा ने ब्रॉडबैंड की पैठ को बल प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार–विमर्श किया है और अपेक्षित कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2010–11 में "राष्ट्रीय

**तालिका 5 : सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर और बाजार हिस्सा**

| क्रमांक | वायरलैस ग्रुप | कुल वायरलैस सब्सक्राइबर (मिलियन में) | | ग्रामीण वायरलैस सब्सक्राइबर (मिलियन में) | | वायरलैस ग्रामीण सब्सक्राइबरों का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मार्च,10 | मार्च, 09 | मार्च,10 | मार्च, 09 | मार्च,10 | मार्च, 09 |
| 1 | बीएसएनएल | 27.83 | 29.35 | 9.76 | 10.55 | 98.33 | 99.65 |
| 2 | एमटीएनएल | 3.50 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | भारती | 3.07 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | एचएफसीएल | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | सिस्टेमा | 0.05 | 0.13 | 0.007 | 0.009 | 0.07 | 0.08 |
| 6 | टाटा | 1.16 | 0.92 | 0.158 | 0.027 | 1.59 | 0.26 |
| 7 | रिलांयस | 1.18 | 1.11 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| | **कुल** | **36.96** | **37.96** | **9.93** | **10.58** | **100.00** | **100.00** |

ब्रॉडबैंड नीति'' पर परामर्श–प्रक्रिया आरंभ की गई।

## ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

### (I) वायरलैस सेवाएं

26. 31 मार्च 2009 को 391.76 के सब्सक्राइबर आधार की तुलना में 31 मार्च 2010 को वायरलैस सब्सक्राइबर आधार 584.32 मिलियन था। इसमें वित्त वर्ष 2009–10 में 192.56 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि हुई तथा लगभग 49.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वायरलैस सेवाओं के कुल सब्सक्राइबर आधार में मार्च 05 में 52.22 मिलियन से मार्च, 2010 में 584.32 मिलियन की वृद्धि हो गई है। कुल 584.32 मिलियन सब्सक्राइबरों में से वित्तीय वर्ष 2009–10 की समाप्ति में, 478.68 मिलियन (81.92 प्रतिशत) जीएसएम सब्सक्राइबर तथा 105.64 मिलियन (18.08 प्रतिशत) सीडीएमए सब्सक्राइबर थे। मार्च 2005 से मार्च 2010 तक जीएसएम और सीडीएम, दोनों नेटवर्कों की वायरलेस सेवाओं के सब्सक्राइबर वृद्धि को **चित्र 13** में दर्शाया गया है।

27. मार्च 2005 से मार्च 2010 तक वैयक्तिक वायरलैस सेवा प्रदाताओं (जीएसएम और सीडीएमए दोनों) का सब्सक्राइबर आधार, वित्तीय वर्ष 2008–09 में उनकी प्रतिशत वृद्धि सहित, प्रतिवेदन के इस भाग के अंत में **अनुबंध–I** में दिया गया है। 31 मार्च 2010 को विभिन्न मोबाइल प्रचालकों का बाजार हिस्सा **चित्र 14** में दर्शाया गया हैं। विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में लाइसेंसशुदा वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सूची प्रतिवेदन के इस भाग के अंत में **अनुबंध–II** में दी गई है।

**चित्र 13 : 31 मार्च 2010 को वायरलैस प्रचालकों का सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)**

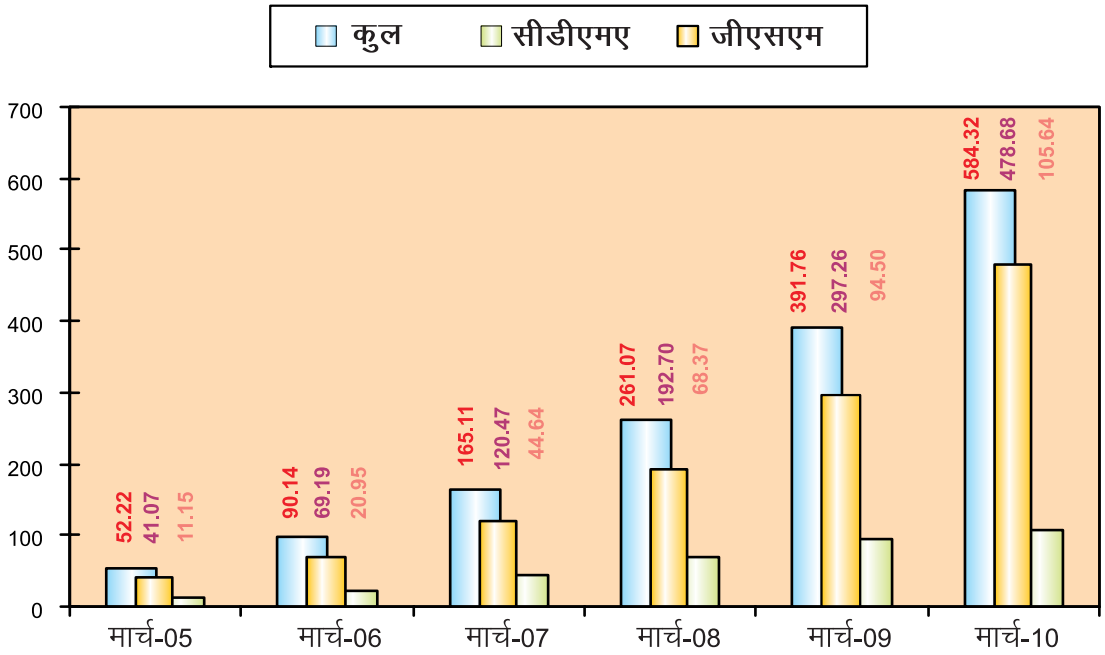

**चित्र 14 : वायरलैस सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा (31 मार्च 2010 को)**

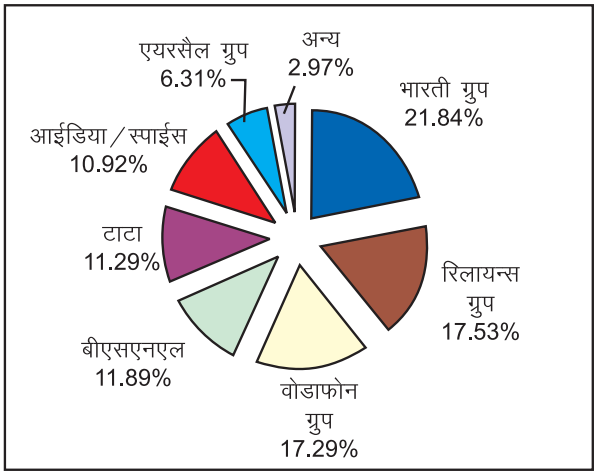


अन्य में शामिल हैं एमटीएनएल, यूनीटेक, सिस्टेमा, लूप, एस टेल, एचएफसीएल, वीडियोकोन और एटीस्लाट

28. वायरलैस खंड में जीएसएम सेवाओं का सब्सक्राइबर आधार मार्च 2009 की समाप्ति पर 297.29 मिलियन की तुलना में मार्च 2010 की समाप्ति पर 478.68 मिलियन के अंक पर पहुंच गया। इसमें वर्ष के दौरान लगभग 181.42 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि हुई तथा 61.03 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

29. जीएसएम सेवाओं के सब्सक्राइबर आधार और बाजार हिस्से के संदर्भ में, 127.62 मिलियन सब्सक्राइबरों के साथ मैसर्स भारती सर्वाधिक विशाल जीएसएम प्रचालक बना रहा, जिसके पश्चात क्रमशः 100.86 मिलियन, 63.82 मिलियन तथा 63.31 मिलियन के सब्सक्राइबर आधार के साथ मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया/स्पाइस और मैसर्स बीएसएनएल का स्थान है। 31 मार्च 2010 को विभिन्न जीएसएम प्रचालकों का बाजार हिस्सा **चित्र 15** में दर्शाया गया है।

**चित्र 15 : 31 मार्च 2010 को जीएसएम प्रचालकों का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)**

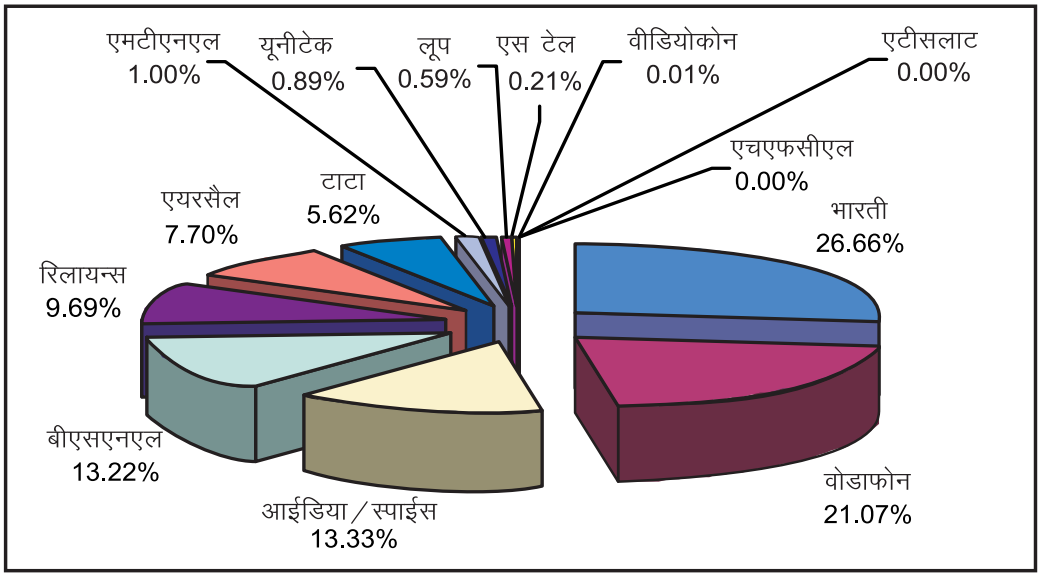

**चित्र 16 : 31 मार्च 2010 को सीडीएमए प्रचालकों का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)**

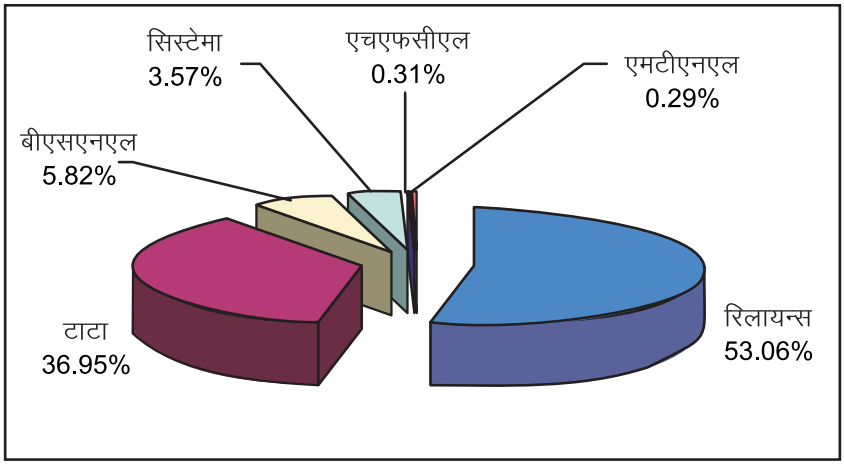


30. सीडीएमए सेवाओं में, सब्सक्राइबर आधार और बाजार हिस्से के संदर्भ में, 56.05 मिलियन सब्सक्राइबरों के साथ मैसर्स रिलायंस सर्वाधिक विशाल सीडीएमए प्रचालक बना रहा, जिसके पश्चात क्रमशः 39.03 मिलियन तथा 6.14 मिलियन के सब्सक्राइबर आधार के साथ मैसर्स टाटा और मैसर्स बीएसएनएल का स्थान है। 31 मार्च 2010 को विभिन्न सीडीएमए प्रचालकों का बाजार हिस्सा **चित्र 16** में दर्शाया गया है।

31. मार्च 2005 से मार्च 2010 की अवधि के लिए सेवप प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों में वायलैस सेवाओं का सब्सक्राइबर आधार ग्राफ रूप में **चित्र 17** में दर्शाया गया है।

32. वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वायरलैस सब्सक्राइबरों में वृद्धि तथा वार्षिक वृद्धि दरें इस प्रतिवेदन के अंत में **अनुबंध–III** में दर्शाई गई हैं।

**चित्र 17 : मार्च 2005 से मार्च 2010 तक महानगरों और शहरों में वायरलैस सेवाओं का सब्सक्राइबर आधार (आंकड़े मिलियन में)**

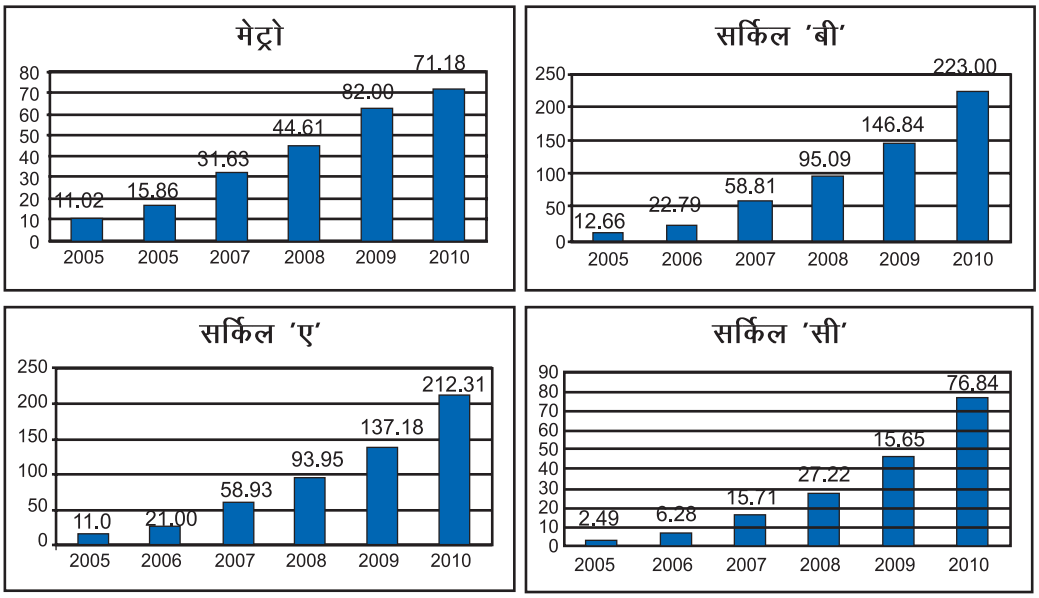

चित्र 18 : 31 मार्च, 2010 को वायरलैस सब्सक्राइबरों का कुल बाजार हिस्सा

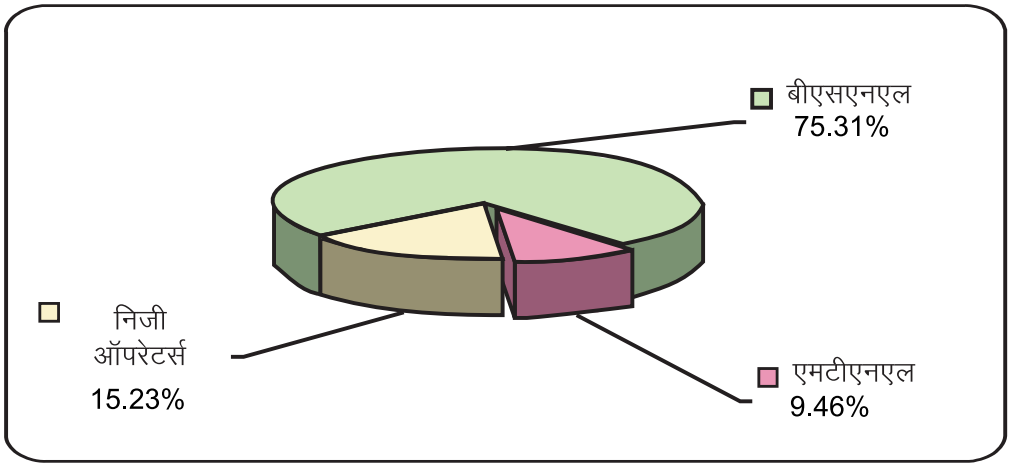

वायरलैस सेवाओं के लिए कुल सब्सक्राइबर आधार ने 49.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की जिसमें 68.32 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि 'ग' सर्किलों में देखी गई।

## (ii) वायरलैस सेवाएं

33. 31 मार्च 2010 को, फिक्सड (वायरलैस) लाइनों का कुल सब्सक्राइबर आधार 36.96 मिलियन था। सब्सक्राइबर आधार में इंकम्बेंट बीएसएनएल तथा एमटीएनएल का बाजार हिस्सा क्रमशः 75.31 प्रतिशत तथा 9.46 प्रतिशत था जबकि सभी पांच निजी प्रचालकों का कुल मिलाकर हिस्सा 15.23 प्रतिशत था। निजी प्रचालकों के हिस्से में 31 मार्च 2009 को 13.29 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2010 को 15.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल फिक्सड लाइनों का बाजार हिस्सा **चित्र 18** में दर्शाया गया है।

34. 31 मार्च 2010 को, कुल शहरी वायरलाइन सब्सक्राइबर 27.03 मिलियन तथा ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर 9.93 मिलियन थे। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा **चित्र 19** और **चित्र 20** में दर्शाया गया है।

चित्र 19 : 31 मार्च 2010 को शहरी वायरलाइन सब्सक्राइबरों का बाजार हिस्सा

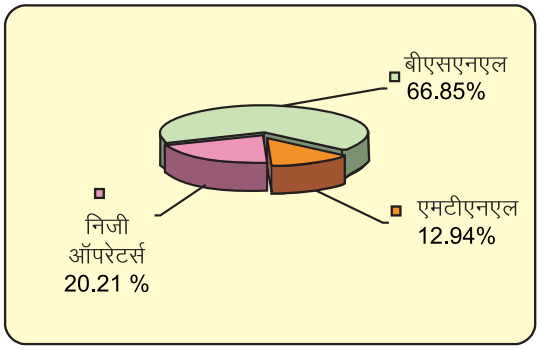


चित्र 20 : 31 मार्च 2010 को ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों का बाजार हिस्सा

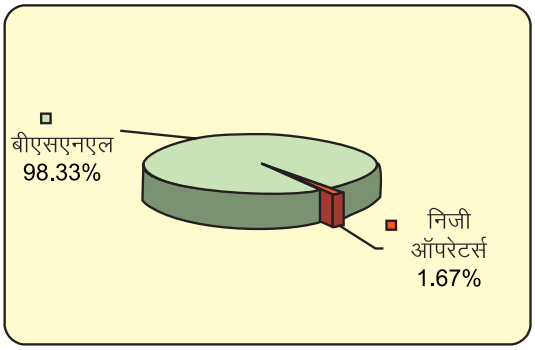

35. 31 मार्च, 2010 को बीएसएनएल और एमटीएनएल के अलावा 05 एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसी (यूएएसएल) फिक्सड लाइन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कुल सज्जित क्षमता तथा सेवा प्रदातावार कनेक्शन नीचे **तालिका 6** में दर्शाए गए हैं:–

**तालिका 6 : सेवा प्रदातावार सज्जित स्विचिंग क्षमता**

| क्र. स. | सेवा प्रदाता का नाम | सेवा क्षेत्र | सज्जित क्षमता | कार्य कर रहे कनेक्शन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भारत संचार निगम लि0 | दिल्ली और मुंबई को छोड़कर अखिल भारत | 4,58,35,336 | 2,78,30,560 |
| 2. | महानगर टेलीफोन निगम लि0 | दिल्ली और मुंबई | 53,77,710 | 34,96,754 |
| 3. | भारती एयरटेल लि0 और भारती हैक्साकॉम लि0 | आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा इसमें चेन्नई, और उत्तरांचल सहित उ0प्र0 (पूर्व) और उ0प्र0 (पश्चिम) शामिल है | 1,00,64,000 | 30,66,859 |
| 4. | एचएफसीएल एंफोटेल लि0 | पंजाब | 3,28,835 | 1,73,407 |
| 5. | रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि0 | आंध्र प्रदेश, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल | 24,64,000 | 11,77,412 |
| 6. | सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लि0 | राजस्थान | 5,12,000 | 49,416 |
| 7. | टाटा टेलीसर्विसेज़ लि0 एवं टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लि0 | आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पूर्वोत्तर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा इसमें चेन्नई, और उत्तरांचल सहित उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल शामिल है | 1,47,49,230 | 11,62,276 |

स्रोत : सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें

## पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ)

36. 31 मार्च 2010 को, पब्लिक कॉल आफिसों (पीसीओ) की संख्या 31 मार्च, 2009 को 6.20 मिलियन की तुलना में 4.59 मिलियन था। बीएसएनएल, एमटीएनएल तथा निजी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसीओ की संख्या **तालिका 7** में दर्शाई गई है।

**तालिका 7 : देश में पब्लिक कॉल ऑफिस**

| क्रमांक | सेवा प्रदाताओं का नाम | 2009–10 (मार्च '10) |
|---|---|---|
| 1 | बीएसएनएल | 16,72,178 |
| 2 | एनटीएनएल | 1,95,430 |
| 3 | निजी प्रचालक | 27,27,093 |
| | **कुल** | **45,94,701** |

## विलेज पब्लिक टेलीफोन (वीपीटी)

37. 31 मार्च, 2010 को ऐसे सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए विलेज पब्लिक टेलीफोनों (वीपीटी) की कुल संख्या, जो फिक्सड लाइन सेवाएं भी प्रदान कर रहे थे, 31 मार्च, 2009 को 5.60 लाख की तुलना में 5.76 लाख थी। **तालिका 8** ऐसे सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए वीपीटी को दर्शाती है, जो फिक्सड लाइन सेवा भी प्रदान कर रहे हैं।

**तालिका 8 : भारत में विलेज पब्लिक टेलीफोन**

| क्रमांक | सेवा प्रदाताओं का नाम | 2008–09 (मार्च' 09) | 2009–10 (मार्च' 10) |
|---|---|---|---|
| 1 | बीएसएनएल | 5,49,294 | 5,65,276 |
| 2 | एनटीएनएल | – | – |
| 3 | निजी प्रचालक | 11,245 | 10,914 |
| | **कुल** | **5,60,539** | **5,76,190** |

## राष्ट्रीय संख्यांकन योजना

38. सब्सक्राइबरों के संदर्भ में नेटवर्क की वृद्धि अत्यधिक रही है। इसका एक प्रतिकूल प्रभाव राष्ट्रीय संख्यांकन योजना (एनएनपी) 2003 द्वारा उपलब्ध कराए गए संख्याकन संसाधनों की समाप्ति है। लगभग 30 वर्ष की अवधि के लिए संख्यांकन आवश्यकाताओं की पूर्ति के लिए एनएनपी 2003 को तैयार किया गया था। यह स्थिति 2003 के बाद तेजी से बदली है। जबकि फिक्सड लाइन कनेक्शनों ने गिरावट दर्शाई है, मोबाइल सेग्मेंट ने अभूतपूर्व विकास दर्शाया है। वर्ष 2030 तक अनुमानित 450 मिलियन कनेक्शन पहले ही 2009 में प्राप्त कर लिए गए हैं तथा यह आशा की जाती है 2014 की समाप्ति से पूर्व 1 बिलियन का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एनएनपी 2003 को तैयार किए जाने के समय की गई कुछ परिकल्पनाएं अब लागू नहीं हैं, यह योजना विकास की पूर्ति करने में कमी दर्शाती है तथा इसकी पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। योजना की पुनरीक्षा की गई है तथा सिफारिशें सरकार को भेजी गई हैं।

## (iii) इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाएं

39. देश में इंटरनेट सेवाएं 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थीं। नवम्बर, 1998 में सरकार ने निजी प्रचालकों द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्र को खोल दिया। समूचे देश में इंटरनेट की पैठ को बढ़ाने के उद्देश्य से एक उदारवादी लाइसेंसिंग प्रणाली स्थापित की गई थी।

हालांकि, बड़ी संख्या में आईएसपी को इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, शीर्ष 20 आईएसपी 98.58 प्रतिशत सब्सक्राइबरों को इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड का विकास देश में अभी भी धीमा है तथा सरकार के वर्ष 2010 तक इंटरनेट एंव ब्रॉडबैंड के क्रमशः 40 मिलियन और 20 मिलियन सब्सक्राइबरों के लक्ष्य से कहीं पीछे है। नई सेवाएं जैसे आईपीटीवी, इंटरनेट टेलीफोनी, वीडियो ऑन डिमांड (वीओडी) लोकप्रिय हो रही हैं।

## ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकियाँ

40. ब्रॉडबैंड नीति 2004 के अनुसार, ब्रॉडबैंड को ऐसे "सदैव चालित" डाटा कनेक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरएक्टिव सेवाओं को समर्थित करने में समर्थ है तथा जिसमें ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए आशयित सेवा प्रदाता के प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) से किसी वैयक्तिक सब्सक्राइबर को न्यूनतम 256 केबीएस डाउन स्पीड की क्षमता है, जहां ऐसे वैयक्तिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन एकीकृत हैं तथा सब्सक्राइबर इस पीओपी के माध्यम से इंटरनेट सहित इन इंटरएक्टिव सेवाओं को एक्सेस करने में समर्थ हैं।

## इंटरनेट टेलीफोनी

41. इंटरनेट टेलीफोनी वॉयस सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) की प्रौद्योगिकी अभिनवता का उत्पाद है। भादूविप्रा की सिफारिशों के पश्चात सरकार ने इंटरनेट सेवाओं के प्रचालन के लिए 24 अगस्त 2007 को नए दिशा–निर्देश जारी किए। सभी आईएसपी, जिन्होंने नए दिशा–निर्देशों के अनुसार लाइसेंस ले लिए हैं, इंटरनेट टेलीफोनी उपलब्ध कराने के लिए पात्र हैं। इससे पूर्व दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने के लिए 125 आईएसपी को अनुमति प्रदान की थी। भादूविप्रा को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान में देश में 32 आईएसपी इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन आईएसपी को अगले पृष्ठ पर **तालिका 9** में सूचीबद्ध किया गया है।

## इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी (आईपीटीवी)

42. इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी (आईपीटीवी) आईपी नेटवर्क का प्रयोग करते हुए तथा उच्च स्पीड ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम वितरित करने और देखने की नई पद्धति है। यह अनेक देशों में तेजी से लोकप्रिय होती मूल्यवर्धित सेवा है। दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का त्वरित विकास, आईपी प्लेटफार्म की अत्यधिक क्षमताएं तथा प्रसारण क्षेत्र में बढ़ता हुआ डिजिटलीकरण, आईपीटीवी जैसी सेवाओं को गति प्रदान कर रहे हैं। भादूविप्रा की सिफारिशों के आधार पर आईपीटीवी के प्रावधान के लिए नए नीतिगत दिशा–निर्देश तथा लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तें सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग द्वारा जारी की गई हैं।

## भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन)

43. हालांकि वर्तमान में, नेटवर्क वस्तुतः पृथक हैं तथा फिक्सड सेवाएं, मोबाइल सेवाएं और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, भावी कंवर्जेंस एक सामानय प्लेटफार्म पर निष्पादित किया जाएगा जिसे भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन) कहा जाएगा। एनजीएन का प्रयोग करते हुए एक ही आईपी आधार पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। भादूविप्रा ने

## तालिका 9 : 31 मार्च 2010 को इंटरनेट सेवा प्रदाता

| क्रमांक | आईएसपी का नाम |
|---|---|
| 1 | अपना टेलीलिंक लि0 |
| 2 | एशियानेट सेटेलाइट कम्युनिकेशंस |
| 3 | ब्लेजरनेट लि0' |
| 4 | ब्रॉडबैंड पेसनेट (ए) प्रा0 लि0 |
| 5 | सिटी ऑनलाइन सविसेज़ लि0 |
| 6 | सीजे ऑनलाइन प्रा0 लि0' |
| 7 | कोर्डिया एलटी कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0 |
| 8 | डाटा इंफोसिस लि0 |
| 9 | डेल डीएसएल इंटरनेट प्रा0 लि0 |
| 10 | डिजिटल2वर्चुअल आईएसपी प्रा0 लि0 |
| 11 | डिशनेट वायरलैस लि0 |
| 12 | फास्ट लाइनक्स इंटरनेट सर्विस लि0 |
| 13 | आईएफके टेक्नालॉजीज़ लि0 |
| 14 | करूतुरी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (ईस्टेल कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0)' |
| 15 | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड |
| 16 | मनीपाल ईकॉमर्स लि0 |
| 17 | माई ओन इंफोटेक प्रा0 लि0 |
| 18 | नर्मदा साइबरजोन प्रा0 लि0 |
| 19 | नेटलिंक्स लि0 |
| 20 | ओप्टो नेटवर्क प्रा0 लि0 |
| 21 | पल्स टेलीसिस्टम्स प्रा0 लि0 |
| 22 | सिफी टेक्नालॉजीज़ लि0 |
| 23 | स्वास्तिक नेटविजन टेलीकॉम प्रा0 लि0' |
| 24 | स्विफ्टमेल कम्युनिकेशंस लि0 |
| 25 | टाटा कम्युनिकेशंस इंटरनेट सर्विसेज़ लिमिटेड (वीएसएनएल इंटरनेट सर्विसेज़ लि0) (डीआईएल इंटरनेट लि0) |
| 26 | टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड |
| 27 | टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लि0 (ह्यूजेज़ टेलीकॉम) |
| 28 | ट्राक ऑफलाइन नेट इंडिया प्रा0 लि0 |
| 29 | ट्रिकॉन इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0 |
| 30 | वीवा कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0 (माइले कारपगम्बल इंफार्मेशन सिस्टम्स (प्रा0) लि0) |
| 31 | वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसेज़ प्रा0 लि0 |
| 32 | यू ब्रॉडबैंड एंड केबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यू टेलीकॉम इंडिया प्रा0 लि0) |

''एनजीएन विनियमन मुद्दों'' पर परामर्श–पत्र जारी किया तथा मामले पर विभिन्न पणधारकों के साथ चर्चा की गई।

### ग) बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सेवा, दोनों में निजी क्षेत्र का प्रवेश

44. जीएसएम आधारित सेल्युलर मोबाइल टेलीफोनी सेग्मेंट में ड्यूपोली 1994/1995 में आरंभ की गई थी तथा प्रत्येक सेवा क्षेत्र में दो निजी सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस दिया गया था। सरकार ने तीसरे प्रचालक के रूप में प्रवेश करने का अधिकार बनाए रखा। सरकार ने 1997 में दिल्ली और मुंबई के लिए एमटीएनएल को तथा वर्ष 2000 में दिल्ली और मुंबई को छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों के लिए बीएसएनएल को तीसरा मोबाइल लाइसेंस प्रदान किया। एक बहु–चरणीय बोली प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष 2001 में एक चौथा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता शामिल किया गया।

45. एकीकृत एक्सेस सेवा (यूएएस) लाइसेंसिंग प्रणाली नवम्बर 2003 में आरंभ की गई थी। इसने एक्सेस सेवा प्रदाताओं को समान लाइसेंस के अंतर्गत फिक्सड और/अथवा मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की।

46. यूएएस लाइसेंसिंग प्रणाली के आरंभ होने के बाद से, भारत सरकार द्वारा अनेक नए यूएएस लाइसेंस जारी किए गए हैं। वर्तमान में एक सेवा क्षेत्र में सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसियों की कुल संख्या 12 से 14 है।

47. बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के लिए उत्तरोत्तर विनियामक नीतियों और उपायों ने सभी सेवा क्षेत्रों में सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं की अधिक संख्या सुनिश्चित की है। उदारीकरण के प्रारंभिक दिनों में, बुनियादी एवं सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए अलग–अलग लाइसेंस जारी किए गए थे। नवम्बर, 2003 में एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस दिशा–निर्देशों के जारी होने के पश्चात, देश में दूरसंचार एक्सेस सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी नए प्रवेशकर्ताओं को यूएएएसएल प्राप्त हो गया। वर्तमान में, दो बुनियादी (वायरलाइन) सेवा प्रदाता हैं अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)। तथापि, 226 निजी प्रचालकों के पास एकीकृत एक्सेस लाइसेंस हैं तथा वे वायरलैस और वायरलाइन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। पिछले पांच वर्षों में, एनएलडी/आईएलडी लाइसेंसी क्रमशः 24 से बढ़कर 29 तथा 4 से बढ़कर 5 हो गए हैं।

48. इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार की उदार लाइसेंसिंग नीति ने क्षेत्र में निजी प्लेयरों को ला दिया है। सरकार एवं विनियामक, दोनों ही ने क्षेत्र में समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में 374 निजी कंपनियां विद्यमान हैं जो इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

### घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतरसंयोजन

49. एक फलते–फूलते दूरसंचार क्षेत्र के परिणामस्वरूप अनेक सेवा प्रदाताओं का अभ्युदय हुआ है जो विविध सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नेटवर्कों के मध्य बाधारहित दूरसंचार को सुकर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न नेटवर्क

अंतरसंयोजित रहें। अंतरसंयोजन एक सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबर को दूसरे सेवा प्रदाताओं के सब्सक्राइबरों, नेटवर्कों तथा सेवाओं को एक्सेस करने की अनुमति देता है, जिससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। भादूविप्रा ने एक ढांचा स्थापित किया है तथा यह प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ संपर्क स्थापित करता है।

50. अंतरसंयोजन की स्थापना के लिए सेवा प्रदाताओं के उपस्करों की एक दूसरे के परिसरों में सह–स्थानिक की अपेक्षा होती है। भादूविप्रा ने 17 मार्च, 2010 को जारी परामर्श–पत्र के आधार पर सह–स्थानिक प्रभारों पर परामर्श संचालित किए है। इस संबंध मे विनियामक ढांचा तैयार किया जा रहा है।

## ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी

51. देश में सेल्युलर मोबाइल सेवा वर्तमान में मुख्य रूप से वॉयस सेवाएं प्रदान कर रही है जिसके साथ कुछ मूल्यवर्धित सेवाएं तथा अनुपूरक सेवाएं जैसे शार्ट मैसेज (एसएमएस), मोबाइल इंटरनेट, ई–मेल, चैटिंग, मोबाइल गेम्स, कांफ्रेंसिंग आदि भी शामिल हैं। अधिकांश प्रचालक जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज (जीपीआरएस), एन्हांस्ड डाटा फॉर जीएसएम एवोलूशन (ईडीजीई) अथवा ईवीडियो प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भी डाटा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पीएसयू प्रचालकों ने पहले ही 3जी और बीडब्ल्यू नेटवर्क तैनात कर दिए गए हैं तथा वे 3जी एवं बीडब्ल्यूए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि निजी प्रचालकों के लिए 3जी नीलामी 9 अप्रैल 2010 से 19 मई 2010 तक संचालित की गई थी। 2×5 मीटर हर्ट्ज के प्रत्येक सभी 71 ब्लॉक, जो देश में 22 सेवा क्षेत्रों में नीलामी के लिए रखे गए थे, नीलाम कर दिए गए। 3जी नीलामी के बाद बीडब्ल्यूए नीलामी हुई, जिसमें 20 मीटर प्रत्येक हर्ट्ज के 44 ब्लॉक नीलाम किए गए। यह आशा है कि निजी प्रचालक अपने नेटवर्कों को क्रियान्वित करेंगे जिससे 3जी एवं बीडब्ल्यूए सेवाओं के प्रावधान में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।

52. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 99 बाजारों तथा प्रौद्योगिकियों, दोनों ही के लिए कन्वर्जेंस की पक्षधर है। तथापि, यह कन्वर्जेंस अब प्रचालकों को उनकी सुविधाओं का उपयोग अन्य प्रचालकों को उनकी सुविधाओं का उपयोग अन्य प्रचालकों के लिए आरक्षित कुछ सेवाओं के लिए करने की अनुमति देता है, जिससे विद्यमान नीति ढांचे की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता हो गई है। नई दूरसंचार नीति से भी अपेक्षा है कि वह भारत को आईटी महाशक्ति बनाने के भारत के दृष्टिकोण को सुकर बनाए तथा देश में एक विश्वसनीय दूरसंचार अवसंरचना विकसित करे। अन्य बातों के अलावा, एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिस पर भादूविप्रा कार्य कर रहा है, कन्वर्जेंस के क्रियान्वयन के साधन के रूप में भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन) है। अपने पूर्व प्रयासों में, भादूविप्रा ने संभावित हस्तक्षेप के तीन क्षेत्रों को संकीर्ण बनाया हैः लाइसेंसिंग, सेवा गुणवत्ता तथा अंतरसंयोजन। इस कार्य को उद्योग के साथ संपर्क करके और भी आगे बढ़ाया जाएगा।

### इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती प्रौद्योगिकियां

53. ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियां हैं जो देश में इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही हैं जैसे डीएसएल, केबल मोडम, ईथरनेट लैन, फाइबर, वायरलैस, लीज्ड लाइन आदि। इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए अनेक नई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जैसे आईपीटीपी, इंटरनेट टेलीफोनी, वीडियो ऑन डिमांड (वीओडी)।

### वायरलैस मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इंटरनेट एक्सेस

54. मोबाइल इंटरनेट प्रौद्योगिकियां लोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि अधिकाधिक लोग चलायमान जीवन–शैली अपना रहे हैं। बीडब्ल्यू स्पेक्ट्रम जारी करने से संबंधित भादूविप्रा द्वारा आरंभ की गईं नीतिगत पहलें इन प्रौद्योगिकियों के विस्तार में सहायता प्रदान कर रही हैं।

### ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी

55. भादूविप्रा संबंधित प्रौद्योगिकियों में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों के विकास पर निरंतर नजर रखे है। देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा सर्वाधिक पसंदीदा प्रौद्यागिकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (डीएसएल) है, तथा यह क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही अन्य प्रौद्योगिकियां हैं, केबल मोडम, ईथरनेट लैन, फाइबर, वायरलैस, लीज्ड लाइन आदि।

### इंटरनेट टेलीफोनी

56. इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए वॉयस सेवा की अभिनव पद्धति है। भादूविप्रा इंटरनेट टेलीफोनी मिनटों में प्रवृत्ति का अवलोकन करके प्रत्येक तिमाही में इंटरनेट टेलीफोनी बाजार के विकास की निगरानी करता है।

### इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी (आईपीटीवी)

57. भादूविप्रा की सिफारिशों के पश्चात, आईपीटीवी के प्रावधान के लिए लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों के संदर्भ में नए नीतिगत दिशा–निर्देशों और संशोधन क्रमशः सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए हैं जिन्होंने आईपीटीवी बाजार को सहायता प्रदान की है।

## च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) का क्रियान्वयन

58. एनटीपी '99 में नागरिकों के लिए वहनीय एवं प्रभावी कनेक्शनों की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है, जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित व्यापक उद्देश्य हैं:–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी कवर न किए गए क्षेत्रों तक सार्वभौमिक सेवा के प्रावधान तथा देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ उच्च स्तरीय सेवाओं के प्रावधान के बीच संतुलन बनाने के प्रयास करना;

(ii) आईटी, मीडिया, दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के कन्वर्जेंस को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक एवं कार्यकुशल दूरसंचार अवसंरचना का सृजन करना तथा इससे भारत को एक आईटी महाशक्ति बनने की राह में प्रवृत्त करना;

(iii) सभी प्लेयरों को समान अवसर तथा समान प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश उपलब्ध कराकर दूरसंचार क्षेत्र को एक समयबद्ध तरीके से शहरी एवं ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिवेश की ओर रूपांतरित करना।

(iv) वर्ष 2002 तक 'मांग पर' टेलीफोन उपलब्ध कराना तथा इसके बाद इसे निरंतर बनाए रखना ताकि वर्ष 2005 तक 7 और वर्ष 2010 तक 15 का टेलीघनत्व प्राप्त किया जा सके;

(vi) देश के सभी गांवों में दूरसंचार कवरेज प्राप्त करना तथा वर्ष 2002 तक सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय मीडिया उपलब्ध कराना।









59. प्राधिकरण ने एनटीपी, '99 द्वारा उद्घोषित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान विविध निदेश, विनियम और परामर्श–पत्र जारी किए हैं। प्राधिकरण ने "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचे" पर अपनी सिफारिशें तैयार करने पर भी कार्य किया। इन निदेशों, विनियमों और परामर्श–पत्रों के विवरण **भाग–दो** में दिए गए हैं।

## छ) सेवा गुणवत्ता

60. भादूविप्रा को विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मापदण्ड निर्धारित करने तथा सेवा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है। तदनुसार, भादूविप्रा ने बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता विनियम जारी किए हैं जिनमें सेवा गुणवत्ता बेंचमार्क निर्दिष्ट किए गए हैं। प्राधिकरण ने 2005 के सेवा गुणवत्ता विनियमों की समीक्षा की तथा 20 मार्च 2009 को बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2009 अधिसूचित किए जो 1 जुलाई 2009 से प्रभावी हुए। इन विनियमों में कुछ विद्यमान सेवा गुणवत्ता मापदण्डों के लिए बेंचमार्कों को आशोधित किया गया है, कुछ नए सेवा गुणवत्ता मापदण्ड शामिल किए गए हैं तथा कुछ सेवा गुणवत्ता मापदण्डों को सेवा गुणवत्ता विनियमों से बाहर कर दिया गया है।

61. बुनियादी तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा के निष्पादन की भादूविप्रा द्वारा बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवा की सेवा गुणवत्ता विनियम द्वारा निर्धारित बेंचमार्कों की तुलना में सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से मॉनीटरिंग की जाती है। भादूविप्रा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएसपी) से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) कंजेशन की निगरानी भी करता है। सेवा गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं के कार्य–निष्पादन में सुधार के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती–कार्रवाई की बैठकें भी आयोजित की गईं। भादूविप्रा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच बीओआई पर कंजेशन के स्तर को भी मासिक आधार पर मॉनीटर करता है। यह पैरामीटर उस आसानी को दर्शाता है जिसके द्वारा किसी एक नेटवर्क का ग्राहक दूसरे नेटवर्क के ग्राहक के साथ बातचीत करने में समर्थ होता है। यह मापदण्ड यह भी दर्शाता है कि दो नेटवर्कों

के बीच अंतरसंयोजन कितना प्रभावी है। भादूविप्रा द्वारा बेंचमार्क अधिसूचित किया गया।

62. एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा निष्पादित सेवा गुणवत्ता के बारे में सभी पणधारकों को सूचना सुलभ कराने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने 8 फरवरी 2010 को सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को तिमाही आधार पर तीन पृथक प्रपत्रों में सेवा गुणवत्ता मापदण्ड के बेंचमार्कों के संबंध में उनका निष्पादन उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निदेश जारी किया था।

63. भादूविप्रा बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से मासिक और तिमाही आधार पर सेवा क्षेत्रवार निष्पादन मानीटरिंग रिपोर्टें प्राप्त करता है तथा सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों के संबंध में उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए इनका विश्लेषण किया जाता है। देश के कुछ प्रमुख शहरों में विद्यमान सेवा गुणवत्ता से संबंधित पृथक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले 42 शहरों के लिए सेवा प्रदाताओं से डाटा संग्रहण भी आरंभ किया है।

64. वर्ष 2009–10 के दौरान, भादूविप्रा ने मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) के प्रावधान के लिए उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के लिए ढांचे की पुनरीक्षा की तथा इस संबंध में प्राधिकरण ने 27 अप्रैल 2009 और 4 सितम्बर 2009 को दो निदेश भी जारी किए।

## ज) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ)

65. यूएसओ के संबंध में भादूविप्रा द्वारा 03.10.2001 को सरकार को दी गई सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने निधि प्रशासक के नेतृत्व वाली एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की स्थापना की। भादूविप्रा ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2005 की "ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं का विकास" के बारे में अपनी सिफारिशों में यह सुझाव दिया था कि व्यक्तिगत कनेक्शनों (डीईएल, वीपीटी आदि) पर आधारित राजसहायता को नेटवर्क अवसंरचना विस्तार आधारित दृष्टिकोण में बदला जाना चाहिए। भादूविप्रा ने यह सिफारिश की कि मोबाइल सेवाओं को यूएसओ निधि के दायरे में लाया जाए और यूएसओ द्वारा अवसंरचना सहभागिता को समर्थन प्रदान किया जाए। इसके बाद 29 दिसम्बर 2006 को भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम 2006 पारित किया गया जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, मोबाइल सेवाओं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सार्वभौमिक सेवाओं के दायरे में लाया गया। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं हेतु अवसंरचना की स्थापना के लिए यूएसओएफ से वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की है। भादूविप्रा ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिन चिंताओं का समाधान किया जाना है, उन पर अपने विचार अग्रेषित किए। भादूविप्रा ने "ग्रामीण टेलीफोनी पर दृष्टिकोण– संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपाय" पर 19 मार्च, 2009 को सिफारिशें जारी कीं।

इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्त–पोषण के बारे में कतिपय सुझावों की सिफारिशें की गई हैं। इन उपायों के विवरणों पर इस प्रतिवेदन के **भाग दो** में चर्चा की गई है।

66. वर्तमान में, यूसएओ निधि द्वारा निम्नलिखित धारा शीर्ष समर्थित किए जा रहे हैं :–

(i) धारा –I सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना सेवाओं का प्रावधान

(ii) धारा –II ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कुटुंब टेलीफोनों का प्रावधान, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए

(iii) धारा –III ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए अवसंरचना का सृजन

(iv) धारा –IV एक समयबद्ध रीति से गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान

(v) धारा –V दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना का सृजन

(vi) धारा –VI ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय विकासों का अधिष्ठापन।

# भाग– एक

## अनुबंध

# अनुबंध-I

वर्ष 2004–05 से 2009–10 तक वायरलैस (जीएसएम एवं सीडीएमए) सेवाएं (सब्सक्राइबर आधार मिलियन में)

| सेवा प्रदाता | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | 2008–09 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भारती | 10.98 | 19.58 | 37.14 | 61.98 | 93.92 | 127.62 | 35.87% |
| रिलायंस | 10.45 | 17.31 | 28.01 | 45.79 | 72.67 | 102.42 | 40.94% |
| वोडाफोन | 7.8 | 15.36 | 26.44 | 44.13 | 68.77 | 100.86 | 46.66% |
| बीएसएनएल | 9.9 | 17.65 | 30.99 | 40.79 | 52.15 | 69.45 | 33.17% |
| टाटा | 1.09 | 4.85 | 16.02 | 24.33 | 35.12 | 65.94 | 87.76% |
| आइडिया | 5.07 | 7.37 | 14.01 | 24.001 | 38.89 | 63.82 | 48.35% |
| स्पाइस | 1.44 | 1.93 | 2.73 | 4.21 | 4.13 | | |
| एयरसेल | 1.76 | 2.61 | 5.51 | 10.61 | 18.48 | 36.86 | 99.46% |
| एमटीएनएल | 1.08 | 2.05 | 2.94 | 3.53 | 4.48 | 5.09 | 13.62% |
| यूनीटेक | | | | | 0 | 4.26 | |
| सिस्टीमा | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.60 | 3.78 | 530.00% |
| लूप | 2.58 | 1.34 | 1.07 | 1.29 | 2.16 | 2.84 | 31.48% |
| एस टेल | | | | | 0 | 1.01 | |
| एचएफसीएल | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.15.38% |
| वीडियोकोन | | | | | 0 | 0.03 | |
| एटीसलत | | | | | 0 | 0.0004 | |
| कुल | 52.23 | 90.14 | 165.11 | 261.07 | 391.76 | 584.32 | 49.15% |

स्रोतः सेवा प्रदाता

* डाटा मे डब्ल्यूएलएल (एफ) सब्सक्राइबर शामिल हैं।

**31 मार्च 2010 को वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सेवा क्षेत्रवार सूची**

| क्रमांक | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | एक्सेस सेवा प्रदाता |
|---|---|---|---|
| 1 | **महानगर** | दिल्ली | भारती |
| | | | वोडाफोन |
| | | | एमटीएनएल |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | एयरसेल लि0 |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0 |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (दिल्ली) लि0* |
| | | | स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0* |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 2 | | मुंबई | लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0 |
| | | | वोडाफोन |
| | | | एमटीएनएल |
| | | | भारती |
| | | | एयरसेल लि0 |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलैस (मुंबई) प्रा0 लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 3 | | चेन्नई | एयरसेल सेल्युलर लि0 |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | वोडाफोन |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम# |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| | | | भारती# |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0 |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |

| क्रमांक | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | एक्सेस सेवा प्रदाता |
|---|---|---|---|
| | | | यूनीटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्रा0 लि0*# |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0*# |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*# |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0*# |
| 4 | | कोलकाता | भारती |
| | | | वोडाफोन |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | रिलायंस टेलीकॉम |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (कोलकाता) लि0* |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 5 | **ए सर्किल** | महा. | वोडाफोन |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | भारती |
| | | | एयरसेल लि0 |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (पश्चिम) प्रा0 लि0* |
| | | | स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0* |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 6 | | गुज | वोडाफोन |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | भारती |
| | | | एयरसेल लि0* |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (पश्चिम) प्रा0 लि0* |

| क्रमांक | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | एक्सेस सेवा प्रदाता |
|---|---|---|---|
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0* |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 7 | | आंध्र प्रदेश | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | भारती |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | वोडाफोन |
| | | | एयरसेल लि0 |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (दक्षिण) लि0 |
| | | | स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0* |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राईवेट लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 8 | | कर्ना. | भारती |
| | | | स्पाइस |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | वोडाफोन |
| | | | एयरसेल लि0 |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (दक्षिण) लि0 |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0* |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 9 | | तमिलनाडु | वोडाफोन |
| | | | एयरसेल लि0 |

| क्रमांक | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | एक्सेस सेवा प्रदाता |
|---|---|---|---|
| | | | बीएसएनएल |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम# |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज# |
| | | | भारती# |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0# |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0# |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्रा0 लि0# |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0*# |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*# |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0# |
| 10 | **बी सर्किल** | केरल | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | वोडाफोन |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | भारती |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (दक्षिण) लि0 |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 11 | | पंजाब | स्पाइस |
| | | | भारती |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | वोडाफोन |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0* |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लि0* |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0* |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |

| क्रमांक | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | एक्सेस सेवा प्रदाता |
|---|---|---|---|
| | | | एचएफसीएल इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 12 | | हरियाणा | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | वोडाफोन |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | भारती |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0* |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0 |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लि0* |
| | | | स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0* |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 13 | | उ0प्र0–प0 | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | भारती |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | वोडाफोन |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (नार्थ) प्रा0 लि0 |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0* |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 14 | | उ0प्र0–पू0 | वोडाफोन |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | भारती |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |

| क्रमांक | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | एक्सेस सेवा प्रदाता |
|---|---|---|---|
| | | | यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लि0 |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0* |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 15 | | राज | वोडाफोन |
| | | | हेक्साकॉम (भारती) |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0* |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लि0* |
| | | | ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 16 | | म0प्र0 | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | रिलायंस टेलीकॉम |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | भारती |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0* |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (पश्चिम) प्रा0 लि0* |
| | | | लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0* |
| | | | एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन) |
| | | | अलायंज़ इन्फ्राटेक लि0* |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 17 | | प0बं0 एवं अंड0 | रिलायंस टेलीकॉम |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | भारती |

| क्रमांक | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | एक्सेस सेवा प्रदाता |
|---|---|---|---|
| | | | वोडाफोन |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लि0* |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 18 | सी सर्किल | हिमाचल | भारती |
| | | | रिलायंस टेलीकॉम |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन) |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लि0* |
| | | | एस टेल लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0* |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 19 | | बिहार | रिलायंस टेलीकॉम |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | भारती |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन) |
| | | | आदित्य बिरला टेलीकॉम लि0 (आइडिया) |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) लि0 |
| | | | एस टेल लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| | | | अलायंल इन्फ्राटेक (प्रा0) लि0* |
| 20 | | उड़ीसा | रिलायंस टेलीकॉम |

| क्रमांक | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | एक्सेस सेवा प्रदाता |
|---|---|---|---|
| | | | बीएसएनएल |
| | | | भारती |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन) |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लि0 |
| | | | एस टेल लि0 |
| | | | लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0* |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज |
| 21 | | असम | रिलायंस टेलीकॉम |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | भारती |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन) |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लि0* |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | एस टेल लि0* |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0' |
| 22 | | उ0पू0 | रिलायंस टेलीकॉम |
| | | | भारती |
| | | | बीएसएनएल |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन) |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लि0* |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | एस टेल लि0* |
| | | | लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0* |

| क्रमांक | श्रेणी | सेवा क्षेत्र | एक्सेस सेवा प्रदाता |
|---|---|---|---|
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0* |
| 23 | | ज0 एवं क0 | बीएसएनएल |
| | | | भारती |
| | | | डिशनेट वायरलेस लि0 |
| | | | एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन) |
| | | | वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशसं लि0* |
| | | | आइडिया सेल्युलर लि0 |
| | | | यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लि0* |
| | | | टाटा टेलीसर्विसेज लि0 |
| | | | एस टेल लि0* |
| | | | लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0* |
| | | | सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0* |
| | | | रिलायंस इंफोकॉम |

**टिप्पणी** : *सेवा अभी आरंभ नहीं हुई है

# तमिलनाडु एवं चेन्नई के लिए एक लाइसेंस

स्रोतः दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता

## अनुबंध III

**2007–08, 2008–09 और 2009–10 के दौरान विभिन्न सर्किलों में जोड़े गए अतिरिक्त वायरलैस सब्सक्राइबर तथा वार्षिक वृद्धि दर**

(संख्या मिलियन में)

| सर्किल | अप्रैल 07 से मार्च 08 के दौरान जोड़े गए सब्सक्राइबरों की संख्या | वर्ष 2007–08 के दौरान विकास वृद्धि का प्रतिशत | अप्रैल 08 से मार्च 90 के दौरान जोड़े गए सब्सक्राइबरों की संख्या | वर्ष 2008–09 के दौरान विकास का प्रतिशत की संख्या | अप्रैल 09 से मार्च 10 के दौरान जोड़े गए सब्सक्राइबरों की संख्या | वर्ष 2009–10 के दौरान विकास का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| महानगर | 13.18 | 41.67% | 17.28 | 38.56% | 9.09 | 14.64% |
| सर्किल 'क' | 35.02 | 59.43% | 43.23 | 46.01% | 75.13 | 54.77% |
| सर्किल 'ख' | 36.28 | 61.69% | 51.75 | 54.42% | 77.15 | 52.54% |
| सर्किल 'ग' | 11.48 | 72.94% | 18.43 | 67.71% | 31.19 | 68.32% |
| अखिल भारत | 95.96 | 58.12% | 130.69 | 50.06% | 192.56 | 49.15% |

स्रोत : सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्टें

## भाग–दो

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण और प्रचालन की समीक्षा

04 जुलाई 2009 को भादूविप्रा में मंत्रिमंडल सचिव का आगमन

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण और प्रचालन की समीक्षा

1. प्रतिवेदन के भाग–एक में प्रसारण तथा केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेक्टर में विद्यमान सामान्य परिवेश का विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया गया है और 2009–2010 के दौरान सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के कार्यो में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि वह नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी, 99) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें दूरसंचार क्षेत्र में दक्षतापूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा विकास संभव हो सके और साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं वहनीय कीमतों पर उपलब्ध हों। भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के अनुसार, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण तथा केबल सेवाओं के विकास में अभिप्रेरक योगदान किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह सतत् प्रयास रहा है कि एक ऐसा माहौल सुनिश्चित किया जाए जो स्पष्ट तथा पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता हो, जिसमें सभी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर और समान परिस्थितियां मिलें, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो तथा सभी को प्रौद्योगिकीय लाभ प्राप्त हों।

2. भारत सरकार ने 9 जनवरी 2004 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा प्रसारण तथा केबल सेवाओं को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के धारा 2 (ट) के अनुसार दूरसंचार सेवाओं की परिधि में लाया गया है। इस अधिसूचना से प्रसारण तथा केबल सेवाओं का 'कैरिज' भाग भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आ गया है।

3. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत, भादूविप्रा को, अन्य बातों के साथ–साथ, लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने तथा सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, टैरिफ संबंधी नीति विनिर्दिष्ट करने, नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश संबंधी शर्तो और साथ ही सेवा प्रदाताओं के

लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है। भादूविप्रा के कार्यक्षेत्र में, टैरिफ नीति की मानीटरिंग, अंतरसंयोजन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं, कॉल रूटिंग और काल हैंडओवर के सिद्धांतों, अलग–अलग सेवा प्रदाताओं तक जनता के लिए खुला विकल्प और अभिगम की समान सुविधा, विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए विविध प्रकार के नेटवर्क ढांचों और बाजार में हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न विवादों का समाधान, विद्यमान नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की जरूरत, सेवा प्रदाताओं के बीच विचारों के आदान–प्रदान और उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण के संपर्क के लिए मंच की स्थापना करने से जुड़े मामलों पर विचार करना और निर्णय देना भी शामिल है। सरकार ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 (घ) के अंतर्गत 9 जनवरी 2004 को एक आदेश जारी किया जिसमें भादूविप्रा को उन शर्तों के बारे में सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया जिनके अनुसार ग्राहकों के लिए "एड्रेसेबल प्रणालियां" मुहैया कराई जाएंगी और पे–चैनल तथा अन्य चैनलों में विज्ञापनों के लिए अधिकतम समय विनियमित करने के लिए पैरामीटर तय किए जाएंगे। यह आदेश, भादूविप्रा को अंतरिम उपायों सहित पे–चैनलों की दरों में संशोधन की अवधि तथा उसके मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

4. अपनी नीतियों और सिफारिशों को प्रतिपादित करने के लिए भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं, उनके संगठनों, उपभोक्ता समर्थन ग्रुपों/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों जैसे विभिन्न पणधारकों के साथ आपस में तालमेल बिठाता है। प्राधिकरण ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जिसमें भादूविप्रा द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली नीति में सभी पणधारकों तथा आम जनता को उनसे राय मांगे जाने पर उनके द्वारा राय दिए जाने के माध्यम से भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में नीतिगत मुद्दों पर भिन्न–भिन्न प्रकार के विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न भागों में ओपन हाऊस बैठकें करना, ई–मेल पर तथा पत्रों के जरिए लिखित में टिप्पणियां आमंत्रित करना और स्टेकहोल्डरों तथा विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श हेतु संपर्क–सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/राजपत्र आदेशों के साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन भी दिया जाता है जिसमें वे कारण स्पष्ट किये जाते हैं जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई सहभागितापूर्ण और व्याख्यात्मक प्रक्रिया की व्यापक सराहना हुई है।

5. दूरसंचार तथा प्रसारण सेक्टर के उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के विचार जानने के लिए भादूविप्रा उनके साथ भी पारस्परिक विचार–विनिमय करता है। यह दूरसंचार सेक्टर के कार्यों से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अन्तरालों पर उनके साथ पारस्परिक विचार–विमर्श करने की प्रणाली भी अपनाता है। भादूविप्रा ने 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार सारे देश से 41 (इकतालीस) उपभोक्ता संगठनों का अपने पास पंजीकरण किया

है, और उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि इनको सुदृढ़ और सक्रिय बनाने के प्रयास किए जाते रहें। भादूविप्रा विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है और स्टेकहोल्डरों, उपभोक्ता संगठनों तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों को इन सेमिनारों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

6. वर्ष 2009–10 के दौरान भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों/विनियमों/निदेशों/परामर्श पत्रों को नीचे दिया गया है।

## (I) टैरिफ आदेश

7. वर्ष 2009–10 के दौरान भादूविप्रा ने सब्सक्राइबरों द्वारा देय पोर्टिंग प्रभार के निर्धारण के लिए "दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 (2009 का 1) दिनांक 20 नवम्बर 2009" जारी किया। सब्सक्राइबरों से उद्ग्रहित पोर्टिंग प्रभार दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 में निर्दिष्ट प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार से अधिक नहीं हो सकता है। वर्तमान में यह प्रति पोर्टिंग अनुरोध 19/– रु0 है।

## (II) विनियम

8. वर्ष 2009–10 के दौरान भादूविप्रा ने निम्नलिखित विनियम जारी किए:–

(i) दूरसंचार मोबाइल पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का संख्यांक 8) दिनांक 23 सितम्बर 2009।

(ii) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का संख्यांक 9) दिनांक 20 नवम्बर 2009।

(iii) दूरसंचार मोबाइल पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का संख्यांक 1) दिनांक 28 जनवरी 2010।

उपर्युक्त टैरिफ आदेशों और विनियमों के विवरण इस संकलन के **भाग–तीन** में दिए गए हैं।

## (iii) निदेश

9. भादूविप्रा ने आदेशों/विनियमों के अनुपालन के लिए वर्ष 2009–10 के दौरान सेवा प्रदताओं के लिए निम्नलिखित निदेश भी जारी किए:–

(i) ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवा के प्रावधान पर सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 27 अप्रैल 2009 का निदेश तथा दिनांक 4 सितम्बर 2009 का संशोधन।

(ii) अंतःसंयोजन करारों के विवरणों को दाखिल करने के लिए संशोधित पद्धति के अनुपालन के बारे में डीटीएच प्रचालकों, आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं तथा हिट्स प्रचालकों को दिनांक 29 जुलाई 2009 का निदेश।

(iii) अंतःसंयोजन करारों के विवरणों को दाखिल करने के लिए संशोधित पद्धति के अनुपालन के बारे में प्रसारकों को दिनांक 29 जुलाई 2009 का निदेश।

(iv) सेवा गुणवत्ता मापदण्डों के बेंचमार्कों पर अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए सेवा प्रदाताओं को दिनांक 10 अगस्त 2009 का निदेश।

(v) सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर सेवा गुणवत्ता बेंचमार्क के संबंध में निष्पादन से संबंधित जानकारी प्रकाशित करने के लिए सेवा प्रदाताओं को दिनांक 8 फरवरी 2010 का निदेश।

(vi) विशेष पोर्टिंग कोड के बारे में सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं तथा एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 10 फरवरी 2010 का निदेश।

(vii) सब्सक्राइबरों की सूचना की गोपनीयता तथा संप्रेषणों की गुप्तता के बारे में सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं और एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 26 फरवरी 2010 का निदेश।

10. उपर्युक्त निदेशों के विवरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

**(i) ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवा के प्रावधान पर सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 27 अप्रैल 2009 का निदेश तथा दिनांक 4 सितम्बर 2009 का संशोधन।**

11. भादूविप्रा को स्पष्ट अनुमति के बिना मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रावधान के बारे में उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों की जांच से पता चला कि ग्राहकों को प्री–कॉल उद्घोषणा (कॉल से जुड़ने से पूर्व) के माध्यम से कॉलर–ट्यूनों को डाउनलोड करने के लिए हैंडसेट में स्टार–की को दबाने की हैंडसेट में * (स्टार) की दबाकर अनायास ही अथवा बिना मरजी के ऐसी सेवाओं को सब्सक्राइब करने की संभावना बन जाती है, और इस प्रकार वे बिना स्पष्ट अनुमति के उस सेवा को सब्सक्राइब कर लेते हैं। भादूविप्रा को उपभोक्ताओं से समय–समय पर ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थीं, जिनमें उन्होंने कॉलर रिंग बैक ट्यूनों, बैकग्राउंड म्यूजिक आदि, जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं के उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना क्रियाशीलन तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसी मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए प्रभारण किए जाने के आरोप लगाए थे। इन शिकायतों की जांच से पता चला कि उपभोक्ताओं को आउट बाउंड डायलर (ओबीडी) के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है, जिसके दौरान कॉलर बैक ट्यून, बैक ग्राउंड म्यूजिक आदि बजाया जाता है तथा उपभोक्ताओं को बजाई गई धुनों में से उनकी पसंद के अनुसार एक विशेष की दबाने के लिए कहा जाता है। इन शिकायतों की जांच से यह भी पता चला कि इस पद्धति के माध्यम से मूल्यवर्धित सेवाओं के अकस्मात अथवा बिना मर्जी के क्रियाशीलन की संभावनाएं भी हैं।

12. उपर्युक्त मुद्दों का निवारण करने के लिए प्राधिकरण ने 27 अप्रैल 2009 को सभी सेवा प्रदाताओं को एक निदेश जारी किया। इस निदेश का संशोधन 4 सितम्बर 2009 को जारी किया गया। मोबाइल हैंडसेट/टेलीफोन उपकरण में कुंजियों को दबाने के माध्यम से मूल्यवर्धित सेवा प्रदान करने तथा उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने का उपबंध किया गया था। इन निदेशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

(क) प्री–कॉल उद्घोषणा के दौरान कोई भी कुंजी दबाना, जैसाकि हैलो ट्यूनों की कॉपी करने के लिए * (स्टार) दबाने में अथवा आउट बाउंड डायलर (ओबीडी) के दौरान होता है, मूल्यवर्धित सेवा के लिए स्पष्ट सहमति नहीं

माना जाएगा। सेवा प्रदाता तत्पश्चात मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश के सभी विवरणों को लिखित में अथवा एसएमएस के माध्यम से अथवा फैक्स या ई–मेल द्वारा ग्राहक को संप्रेषित करेगा तथा ग्राहक की स्पष्ट सहमति प्राप्त करेगा।

(ख) मोबाइल हैंडसेट/टेलीफोन सेट में कोई कुंजी दबाने के माध्यम से, जैसाकि हैलो ट्यूनों की कॉपी करने के मामले में * (स्टार) दबाने में अथवा आउटबाउंड डायलर (ओबीडी) के दौरान होता है, कोई भी मूल्यवर्धित सेवा क्रियाशील नहीं होगी, जब तक कि किसी निर्दिष्ट नम्बर में ग्राहक आरंभन कॉल/एसएमएस के माध्यम से अथवा किसी निर्दिष्ट नम्बर में एक संपर्क सत्र द्वारा अथवा ग्राहक आरंभन कॉल/एसएमएस के माध्यम से अथवा किसी निर्दिष्ट नम्बर में एक संपर्क सत्र द्वारा अथवा ग्राहक द्वारा लिखित में अथवा फैक्स या ई–मेल द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध द्वारा ग्राहक की स्पष्ट सहमति प्राप्त न कर ली गई हो।

(ग) उक्त पद्धति के विकल्प के रूप में, ग्राहक की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाता एक दोहरी पुष्टि पद्धति लागू कर सकता है। यह दोहरी पुष्टि पद्धति एक कुंजी के स्थान पर (*) और '9' को दबाने की व्यवस्था करती है। संशोधन में उपबंधित की गई दोहरी पुष्टि पद्धति न केवल बहुचरणीय क्रियाशीलन प्रक्रिया को सरल बनाएगी और ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रावधान में होने वाले विलंब को कम करेगी बल्कि यह ग्राहक को ऐसी मूल्यवर्धित सेवाओं के आशयित अथवा आकस्मिक क्रियाशीलन के विरूद्ध सुरक्षा भी उपलब्ध कराएगी।

(घ) संगीत अथवा वीडियो संबंधी मूल्यवर्धित सेवाएं, जैसे कॉलर रिंग बैक ट्यून, बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉल पेपर आदि उक्त रीति से उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति लिए बगैर उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, भले ही वे शुल्करहित ही क्यों न हों।

13. सेवा प्रदाताओं के लिए यह अपेक्षित है कि वे सब्सक्राइबरों को सब्सक्राइब की गई मूल्यवर्धित सेवा के नवीकरण की देय तारीख से तीन दिन पूर्व नवीकरण की देय तारीख, नवीकरण के लिए प्रभार तथा ऐसी मूल्यवर्धित सेवाओं को गैर–सब्सक्राइब करने के लिए शुल्करहित टेलीफोन नम्बर के बारे में सूचित करेंगे।

### (ii) अंतःसंयोजन करारों के विवरणों को दाखिल करने के लिए संशोधित पद्धति के अनुपालन के बारे में डीटीएच प्रचालकों, आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं तथा हिट्स प्रचालकों को दिनांक 29 जुलाई 2009 का निदेश।

14. दिनांक 29 जुलाई 2009 के निदेश सभी डीटीएच प्रचालकों, आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं तथा हिट्स प्रचालकों को जारी किए गए थे कि वे प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रसारकों के साथ किए गए प्रत्येक करार, अथवा अनुबंध, अथवा समझौता ज्ञापन, जिसे पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दें, जो उस वर्ष 30 जून को अथवा पूर्व वर्ष की 1 जुलाई से लेकर उस वर्ष 30 जून तक अवधि के भाग के दौरान वैध हों।

**(iii) अंतःसंयोजन करारों के विवरणों को दाखिल करने के लिए संशोधित पद्धति के अनुपालन के बारे में प्रसारकों को दिनांक 29 जुलाई 2009 का निदेश।**

15. दिनांक 29 जुलाई 2009 का निदेश अंतरसंयोजन करारों के विवरणों को हासिल करने के लिए संशोधित पद्धति के अनुपालन हेतु प्रसारकों को जारी किया गया था जिसमें सभी प्रसारकों को निदेश दिया गया था कि वे 30 जून 2009 को समाप्त वर्ष तथा उसके बाद के लिए प्राधिकरण के पास अंतरसंयोजन करारों के विवरणों को दाखिल करने की निर्दिष्ट पद्धति का अनुपालन करें। वार्षिक रिपोर्टिंग प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक की जानी अपेक्षित है जिसमें उस वर्ष की 30 जून तक अद्यतन बनाए गए अंतरसंयोजन करारों के विवरण शामिल हों।

**(iv) सेवा गुणवत्ता मापदण्डों के बेंचमार्कों पर अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए सेवा प्रदाताओं को दिनांक 10 अगस्त 2009 का निदेश।**

16. भादूविप्रा ने दिनांक 10 अगस्त 2009 के अपने निदेश के माध्यम से सेवा प्रदाताओं को वह रीति और अवधि अधिदेशित की है, जिस तक उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों के अनुपालन को प्रस्तुत करना है।

**(v) सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर सेवा गुणवत्ता बेंचमार्क के संबंध में निष्पादन से संबंधित जानकारी प्रकाशित करने के लिए सेवा प्रदाताओं को दिनांक 8 फरवरी 2010 का निदेश।**

17. एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा निष्पादित की गई सेवा गुणवत्ता के बारे में पणधारकों को सूचना सुलभ कराने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 8 फरवरी 2010 को निदेश जारी किए कि वे अपनी वेबसाइट पर तिमाही आधार पर तीन अलग–अलग प्रपत्रों में सेवा गुणवत्ता मापदण्डों के बेंचमार्कों के संबंध में उनके निष्पादन को प्रकाशित करें।

**(vi) विशेष पोर्टिंग कोड के बारे में दिनांक 10 फरवरी, 2010 का निदेश।**

18. भादूविप्रा ने दिनांक 10 फरवरी 2010 को एक निदेश जारी किया जिसमें मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले विशेष पोर्टिंग कोड के लिए प्रपत्र एवं वैधता को निर्दिष्ट किया गया था। इस निदेश के माध्यम से सब्सक्राइबरों द्वारा अपने सेवा प्रदाताओं से विशेष पोर्टिंग कोड प्राप्त किए जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले एसएमएस पाठ को भी निर्दिष्ट किया गया था।

**(vii) सब्सक्राइबरों की सूचना की गोपनीयता तथा संप्रेषणों की गुप्तता के बारे में सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं और एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 26 फरवरी 2010 का निदेश।**

19. लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत ग्राहकों की सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने लाइसेंसी का उत्तरदायित्व है तथा यह उत्तरदायित्व केवल संबंधित लाइसेंस करारों (सुरक्षा एजेंसियों, आदि की मॉनीटरिंग के संबंध में) के निबंधन और शर्तों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन है। तदानुसार, सेवा प्रदाता ग्राहक सूचना की गोपनीयता

सुनिश्चित करने तथा संप्रेषणों की गुणवत्ता का संरक्षण करने के लिए बाध्य है।

20. प्राधिकरण द्वारा यह देखा गया है कि सब्सक्राइबरों की सूचना की गोपनीयता तथा संप्रेषणों की गुप्तता के उल्लंघन के आरोप विभिन्न न्यायालयों तथा उपभोक्ता फोरमों के समक्ष उठाए जा रहे हैं और कुछ उपभोक्ताओं व उपभोक्ता समूहों ने इन्हें प्राधिकरण के समक्ष भी उठाया है, जो यह दर्शाता है कि सेवा प्रदाता सब्सक्राइबरों की सूचना की गोपनीयता तथा संप्रेषणों की गुप्तता को सुनिश्चित करने के लिए त्रुटिहीन तंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं।

21. लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण ने 26 फरवरी 2010 को सब्सक्राइबरों की सूचना की गोपनीयता और संप्रेषणों का गुप्तता के बारे में निदेश जारी किए।

## (IV) परामर्श पत्र

22. वर्ष 2009–10 के दौरान भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए परामर्श–पत्रों के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:–

### (v) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के लिए पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार, डिपिंग प्रभार तथा पोर्टिंग प्रभार के निर्धारण पर परामर्श–पत्रः

उपर्युक्त परामर्श पत्र 22 जुलाई 2009 को जारी किया गया था। विभिन्न पणधारकों के साथ परामर्श–प्रक्रिया के सम्यक रूप से समापन के पश्चात प्राधिकरण ने सब्सक्राइबरों द्वारा देय पोर्टिंग प्रभार के नियतन के लिए "दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 (2009 का 1) दिनांक 20 नवम्बर 2009" अधिसूचित किया। सब्सक्राइबरों से उद्ग्रहित किए जाने वाले पोर्टिंग प्रभार इस आदेश में निर्दिष्ट प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार से अधिक नहीं हो सकते हैं।

### (ii) समग्र स्पेक्ट्रम प्रबंधन तथा लाइसेंस के निबंधन और शर्तों पर परामर्श–पत्र

उक्त परामर्श–पत्र 16 अक्तूबर 2009 को जारी किया गया था जिसमे लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम निर्दिष्टीकरण तथा स्पेक्ट्रम मूल्य–निर्धारण से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया था। भादूविप्रा ने नवम्बर–दिसम्बर 2009 के दौरान ओपन हाउस चर्चाएं भी आयोजित कीं। परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों, श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अध्ययन तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने मई 2010 में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी।

### (iii) डीटीएच सेवाओं के लिए टैरिफ संबंधी मुद्दों पर अनुपूरक परामर्श–पत्र

उपर्युक्त परामर्श–पत्र 24 दिसम्बर 2009 को जारी किया गया था। इस पत्र में डीटीएच सेवाओं के मामले में बुनियादी और एड–ऑन पैकेजों के लिए टैरिफ संवितरण के कतिपय पहलुओं पर कार्रवाई की गई थी। इस परामर्श–प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अंततः जुलाई 2010 में एड्रेसेबल टीवी प्रणालियों के लिए एक टैरिफ आदेश जारी किया गया।

### (iv) प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश पर परामर्श–पत्र

समेकित एफडीआई नीति की घोषणा के पश्चात, सरकार ने भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह प्रसारण क्षेत्र के लिए विद्यमान निवेश सीमाओं पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। तदनुसार, प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमाओं पर एक परामर्श–पत्र 15 जनवरी 2010 को जारी किया गया। इस परामर्श–प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अंततः सिफारिशें तैयार की गईं जिन्हें जून 2010 को सरकार को प्रस्तुत किया गया।

### (v) "संख्यांकन संसाधनों के दक्ष उपयोग" पर परामर्श–पत्र

उपर्युक्त परामर्श–पत्र 20 जनवरी 2010 को जारी किया गया। यह परामर्श दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए संख्यांकन संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग की समीक्षा करने के लिए था। इस संबंध में सिफारिशें सरकार को अगस्त 2010 को प्रस्तुत की गई हैं।

### (vi) भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग पर नीतिगत मुद्दों पर परामर्श–पत्र

टीवी चैनलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की विद्यमान नीति पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। तदनुसार, भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग /डाउनलिंकिंग पर नीतिगत मुद्दों के संबंध में एक परामर्श–पत्र 15 मार्च 2010 को जारी किया गया। परामर्श–पत्र में विभिन्न विषयों पर विचार आमंत्रित किए गए थे जैसे संभावित उपग्रह टीवी चैनलों की अधिकतम संख्या का विश्लेषण करना, चैनलों की संख्या को सीमित करने की आवश्यकता और/अथवा टेलीपोर्ट/डीएसएनजी अपलिंकिंग सुविधा, विशेष प्रौद्योगिकी अधिदेशित करने की आवश्यकता तथा क्षेत्र में केवल गंभीर प्रतिस्पर्धियों को सुनिश्चित करने के उपाय। इस परामर्श–पत्र के परिणामस्वरूप सिफारिशें तैयार की गईं तथा उन्हें जुलाई 2010 में सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया।

### (vii) स्थापन प्रभारों पर परामर्श–पत्र

उपर्युक्त परामर्श–पत्र 17 मार्च 2010 को जारी किया गया था। इस परामर्श–पत्र का मुख्य उद्देश्य स्थापन में शामिल मुद्दों की जांच करना था ताकि दिशा–निर्देश तैयार किए जा सके, जो सेवा प्रदाताओं को प्रभावी अंतरसंयोजन की स्थापना के लिए युक्तियुक्त निबंधनों और प्रभारों पर पारस्परिक रूप से बातचीत करने और सहमत होने में सहायता प्रदान कर सकें।

### (viii) गैर–कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं से संबंधित टैरिफ मुद्दों पर परामर्श–पत्र

उपर्युक्त परामर्श–पत्र 25 मार्च 2010 को जारी किया गया था। इस पत्र में थोक और खुदरा टैरिफ के विनियमन के लिए विभिन्न कार्यविधियों पर चर्चा की गई थी। इस परामर्श–पत्र के परिणामस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय को जुलाई

2010 में गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी क्षेत्र पर एक मसौदा टैरिफ आदेश सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सहायता मिली।

23. अपनी सिफारिशें प्रदान करने, विनयम या टैरिफ आदेश तैयार करने अथवा निदेश जारी करने की प्रक्रिया में, वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान प्राधिकरण ने देश के विभिन्न भागों में कुल 09 (नौ) ओपन हाउस चर्चाएं आयोजित कीं, जिनमें सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, उनके संघों, दूरसंचार क्षेत्र में एनजीओ/उपभोक्ता संगठनों, दूरसंचार के विशेषज्ञों तथा उपभोक्ताओं ने भाग लिया। प्राधिकरण ने 3 (तीन) क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जिनमें से एक–एक कार्यशाला मैसूर (जून 2009); भुवनेश्वर (नवम्बर 2009) और इंदौर (दिसम्बर 2009) में आयोजित हुईं, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सरकार तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई पहलों के बारे में उपभोक्ता संगठनों के मध्य जागरूकता का सृजन करना था। उपभोक्ता मामलों पर बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित करने के लिए 18 सितम्बर 2009 को नई दिल्ली में सभी उपभोक्ता संगठनों और एनजीओ के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई।

24. भादूविप्रा द्वारा (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क; (ख) बुनियादी और मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश; (ग) सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतरसंयोजन; (घ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (ङ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के क्रियान्वयन; (च) सेवा गुणवत्ता; (छ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व; (ज) प्रसारण और केवल क्षेत्र; तथा (झ) अंतरराष्ट्रीय विनियामकों के साथ सहयोग के संबंध में किए गए विशिष्ट उपायों का वर्णन नीचे किया गया है:–

## क) ग्रामीण टेलीफोन/ब्राडबैंड नेटवर्क

25. भादूविप्रा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता के प्रति सदैव ही सतर्क रहा है। अक्तूबर 2008 में एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी) को समाप्त करते समय भादूविप्रा ने यह नारा दिया था "आओ ग्रामीण टेलीफोनी को और आगे बढाएं।" सेवा प्रदाताओं को 1 अप्रैल 2008 से 50 मिलियन नए ग्रामीण सब्सक्राइबरों के लिए एयरटाइम पर 75 रु0 तक की छूट की घोषणा करके ग्रामीण उपभोक्ताओं की प्रवेश बाधा को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 31 मार्च 2010 तक ऐसे ग्रामीण सब्सक्राइबरों की संख्या लगभग 27 मिलियन है जिन्होंने इन आर्थिक सहायताओं के माध्यम से नेटवर्क में स्वयं को शामिल किया है।

26. एडीसी को समाप्त करते समय, भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग से यह अनुशंसा भी की थी कि फिक्सड लाइन सेवा प्रदाताओं को 1 अप्रैल 2002 से पूर्व स्थापित की गई फिक्सड वायरलाइनों के लिए अनुरक्षण के लिए यूएसओएफ से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यह राशि 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होकर 3 वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रु0 प्रति वर्ष होनी चाहिए तथा इसकी अग्रिम भुगतान तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए। ब्रॉडबैंड के लिए फिक्सड लाइन के महत्व को तथा साथ ही इस बात को भी ध्यान में

रखते हुए यह सहायता आवश्यक समझी गई थी कि यह अत्यधिक लागत पर सृजित की गई भौतिक परिसंपत्ति है। दूरसंचार विभाग द्वारा ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं।

27. ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की पैठ अभी भी कम है। कुल 31 प्रतिशत मोबाइल कनेक्शनों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान ब्रॉडबैंड कनेक्शन केवल 5 प्रतिशत ही है। कम पैठ का मुख्य कारण गांवो तक अपेक्षित संप्रेषण मीडिया कनेक्टिविटी की गैर–उपलब्धता है। वर्तमान में, लगभग 7,50,000 मार्ग कि.मी. आप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत में उपलब्ध है। यह कनेक्टिविटी ब्लॉक मुख्यालयों तक ही उपलब्ध है। गांवो तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी का विस्तार करना बहुत महत्वपूर्ण है।

28. भादूविप्रा ने एक आंतरिक अध्ययन किया है तथा ग्रामीण स्तर तक आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए लागत की विवीक्षा का आकलन किया है। यह अनुमान लगाया गया है कि 3.74 लाख गांवों (जिनकी आबादी 500 या अधिक है) तक कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु 11.46 लाख कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 34,380 करोड़ रु0 का व्यय होगा। यह ब्रॉडबैंड नेटवर्क ग्रामीण जनता को ई–शिक्षा, ई–स्वास्थ्य आदि के साथ–साथ ई–शासन सेवाओं का प्रावधान करने में समर्थ होगा। भादूविप्रा द्वारा संचालित अध्ययन "राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना" पर एक परामर्श–पत्र के साथ समाप्त हुआ। वर्तमान में पणधारकों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

## ख) बुनियादी एवं मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

29. दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 7 जुलाई 2009 के संदर्भ के माध्यम से मई 2009 की "एक्सेस (जीएसएस/सीडीएमए) स्पेक्ट्रम आवंटन और मूल्य–निर्धारण" संबंधी समिति पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी थीं। इसके अलावा, भादूविप्रा से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह विद्यमान लाइसेंसियों को, यथास्थिति, आवंटित किए गए 2 जी स्पेक्ट्रम (जीएसएम और/अथवा सीडीएमए) और/अथवा धारण किए गए 3 जी स्पेक्ट्रम की तुलना में इन लाइसेंसों की स्थायी तौर पर वैधता बढ़ाए जाने अथवा अन्यथा के लिए विद्यमान यूएएस/सीएमटीएस के निबंधन और शर्तों पर अपनी सिफारिशें भी प्रदान करे। दिनांक 7 जुलाई 2009 और 22 जुलाई, 2009 के विशेष संदर्भ में, दूरसंचार विभाग ने 800, 900 और 1800 मीटर हर्ट्ज के अलावा सभी स्पेक्ट्रमों पर नीलामी के बारे में तथा 26 सितम्बर 2007 से 1 अक्तूबर 2007 तक प्राप्त नए यूएएस लाइसेंसों को प्रदान करने के लिए लंबित आवेदनों के संदर्भ में प्रत्येक सेवा क्षेत्र में एक्सेस सेवा प्रदाताओं की संख्या पर सीमा न लगाने की नीति पर भी भादूविप्रा से स्पष्टीकरण/सिफारिश मांगी थी।

30. चूंकि उपर्युक्त सभी मुद्दे परस्पर संबंधित थे तथा आपस में जुड़े हुए थे, भादूविप्रा ने लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम निर्दिष्टीकरण और स्पेक्ट्रम मूल्य–निर्धारण से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए 16 अक्तूबर 2009 को एक परामर्श–पत्र जारी किया।

31. स्पेक्ट्रम से जुड़े मुद्दों में वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम बैंडों की पहचान, स्पेक्ट्रम के लिए मांग और इसकी उपलब्धता का आकलन, उपलब्ध स्पेक्ट्रम का कार्यकुशल उपयोग सुनिश्चित करना, स्पेक्ट्रम के पुनर्निर्माण के लिए नीति शामिल हैं; लाइसेंसिंग मुद्दों में किसी सेवा क्षेत्र में एक्सेस सेवा प्रदाताओं की संख्या को सीमित करने की आवश्यकता, लाइसेंस से स्पेक्ट्रम की डी–लिंकिंग करना, इन लाइसेंसों की स्थायी रूप से वैधता को बढ़ाने अथवा अन्यथा के लिए विद्यमान यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंस के निबंधन और शर्तें, स्पेक्ट्रम निर्दिष्टकरण तंत्र, स्पेक्ट्रम मूल्य–निर्धारण, विलयन एवं अर्जन सहित स्पेक्ट्रम समेकन पद्धतियां, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग/शेयरिंग, प्रौद्योगिकीय उन्नति आदि शामिल हैं।

32. अधिक पारदर्शिता हासिल करने के लिए प्राधिकरण ने ओपन हाउस चर्चा आयोजित की, जो नवम्बर–दिसम्बर 2009 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गईं। इन परामर्श प्रक्रियाओं में प्राप्त टिप्पणियों, अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अध्ययन तथा इसके स्वयं के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने मई 2010 में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी।

## (ग) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सुसंगता और प्रभावी अंतरसंयोजन

33. नेटवर्कों के बीच त्रुटिविहीन दूरसंचार को सुकर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न नेटवर्क अंतरसंयोजन में रहें। लाइसेंस शर्तें भी यह निर्दिष्ट करती हैं कि सभी एक्सेस प्रदाता एक दूसरे से तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों के नेटवर्कों से अंतरसंयोजित रहें।

34. अंतरसंयोजन दूरसंचार की जीवन–रेखा है। अंतरसंयोजन एक सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों, सेवाओं तथा नेटवर्कों को दूसरे सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों, सेवाओं और नेटवर्कों द्वारा एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) ऐसे प्रभार हैं, जो एक दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे सेवा प्रदाता को, उसके नेटवर्क का किसी कॉल का आरंभन, समापन अथवा संप्रेषण/लाने ले–जाने हेतु उपयोग करने के लिए देय होते हैं। अंतरसंयोजन तथा अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों के लिए विनियामक ढांचा भादूविप्रा द्वारा विभिन्न विनियमों के माध्यम से स्थापित किया गया था।

## घ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी

35. भादूविप्रा एक प्रौद्योगिकी तटस्थ दृष्टिकोण का अनुपालन करता है। तथापि, इसका उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना है, जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता आधुनिक एवं कार्यकुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में समर्थ हो सकें तथा विरासत में मिले नेटवर्क तथा प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न की गई अड़चनों का समाधान कर सकें। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं।

### (i) यूसीसी/एनडीएनसी रजिस्ट्री

36. अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) दिनांक

5 जून 2007 अधिसूचित किए थे। इसके परिणामस्वरूप, एक राष्ट्रीय कॉल–न–करें रजिस्ट्री (एनडीएनसी) स्थापित की गई है, जो मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय डाटाबेस है जिसमें ऐसे सभी सब्सक्राइबरों के टेलीफोन नम्बरों की सूची अंतर्विष्ट है, जो यूसीसी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2007 को 17 मार्च 2008 तथा 21 मार्च 2008 को संशोधित किया गया था।

37. यह देखा गया है कि सभी टेलीमार्केटरों ने दूरसंचार विभाग के पास पंजीकरण नहीं किया है तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा पंजीकृत एवं गैर–पंजीकृत, दोनों ही टेलीमार्केटरों के विरूद्ध बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा, यह देखा गया है कि सब्सक्राइबर एनडीएनसी में पंजीकरण कराने के लिए पहल नहीं करते हैं तथा बड़ी संख्या में ऐसे सब्सक्राइबर भी यूसीसी प्राप्त होने पर उनके सेवा प्रदाताओं से शिकायत नहीं करते हैं, जो एनडीएनसी में दर्ज हैं। यह दर्शाता है कि यूसीसी पर विनियम ने सीमित परिणाम हासिल किए हैं।

38. अतः इस संबंध में विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों की समस्या का निवारण किया जा सके, जैसे अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण से निपटने के लिए भारतीय तार अधिनियम में संशोधन अथवा एक नए कानून का अधिनियमन, राष्ट्रीय कॉल–करें रजिस्ट्री की स्थापना, तथा साथ ही प्रवर्त्तन तंत्र को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है।

### (ii) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

39. दूरसंचार विभाग ने 1 अगस्त 2008 को मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी पर दिशा–निर्देश जारी किए थे। दिशा–निर्देशों में दो नम्बर पोर्टेबिलिटी जोनों (जोन 1 और जोन 2) की परिकल्पना की गई है, जिसमें 11 लाइसेंस सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

40. जोन 1 (उत्तर एवं पश्चिम भारत) के लिए मैसर्स सिनीवर्स टेक्नालॉजीज़ (I) प्रा0 लि0 को तथा एमएनपी सेवा जोन 2 (पूर्व में दक्षिण भारत) के लिए मैसर्स एमएनपी इंटरकनेक्शन टेलीकॉम सोल्यूशन्स (I) प्रा0 लि0 को दिनांक 2 मार्च 2009 को लाइसेंस जारी किए गए।

41. भादूविप्रा ने 23 सितम्बर 2009 को "दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम 2009 (2009 का 8) जारी किए। इन विनियमों में एमएनपी के सभी प्रासंगिक पहलुओं का विनियंत्रण करने के लिए एक ढांचे का उपबंध करने का आशय है जैसे मोबाइल टेलीफोन नम्बरों की पोर्टिंग के लिए स्पष्ट पात्रता शर्तें निर्धारित करना, विभिन्न पणधारकों के अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित करना, नम्बर पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण में श्रृंखला में प्रत्येक प्लेयर द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति निर्धारित करना आदि।

42. 20 नवम्बर 2009 को भादूविप्रा ने दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) जारी किए। इन विनियमों में तीन प्रकार के प्रभारों अर्थात प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार, डिपिंग प्रभार और पोर्टिंग प्रभार का उपबंध है। प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार 19/–रु0 निर्दिष्ट

किए गए हैं। डिपिंग प्रभार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा एमएनपी सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति पर छोड़ दिया गया है। पोर्टिंग प्रभार वह राशि है जो सब्सक्राइबर द्वारा प्राप्तकर्ता प्रचालक को देय है, जो प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार अर्थात 19/–रु0 से अधिक नहीं होगी।

43. सरकार ने प्रचालकों की तैयारियों पर विचार करते हुए सभी सर्किलों के लिए एमएनपी सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए सीमा को 31 दिसम्बर 2009 से बढ़ाकर 31 मार्च 2010 कर दिया है। तदनुसार, भादूविप्रा ने दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम 2010 (2010 का 1) दिनांक 28 जनवरी, 2010 जारी किए।

### (iii) भावी पीढ़ी नेटवर्क

44. एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिस पर भादूविप्रा कार्य कर रहा है, भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन) है। फिक्सड, मोबाइल और डाटा के लिए नेटवर्कों को पृथक साइलों के रूप में विकसित किया गया है तथा भविष्य में उनके अभिरक्षण से लागत में कटौती और प्रचालकों तक सेवाओं की परिधि में विस्तार होने की संभावना है। सब्सक्राइबर युक्तियुक्त लागत पर किसी सेवा प्रदाता से उनके पसंदीदा सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ होंगे। ऐसा एनजीएन के माध्यम से संभव बनाया जाएगा। अपने पूर्व के प्रयास में, भादूविप्रा ने ही संभावित हस्तक्षेप के तीन क्षेत्रों को संकीर्ण बनाया था: लाइसेंसिंग, सेवा गुणवत्ता और अंतरसंयोजन। यह कार्य उद्योग के साथ संपर्क के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।

## (ङ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) का कार्यान्वयन

45. नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी, 99) ने भादूविप्रा को सरकार द्वारा परिकल्पित अपेक्षित नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 प्राधिकरण को अंतरसंयोजन, सेवा गुणवत्ता आदि से संबंधित मुद्दों पर विनियम अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिनियम, प्राधिकरण को उसमें निर्दिष्ट मामलों पर स्वप्रेरणा से अथवा लाइसेंसर से अनुरोध प्राप्त होने पर सिफारिशें करने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। भादूविप्रा दूरसंचार टैरिफ आदेश भी अधिसूचित करता है। वर्ष 2009–10 के दौरान जिन महत्वपूर्ण विषयों पर भादूविप्रा द्वारा परामर्श प्रक्रिया/सिफारिशें जारी/आरंभ की गईं, वे निम्नानुसार हैं:–

(i) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

(ii) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के लिए पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार/डिपिंग प्रभार/पोर्टिंग प्रभार का अवधारण

(iii) स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचा

(iv) डीटीएच सेवाओं के लिए टैरिफ संबंधी मामले

(v) प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश

(vi) संख्यांकन संसाधनों का दक्षतपूर्ण उपयोग

(vii) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग नीति की समीक्षा

(viii) प्रभावी अंतरसंयोजन की स्थापना के लिए स्थापन प्रभारों की समीक्षा

(ix) गैर–कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं से संबंधित टैरिफ मुद्दे।

## च) सेवा की गुणवत्ता

46. भादूविप्रा ने दूरसंचार तथा इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:

### (i) स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सेवा गुणवत्ता का वस्तुपरक मूल्यांकन

47. बुनियादी, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित की गई जानकारी की प्रमाणिकता की जांच करने तथा सेवा गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता के विचार जानने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने (1) बुनियादी, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता के वस्तुपरक मूल्यांकन करने तथा (2) सेवा के विषय में ग्राहकों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने के लिए विषयपरक उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षणों तथा जोन आधार पर दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण तथा शिकायत निराकरण विनियम, 2007 के क्रियान्वयन एवं प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों अर्थात मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, मैसर्स वॉयस, मैसर्स टीसीआईएल एवं मैसर्स मार्केट प्लस को नियुक्त किया। इन एजेंसियों से प्राप्त हुई रिपोर्टों को पणधारकों की जानकारी के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है तथा लेखापरीक्षा/सर्वेक्षण से उत्पन्न चिंताओं के विषयों को सेवा प्रदाताओं के साथ उठाया गया है।

### (ii) सेवा गुणवत्ता निष्पादन का समाचारपत्रों में प्रकाशन

48. सेवा प्रदाताओं द्वारा निष्पादित सेवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए सेवा गुणवत्ता के मुख्य मापदण्डों के संबंध में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन के प्रकाशन के लिए बुनियादी (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2009 में प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, सेवा गुणवत्ता के मानकों के प्रमुख मापदण्डों के के संबंध में सेवा प्रदाताओं के सेवा क्षेत्रवार निष्पादन को वर्ष 2009–10 के दौरान प्रमुख समाचारपत्रों में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया है।

### (iii) सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें

49. भादूविप्रा द्वारा विनिर्दिष्ट विभिन्न मापदण्डों के लिए बेंचमार्कों के संबंध में सेवा गुणवत्ता विनियमों के अनुपालन प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा विनियमों में निर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों की तुलना में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की सूक्ष्मता से निगरानी कर रहा है। जहां कहीं बेंचमार्कों के संबंध में पाई गई कमियां ध्यान में आई हैं, मामले को संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ उठाया गया है। इसके अलावा, सेवा बेंचमार्कों की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए कमियों का निवारण करने के लिए भादूविप्रा ने सेवा प्रदाताओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ जुलाई 2007, मई 2008 और जुलाई 2009 में बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में बेंचमार्कों की प्राप्ति में कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध

कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया तथा भादूविप्रा द्वारा इसके कार्यान्वयन की निगरानी की गई।

50. भादूविप्रा मार्च 2009 में जारी सेवा गुणवत्ता विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। नए विनियमों के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी के आधार पर भादूविप्रा ने 4 फरवरी 2010 को सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को पत्र लिखे हैं जिसमें उन्हें सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों की प्राप्ति के असफल रहने के लिए स्पष्टीकरण देने तथा सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों की प्राप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके पश्चात, सेवा गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और मूल्यांकन के लिए भादूविप्रा द्वारा नियुक्त की गई स्वतंत्र एजेंसियों की रिपोर्टों के आधार पर सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं के सीईओ/सीएमडी को 5 जुलाई 2010 को पत्र भेजे गए जनमें विभिन्न विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न सेवा गुणवत्ता मापदण्डों का अनुपालन करने के लिए समय–सीमा का उल्लेख करते हुए उन्हें कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया था। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन की भादूविप्रा द्वारा निगरानी की जा रही है।

51. सेवा प्रदाताओं द्वारा यूसीसी संदेशों/एसएमएस भेजने तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई के बारे में नियमों और विनियमों को दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम (यथासंशोधित) द्वारा प्रशासित किया जाता है। प्राधिकरण ने दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें भी आयोजित कीं।

### (vi) इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की सेवा गुणवत्ता सुधारने के लिए पहलें

52. भादूविप्रा द्वारा 2 मार्च 2009 को जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी सेवा प्रदाताओं को, जो इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके द्वारा टैरिफ प्लानों, प्रक्रिया नियमावली में अपनाए गए ''कंटेशन रेशो'' के बारे में कॉल सेंटरों और उनकी वेबसाइटों के माध्यम से सब्सक्राइबरों को सूचित करने के लिए अनुदेश दिए गए थे। अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर, इन सेवा प्रदाताओं को 26 अगस्त 2009 को अनुरोध किया गया था कि वे बेहतर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके परिणामस्वरूप, उन सभी सेवा प्रदाताओं ने, जो इंटरनेट/ब्रॉडबैंड प्रदान कर रहे हैं, उनके द्वारा अनुपालन कए जा रहे ''कंटेंशन रेशो'' का प्रकाशित किया है जिससे सब्सक्राइबरों को कोई इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवा सब्सक्राइब करते समय संसूचित निर्णय लेने में सहायता मिली है।

## छ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व

53. प्राधिकरण ने ''ग्रामीण टेलीफोनी के संबंध में दृष्टिकोण – संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपाय'' पर अपनी 19 मार्च 2009 की सिफारिशों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व (निधि) आर्थिक–सहायता की मदद के साथ ग्रामीण टेलीफोनी के विकास को संवर्धित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपायों का सुझाव दिया है।

(1) यूएसएफओ प्रशासक को प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों और अंतिम निर्णय लेने के संदर्भ में प्रभावशाली रूप से शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

(2) यूएसएफओ को योजना के कार्यान्वयन की आयोजना और निगरानी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

(3) यूएसएफओ को विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए आर्थिक–सहायता अवधारित करनी चाहिए तथा कोई आईपी–।/सीएमटीएस/यूएएसएल प्रचालक, जो अभिहित एसडीसीए में टावर स्थापित करता है और उसकी साझेदारी करता है, उसे प्रचालकों के साझेदारी वाले टावर की संख्या के आधार पर आर्थिक–सहायता का भुगतान किया जाना चाहिए।

(4) यूएसएफओ को समीपस्थ ब्लॉक मुख्यालय को यूएसएफओ आर्थिक–सहायताप्राप्त टावरों से ऑप्टिकल फाइबर प्रदान करने के लिए आईपी–।/एनएलडी/यूएएस लाइसेंसियों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति मंगवाने के लिए एक स्कीम विकसित करनी चाहिए। यूएफओएफ को अधिकतम एक लाख रू0 प्रति कि.मी. प्रति साझेदारी (जिसे तीन वर्षों की अवधि के भीतर वितरित किया जाएगा) की दर से आर्थिक–सहायता प्रदान करनी चाहिए बशर्ते कि लाइसेंसी न्यूनतम एक एक्सेस सेवा प्रदाता के साथ टावर की साझेदारी करता हो।

(5) वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनलों (वीएसएटी) के लिए प्रभार (सिवाए ट्रांस्पोंडर प्रभारों के) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी वीएसएटी के लिए यूएसओएफ द्वारा आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए वहन किए जाने चाहिए।

(6) यूएसओएफ डाक विभाग से बातचीत करनी चाहिए ताकि निम्नलिखित कार्यकलापों को सुकर बनाया जा सके:

(i) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विक्रय आउटलेट के रूप में कार्य करना

(ii) पारस्परिक आधार पर सहमत कमीशन पर आधारित बिल संग्रहण केन्द्र

(iii) सब्सक्राइबर सत्यापन

(iv) दूरसंचार सेवा प्रदाता नए सब्सक्राइबर लाने के लिए कुछ कमीशन की पेशकश कर सकते हैं।

## (H) प्रसारण और केबल क्षेत्र

### (i) टैरिफ की समीक्षा

54. वर्ष के दौरान, सभी प्रसारण सेवाओं अर्थात एनालॉग केबल टीवी सेवाएं (गैर–कैस) और डिजिटल एड्रेसबल सेवाओं जैसे सीएएस, डीटीएच, आईपीटीवी और हिट्स के लिए टैरिफ की व्यापक समीक्षा की गई। इन कार्यकलापों में शामिल था – डाटा संग्रहण, पणधारकों के साथ चर्चा के अनेक दौर आदि। ये कार्यकलाप वर्ष 2010–11 में भी आगे ले जाए गए हैं।

55. गैर–कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर एक परामर्श–पत्र 25 मार्च 2010 को जारी किया गया। इस पत्र में थोक और

खुदरा टैरिफ के विनियमन के लिए विभिन्न पद्धतियों पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा, परामर्श–पत्र में अला–कार्टे, कैरिज और स्थापन शुल्क, तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए टैरिफ के मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी।

56. डीटीएच सेवाओं के लिए टैरिफ संबंधी मुद्दों पर एक अनुपूरक परामर्श–पत्र 24 दिसम्बर 2009 को जारी किया गया था। इस अनुपूरक पत्र में टैरिफ संबंधी मुद्दों, जैसे कि डीटीएच सेवाओं के मामले में बुनियादी और एड–ऑन पैकेजों के लिए टैरिफ वितरण के लिए लागू है, के कतिपय पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। यह अनुपूरक परामर्श–पत्र "टैरिफ विनियम से संबंधित डीटीएच मुद्दों तथा संदर्भाधीन नए मुद्दों" पर जारी दिनांक 06 मार्च 2009 के परामर्श–पत्र के अनुक्रम में था।

57. भादूविप्रा ने दिनांक 21 जुलाई 2010 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2010 जारी किया। टैरिफ आदेश में सभी एड्रेसबल प्रणालियों जैसे डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी तथा डिजिटल एड्रेसबल केबल टीवी को शामिल किया गया है।

### (ii) एफडीआई की समीक्षा

58. समेकित एफडीआई नीति की घोषणा के पश्चात सरकार ने प्रसारण क्षेत्र के लिए विद्यमान विदेशी निवेश सीमाओं पर अपनी सिफारिशें देने के लिए भादूविप्रा से अनुरोध किया। तदनुसार, प्रसारण क्षेत्र के लिए विद्यमान विदेशी निवेश सीमाओं पर 15 जनवरी 2010 को एक परामर्श–पत्र जारी किया गया।

### (ii) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग नीति की समीक्षा

59. टीवी चैनलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग पर विद्यमान नीति पर अपनी सिफारिशें देने के लिए भादूविप्रा से अनुरोध किया। तदनुसार, भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग पर नीतिगत मुद्दों पर 15 मार्च 2010 को एक परामर्श–पत्र जारी किया गया।

## (I) अंतरराष्ट्रीय विनियामकों से साथ सहयोग

60. भादूविप्रा ने दूरसंचार के क्षेत्र में तकनीकी और संस्थागत सहयोग बढ़ाने के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय विनियामकों/निकायों के साथ ज्ञापनों के हस्ताक्षर के लिए पहलें की हैं। विनियामकों के बीच यह सहयोग निम्नलिखित माध्यमों से स्थापित किया गया :

(i) सूचना और प्रलेखीकरण का विनिमय

(ii) द्विपक्षीय परामर्श

(iii) तकनीकी कार्यशालएं, सेमिनार, अध्ययन दौरे तथा प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन

(iv) दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक संचार विनियमन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रसार

(v) दूरसंचार और प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञों और संयुक्त कार्यकारी समूहों के मिशन

(vi) सहयोग के अन्य साधन, जो उपयुक्त लगें।

61. दो देशों के प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के अध्यधीन निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित किया गया:

(i) दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक संचार बाजारों में विनियमन, जिसमें शामिल है:

(क) दूरसंचार बाजार उदारीकरण तथा विनियामक ढांचों के लिए चुनौतियां

(ख) दूरसंचार उद्योग के लिए विधिक और विनियामक ढांचे जिसमें शामिल हैं: लाइसेंसिंग प्रणाली, अंतरसंयोजन विनियम, मूल्य विनियम, प्रतिस्पर्धा नीति, अवसंरचना साझेदारी विनियम, और अन्य विनियामक मुद्दे;

(ग) दूरसंचार सेवा आयोजना नीतियां और विनियामकों की भूमिका;

(घ) सार्वभौमिक सेवा कार्यक्रम (विनियमन और कार्यान्वयन);

(ड.) फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम विनियम;

(च) ट्रिपल प्ले सेवा विनियम, इसमें सीएटीवी एवं आईपीटीवी विनियम शामिल हैं

(छ) प्रौद्योगिकीय विकास एवं नई प्रौद्योगिकियां;

(ज) विनियामक प्रतिस्पर्धा नीति (जिसमें दूरसंचार की सार्वभौमिक सेवाएं और मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी शामिल है)

(झ) दूरसंचार और प्रसारण का अभिसरण;

(ञ) अन्य क्षेत्र, जो आपस में सहमत किए जाएं।

62. वे संगठन जिनके साथ समझौता– ज्ञापन पहले ही हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं:

(क) एनटीआरए इजिप्ट

(ख) ईईटीटी ग्रीस

(ग) एमआईसी जापान

(घ) सेंटर फॉर साउथ एशिया, सैन्फोर्ड विश्वविद्यालय, सी.ए., यू.एस.

(ड.) एएनएटीईएल, ब्राजील

**अध्यक्ष, भादूविप्रा तथा आंतरिक कार्य एवं संचार मंत्री, जापान 6 जनवरी 2010 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए**

## भाग–तीन

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कृत्य

अध्यक्ष भादूविप्रा नई दिल्ली में 12 अक्तूबर 2009 को आयोजित
एसएटीआरसी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

नई दिल्ली में 12 अक्तूबर 2009 को आयोजित
एसएटीआरसी कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिनिधि

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कृत्य

1. प्राधिकरण ने नई दूरसंचार नीति 1999 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसरण में टैरिफों पर अनेक निर्णय अधिसूचित किए है, स्वयं अपनी ओर से अथवा सरकार द्वारा इसे भेजे गए विभिन्न मामलों में अपनी सिफारिशें प्रदान की हैं, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं, लाइसेंस के निबंधन और शर्तों को लागू करने की कार्रवाई की है तथा कई मुद्दों पर कार्य शुरू किया है । विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने समूचे देश में दूरसंचार सेवाओं के सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि, उपभोक्ताओं के संवर्धन तथा इसके विशाल नेटवर्क के संदर्भ में दूरसंचार सेवाओं के विकास में काफी योगदान दिया है । इन सतत उपायों की वजह से उपभोक्ताओं को सेवा के विकल्प, दूरसंचार सेवाओं की कम दरों तथा सेवा की बेहतर गुणवत्ता आदि के संदर्भ में समग्र लाभ हुआ है। भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट विभिन्न मामलों के संबंध में भादूविप्रा द्वारा कार्यान्वित किए गए कुछ विशिष्ट कृत्यों को नीचे दिया गया है।

## क) भारत के अन्दर और भारत के बाहर दूरसंचार दरें जिनमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जा सकते हैं।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है जिन पर, भारत के अन्दर और भारत के बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा, पे–चैनलों के लिए दरों के

निर्धारण के लिए मानदण्ड निर्दिष्ट करने तथा केबल सेवाओं के लिए दरें निर्धारित करने का कार्य भी भादूविप्रा का निर्दिष्ट किया गया है। वर्ष 2009–10 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र और प्रसारण क्षेत्र में भादूविप्रा द्वारा की गई कार्रवाई के विवरणों पर निम्नलिखित पैराओं में चर्चा की गई है।

## I. दूरसंचार क्षेत्र

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है जिन पर, भारत के अन्दर और भारत के बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, जिनमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जा सकते हैं । इसमें यह व्यवस्था भी शामिल है कि प्राधिकरण एकसमान दूरसंचार सेवाओं के लिए, विभिन्न व्यक्तियों अथवा श्रेणी के व्यक्तियों हेतु, भिन्न–भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है । विभिन्न सेवाओं के लिए टैरिफ व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अलावा, भादूविप्रा को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में प्रचलित टैरिफ, विनिर्दिष्ट टैरिफ व्यवस्था के अनुरूप हों । इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण उन दरों की मानीटरिंग करता है जिन दरों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।









4. वर्तमान में, किराया, फिक्सड लाइन ग्रामीण सब्सक्राइबरों के मामले में, मोबाइल टेलीफोनी में रोमिंग सेवाओं तथा लीज्ड सर्किट के लिए निःशुल्क कॉल भत्तों और स्थानीय कॉल टैरिफों को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ प्रविरिति के अधीन हैं। सेवा प्रदाताओं को कतिपय विनियामक सिद्धांतों के अध्यधीन, जिनमें आईयूसी अनुपालन भी शामिल है, कोई भी टैरिफ पेश करने का लचीलापन प्राप्त है। दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 दिनांक 9 मार्च 1999 के अनुसार, प्राधिकरण ने कुछ समय के लिए किसी दूरसंचार सेवा अथवा उसके भाग के लिए टैरिफ नियतन करना आस्थगित कर दिया है तथा सेवा प्रदाता के पास ऐसी दूरसंचार सेवाओं के लिए कोई भी टैरिफ निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।

5. दिनांक 1 अप्रैल 1999 से लागू प्राधिकरण के दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) 1999 को विनियामक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तथा दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है जिसमें उपभोक्ता हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है तथा जो निवेश को प्रोत्साहित करने के एक संकेत के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2009–10 के दौरान प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश 2009 जारी किया, जिसके विवरण नीचे दिए जा रहे हैं।

### दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश 2009 दिनांक 20 नवम्बर 2009

6. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सब्सक्राइबरों की उस स्थिति में उनके विद्यमान मोबाइल नम्बरों को बनाए रखने का अनुमति प्रदान करती है जब वे प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे प्रदाता में अथवा एक

लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में एक सेल्युलर मोबाइल प्रौद्योगिकी से समान एक्सेस प्रदाता की प्रौद्योगिकी में अंतरित होते हैं। नए दूरसंचार सेवा प्रदाता में अंतरित होने के बावजूद विद्यमान मोबाइल टेलीफोन बनाए रखने की यह सुविधा सेवा प्रदाताओं के बीच वर्धित प्रतिस्पर्धा में सहायता प्रदान करती है तथा यह उनकी सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य भी करती है। इस दिशा में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने सब्सक्राइबरों द्वारा देय प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार निर्धारित करने के लिए 20 नवम्बर 2009 को दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 जारी किया है। सब्सक्राइबरों से उद्ग्रहित किए जाने वाले पोर्टिंग प्रभार दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 में निर्दिष्ट प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभारों से अधिक नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में यह 10/– रू0 प्रति पोर्टिंग अनुरोध है।

## टैरिफ की निगरानी

7. भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ विनियम वर्ष 1999 में दूरसंचार टैरिफ आदेश की एक अधिसूचना के साथ प्रारंभ हुआ था। इस आदेश से देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए व्यापक तथा दीर्घकालिक नीतिगत ढांचे का उपबंध किया गया था। इस आदेश द्वारा प्रारंभ हुए टैरिफ सुधार टैरिफ विनियमन के लिए एक संगत तथा पारदर्शी ढांचे का उपबंध करने पर लक्ष्यित थे जिसने टैरिफ नीति सुधार की दिशा में निवेशकों को स्पष्ट संकेत प्रदान किए । टैरिफ नीति ने यह तथ्य स्वीकार किया कि लागत आधारित टैरिफ प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा ही एक वैकल्पिक एवं पसंदीदा मार्ग है। प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत, न केवल टैरिफ लागतोन्मुखी होते हैं, साथ ही नई प्रौद्योगिकियां तथा उत्पादों को शुरू करने पर भी अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

8. भादूविप्रा प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने वाली उपयुक्त विनियामक नीतियों और उपायों के माध्यम से वहनीय टैरिफ प्राप्त करने में सफल रहा है तथा साथ ही यह सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक पारदर्शी आर्थिक सहायता तंत्र स्थापित करने में भी कामयाब रहा है। यह नीति विनियमित प्रचालकों की वित्तीय व्यवहार्यता उपलब्ध कराने, क्षेत्र में कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहा है। इसके परिणाम सब्सक्राइबर आधार के अत्यधिक विकास तथा टैरिफों में कटौती से स्पष्ट हैं। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क विश्व में तेजी से विकसित होता हुआ नेटवर्क है तथा आकार और प्रयोग के संदर्भ में यह दूसरा विशालतम नेटवर्क है।

9. दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 सेवा प्रदाता के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह सभी नए टैरिफ प्लानों तथा विद्यमान टैरिफ प्लानों में किए गए परिवर्तनों के बारे में कार्यान्वयन की तारीख से सात दिन के भीतर प्राधिकरण को सूचित करे। टीटीओं 1999 के उपबंधों के साथ अनुरूपता बनाए रखने तथा अन्य विनियामक निवारणों हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त टैरिफ आदेशों की सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जाती है।

## II. प्रसारण और केबल क्षेत्र

10. वर्ष 2009–10 के दौरान प्रसारण और केबल क्षेत्र के लिए टैरिफ से संबंधित निम्नलिखित परामर्श–पत्र जारी किए गए। इसके अलावा, अन्य कार्यकलाप जैसे डाटा–संग्रहण, योजनाबद्ध परामर्श–पत्रों पर पणधारकों के साथ संपर्क आदि भी वर्ष 2009–10 के दौरान आरंभ किए गए जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010–11 में परामर्श–पत्र जारी हुए। इस विषय पर जारी चार परामर्श–पत्र निम्नानुसार हैं:–

(i) डीटीएच सेवाओं से संबंधित टैरिफ संबंधी मामलों पर अनुपूरक परामर्श–पत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2009

(ii) हिट्स सेवाओं से संबंधित अंतरसंयोजन और टैरिफ मुद्दों पर परामर्श–पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2010

(iii) कैस अधिसूचित क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ से संबंधित मामलों पर परामर्श–पत्र दिनांक 22 अप्रैल 2010

(iv) गैर–कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ पर परामर्श–पत्र दिनांक 25 मार्च 2010

उपर्युक्त परामर्श–पत्रों पर आधारित की–गई–कार्रवाई के विवरण नीचे दिए गए हैं:–

### (i) एड्रेसेबल टीवी प्रणाली के लिए टैरिफ आदेश जारी करना :

11. डीटीएच सेवाओं के लिए टैरिफ से संबंधित मामलों पर एक अनुपूरक परामर्श–पत्र 24 दिसम्बर 2009 को जारी किया गया था। इस अनुपूरक पत्र में विशेष रूप से डीटीएच सेवाओं के मामले में बुनियादी एवं एड–ऑन पैकेजों के लिए टैरिफ वितरण के कतिपय पहलुओं पर कार्रवाई की गई थी। यह अनुपूरक परामर्श–पत्र "टैरिफ विनियमन से संबंधित डीटीएच मुद्दों तथा संदर्भाधीन नए मुद्दों" पर दिनांक 06 मार्च 2009 को जारी परामर्श–पत्र के क्रम में था। परामर्श–पत्र में अनके मुद्दों पर पणधारकों के विचार आमंत्रित किए गए थे, जैसे पैकेज विभेदन की आवश्यकता, उनकी परिभाषा, पैकेज आधारित थोक मूल्य निर्धारण की आवश्यकता, अला–कार्टे सेवा का प्रावधान तथा खुदरा स्तर पर अन्य संबंधित विषय। इसके अलावा अंतरसंयोजन हिट्स सेवाओं के टैरिफ मुद्दों पर दिनांक 06 अप्रैल 2010 को तथा कैस–अधिसूचित क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं पर 22 अप्रैल 2010 को परामर्श–पत्र भी जारी किए गए थे। इन परामर्शों के परिणामस्वरूप भादूविप्रा द्वारा जुलाई 2010 में सभी एड्रेसेबल टीवी प्रणालियों के लिए एक टैरिफ आदेश जारी किया गया, जिसमें डीटीएच, हिट्स, आईपीटीवी तथा एड्रेसेबल डिजिटल केबल टीवी प्रणालियों को शामिल किया गया था। भादूविप्रा ने केबल टीवी टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 10 में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए पहले ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लिख दिया है ताकि इस टैरिफ आदेश को अधिसूचित कैस क्षेत्रों में भी लागू बनाया जा सके।

### (ii) गैर–एड्रेसेबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ से संबंधित नीतिगत मामलों पर परामर्श–पत्र :

12. गैर–एड्रेसेबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ से संबंधित नीतिगत मामलों पर एक

परामर्श–पत्र 25 मार्च 2010 को जारी किया गया था। इस पत्र में थोक तथा खुदरा टैरिफ के विनियमन के लिए विभिन्न क्रियाविधियों पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा, वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए अला–कार्टे, कैरिज तथा स्थापन शुल्क, टैरिफ के मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी। परामर्श–पत्र जारी होने से पूर्व, गहन क्रियाकलाप भी आयोजित किए गए थे जिनमें डाटा संग्रहण, विभिन्न पणधारकों के साथ चर्चाओं के विभिन्न दौर, आदि शामिल थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भादूविप्रा को गैर–कैस क्षेत्रों के लिए एक नए सिरे से टैरिफ कवायद आरंभ करने का निदेश दिया। तदनुसार जुलाई 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय को गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी क्षेत्र पर टैरिफ आदेश के मसौदे के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय से आगामी निर्देश प्रतीक्षित हैं।

## (ख) (i) नए सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता एवं समय; (ii) नए सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस के निबंधन और शर्तें; और (iii) लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के गैर–अनुपालन के लिए लाइसेंस का रद्द होने पर सिफारिशें

13. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत भादूविप्रा के लिए प्रसारण और केबल सेवाओं के मामले में या तो स्व–प्रेरणा से अथवा अनुज्ञापक अर्थात दूरसंचार विभाग अथवा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध प्राप्त होने पर सिफारिशें करने की अपेक्षा की गई है। वर्ष 2009–10 के दौरान इस संबंध में भादूविप्रा द्वारा आरंभ की गई कुछ कार्रवाईयां नीचे दी गई हैं।

### भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन) – लाइसेंसिंग मुद्दे

14. मूल्यवर्धित सेवाओं तथा कन्वर्जेंस की बढ़ती हुई मांग भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन) की अवधारणा को प्रोत्साहित करने की हिमायत करती है। भारत में दूरसंचार प्रचालकों ने आईपी आधारित और नेटवर्क का क्रियान्वयन करके एनजीएन की ओर पहले ही अपने कदम बढ़ा दिए हैं। एनजीएन की ओर अंतरण विभिन्न चरणों में होने की संभावना है तथा इसके लिए दूरसंचार प्रचालकों द्वारा भारी निवेश अपेक्षित होगा। भारी निवेश के अलावा, इसमें विनियामक एवं प्रौद्योगिकीय मुद्दे भी शामिल होंगे, जिनका निवारण किए जाने की आवश्यकता है।

15. एनजीएन–ईको (विशेषज्ञ समिति), जो पणधारकों के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी, ने अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्ततु कर दी है। विशेषज्ञ समिति ने एनजीएन से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दों की पहचान की है, जो हैं – लाइसेसिंग, अंतरसंयोजन तथा सेवा गुणवत्ता। एनजीएन की ओर सुगमता और तेजी के साथ कदम बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त विनियामक ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से दिनांक 27 जनवरी 2009 को "भावी पीढ़ी नेटवर्क से संबंधित लाइसेंसिंग मुद्दों" पर एक परामर्श–पत्र जारी किया गया था। दो अन्य मुद्दों

अर्थात अंतरसंयोजन तथा सेवा गुणवत्ता पर परामर्श–प्रक्रिया के समाप्त हो जाने के पश्चात एनजीएन पर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

## (ग) तकनीकी सुसंगतता तथा प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करना

16. दूरसंचार और प्रसारण तथा केबल क्षेत्रों के संबंध में तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा द्वारा उठाए गए कुछ कदम नीचे वर्णित किए जा रहे हैं।

### I. दूरसंचार क्षेत्र

17. अंतरसंयोजन दूरसंचार की जीवन–रेखा है। अंतरसंयोजन एक सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों, सेवाओं और नेटवर्कों को अन्य सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों, सेवाओं और नेटवर्को द्वारा एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (यूसीसी) वे प्रभार हैं, जो एक दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा कॉल के प्रारंभन, समापन अथवा ट्रांजिट/कैरिंग के लिए दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क का प्रयोग करने के लिए उसे देय होते हैं। अंतरसंयोजन के लिए विनियामक ढांचा पहली बार भादूविप्रा द्वारा मई, 1999 में जारी किए गए विनियमों अर्थात "दूरसंचार अंतरसंयोजन (राजस्व साझेदारी पर प्रभार) विनियम 1999" द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें अतरसंयोजन प्रभारों तथा राजस्व साझेदारी व्यवस्थाओं के अवधारण के लिए कतिपय सिद्धांत निर्दिष्ट किए गए थे। इसके पश्चात, भादूविप्रा ने एक ऐसी आईयूसी प्रणाली निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण समझा जो अंतर–प्रचालक व्यवस्थाओं को अधिक निश्चितता प्रदान करे तथा अंतरसंयोजन करारों को सुकर बनाए। प्राधिकरण ने 24 जनवरी 2003 को अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम अधिसूचित किए, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ एक बहु–प्रचालक परिवेश में कॉलों के आरंभन, पारेषण तथा समापन के लिए प्रभार अंतर्विष्ट थे। इस विनिमय प्रणाली ने कॉलिंग–पार्टी–पेज (सीपीपी) प्रणाली की शुरूआत की, जो संभवतः भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास में सबसे बड़ा कारक है। सीपीपी प्रणाली के आरंभ होने से सभी आवक कॉलें निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। इस विनियम का 29 अक्तूबर 2003 के विनियम द्वारा अधिक्रमण किया गया। इस विनियम में भादूविप्रा ने सभी प्रकार की कॉलों के लिए समान समापन प्रभार निर्दिष्ट किए तथा इस प्रकार प्रणाली के क्रियान्वयन को सरल बनाया गया। समान समापन प्रभार ने विभिन्न एक्सेस प्रदाताओं तक जाने वाली और उनकी ओर से आने वाली कतिपय प्रकार की कॉलों के लिए समान टैरिफ स्तरों की दिशा में जाने को सुकर बनाया तथा केवल विनियामक नीति के ही कारण कतिपय प्रकार की कॉलों पर लागत मदों के अधिरोपण को कम कर दिया। आज लागू आईयूसी प्रणाली दिनांक 9 मार्च 2010 का विनियम है जिसमें सभी प्रकार की घरेलू वॉयस कॉलों के लिए समापन प्रभार 20 पैसे प्रति मिनट तथा आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए 40 पैसे प्रति मिनट निर्दिष्ट किया गया है। घरेलू लंबी दूरी की कॉल की सीमा 65 पैसे प्रति मिनट है। आरंभन प्रभार

निर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि यह अन्य प्रभारों के भुगतान के पश्चात टैरिफ से अपशिष्ट होगा। स्तर–II ट्रंक स्वतः एक्सचेंज से शार्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरिया (एसडीसीए) को ट्रांजिट/कैरिज प्रभार 15 पैसे प्रति मिनट तथा इंट्रा एसडीसीए ट्रांजिट प्रभार 15 पैसे प्रति मिनट से कम होगा।

18. भारत में समापन प्रभार पूरे विश्व में सबसे कम हैं। भादूविप्रा द्वारा आरंभ की गई लागत आधारित आईयूसी प्रणाली ने सेवा प्रदाताओं को सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी तरीके से समय–समय पर उनके संबंधित टैरिफों में ऊधोवर्ती संशोधन करने में सहायता प्रदान की है जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ है। भादूविप्रा के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र चीन के पश्चात विश्व का दूसरा विशालतम बाजार बन गया है। इसने मार्च 2008 में संयुक्त राष्ट्र में कनेक्शनों की संख्या को भी पार कर लिया है। वर्ष 1997 में 14.88 मिलियन लाइनों की संख्या अब जून 2010 में बढ़कर 671.69 मिलियन हो गई है।

19. अंतरसंयोजन की स्थापना में अंतरसंयोजन प्राप्तकर्ता द्वारा अंतरसंयोजन प्रदाता के परिसरों में उपस्कर की स्थापना की आवश्यकता होती है। इसे सह–स्थानिक कहा जाता है। सह–स्थानिक मे, कतिपय सुविधाओं की आवश्यकता होती है जिनमें भूमि, भवन का स्थान, उपकरण तथा संयंत्र, परिवेश के अनुकूल सेवाएं, सुरक्षा, स्थल अनुरक्षण, बिजली की स्थापनाएं, बैकअप पावर, अग्नि का पता लगाना तथा अग्नि–शमन प्रणालियां शामिल हैं। उनके महत्व पर विचार करते हुए, भादूविप्रा ने संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव विनियम, 2002 में सह–स्थानिक सुविधाओं तथा उनके प्रभारों को शामिल किया है। इस विनियम में परिकल्पित है कि जहां कहीं संभव होगा, एक पक्ष द्वारा स्वामित्व अथवा पट्टे वाले उपकरणों और संयंत्र की भौतिक सह–स्थापना की जाएगी तथा उसका प्रयोग अन्य पक्ष के परिसरों में अंतरसंयोजन के लिए किया जाएगा। जब कभी ऐसे सह–स्थानिक पारस्परिक रूप से सहमत किए जाते हैं, इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित आवक तथा आनुषंगिक अवसंरचना अंतरसंयोजन के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। जब कोई पक्ष अन्य पक्ष के परिसरों और सुविधाओं का प्रयोग करता है, जैसे विद्युत आदि, उसे अन्य पक्ष को किराए का भुगतान करना होगा।

20. इन दिशा–निर्देशों पर चर्चा करने के लिए मार्च 2010 में एक परामर्श–पत्र जारी किया गया था, ताकि सेवा प्रदाताओं द्वारा अवसंरचना प्रभारों का निर्धारण मनमाने ढंग से न किया जाए तथा वे ठोस मानदण्डों के प्रयोग पर आधारित हों। परामर्श–पत्र का मुख्य उद्देश्य सह–स्थानिक में अंतर्विष्ट मुद्दों की जांच करना था ताकि ऐसे दिशा–निर्देश तैयार किए जा सकें जो सेवा प्रदाताओं को प्रभावी अंतरसंयोजन की स्थापना हेतु सह–स्थानिक के लिए युक्तिसंगत निबंधन और प्रभारों पर पारस्परिक रूप सहमत और राजी करने में सहायक हो सकें।

21. केबल लैंडिंग स्टेशनों में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सुविधाएं एक बाधापूर्ण सुविधा है। भादूविप्रा ने इस संबंध में 2007 में विनियम जारी किए थे। इन विनयिमों में केबल लैंडिंग स्टेशनों पर भेदभावरहित उचित तथा खुली एक्सेस के लिए उपबंध किया गया था। इन विनियमों

के अनुसार केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामियों (सीएलएसओ) से अपेक्षित था कि वे इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर सीएलएस–आर आईओ प्रस्तुत करेंगे जिसमें उनके केबल लैंडिंग स्टेशनों पर एक्सेस सुविधाओं के लिए तथा सामुद्रिक केबलों के लिए सह–स्थानिक सुविधाओं के निबंधन एवं शर्तें अंतर्विष्ट होंगी। प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीएलएस–आरआईओ अनुमोदन के 15 दिन के भीतर प्रकाशित किए जाने थे। इसके पश्चात, केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामियों ने अनुमोदन के लिए अपने आरआईओ प्रस्तुत किए जिनमें टैरिफ शामिल थे। जबकि अन्य आरआईओ को पूर्व में अनुमोदित किया गया था, बीएसएनएल ने अपना सीएलएस–आरआईओ उस समय प्रस्तुत किया जब उनका सीएलएस वाणिज्यिक दृष्टि से प्रचालन में आ गया तथा प्राधिकरण ने उनका तूतीकोरीन केबल लैंडिंग स्टेशन 22 मई 2009 को अनुमोदित किया। इन आरआईओ ने अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ का प्रयोग करते हुए व्यवसाय में सहायता प्रदान की है।

## II. प्रसारण और केबल क्षेत्र

22. भादूविप्रा की सिफरिशों के आधार पर, सरकार ने नवम्बर 2009 में हैड–एंड–द–स्काई (हिट्स) प्रचालनों के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश जारी किए थे, जो देश में सभी केबल प्रचालकों को डिजिटल और एड्रेसेबल टीवी चैनलों की एक्सेस प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। नवम्बर 2009 में हिट्स पर नीति के घोषणा के उपरांत भारत सरकार ने भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह हिट्स के लिए टैरिफ और अंतरसंयोजन विनियमों की समीक्षा करे। इन क्रियाकलापों को वर्ष 2010–11 में भी आगे ले जाया गया है।

## (घ) दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने से उत्पन्न उनके राजस्व की साझेदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था का विनियमन

23. सामान्य कॉलों के मामले में, प्रारंभिक सेवा प्रदाता ग्राहकों को बिल देता है

**विद्यमान अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार**

| | |
|---|---|
| प्रारंभन प्रभार | प्रविरिति के अधीन |
| समापन प्रभार | सभी प्रकार की घरेलू कॉलों के लिए समान अर्थात फिक्सड से फिक्सड, फिक्सड से मोबाइल, मोबाइल से फिक्सड और मोबाइल से मोबाइल 20 पैसे/मिनट |
| 3 जी वॉयस कॉलों के लिए समापन प्रभार | 2 जी वॉयस कॉलों के समान |
| आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए समापन प्रभार | 40 पैसे प्रति मिनट |
| घरेलू कैरिज प्रभार | 0.65 पैसे प्रति मिनट की सीमा |
| अंतरराष्ट्रीय कैरिज प्रभार | प्रविरिति के अधीन |
| एसएमएस के लिए आईयूसी | प्रविरिति के अधीन। तथापि, इन प्रभारों को पारदर्शी, पारस्परिक तथा गैर–भेदभावपूर्ण होना चाहिए। |

तथा राजस्व वसूलता है। तथापि, कॉल में, कॉल को कैरी करने में समापन सेवा प्रदाता तथा लंबी दूरी के सेवा प्रदाता के नेटवर्क में कार्य शामिल होता है, यदि यह एक लंबी दूरी की कॉल है। आरंभन सेवा प्रदाता को उस अन्य सेवा प्रदाता के साथ राजस्व की साझेदारी करनी होती है, जो कॉल के समापन में सहायता करता है। समुचित लागत–आधारित वितरण के लिए भादूविप्रा ने एक ऐसी आईयूसी प्रणाली स्थापित की है, जो अंतर–प्रचालक भुगतान को विनियंत्रित करती है। पूर्व पृष्ठ की तालिका इन प्रभारों को दर्शाती है।

## (ङ) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय एवं लंबी दूरी के सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समयावधि

24. पारदर्शिता, पूर्वअनुमानिता तथा युक्तिसंगतता सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराने तथा एक गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से डीएलसी/लोकल लीड के प्रावधान की अनुमति देने के लिए भादूविप्रा ने 14 सितम्बर 2007 को डीएलसी विनियम जारी किए। इन विनियमों में ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए किसी माध्यम में अर्थात कॉपर, फाइबर, वायरलैस आदि पर उपलब्ध कराए गए डीएलसी और स्थानीय लीड शामिल हैं। ये विनियम सभी सेवा प्रदाताओं, जिनके पास कॉपर, फाइबर अथवा वायरलैस की क्षमता है, तथा जिन्हें डीएलसी प्रदान करने के लिए लाइसेंस के तहत अनुमति प्रदान की गई है, के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि वे इसकी साझेदारी अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ करें। डीएलसी विनियमों के लाभों का विश्लेषण करने तथा इनके वर्णित प्रयोजन के संदर्भ में विनियमों की प्रभाविता का आकलन करने के लिए सेवा प्रदाताओं को मई 2009 को एक पत्र भेजा गया था। प्राप्त उत्तरों के विश्लेषण से यह पता चला है कि डीएलसी विनियमों के जारी करने के बाद से, डीएलसी/स्थानीय लीडों का प्रावधान सुकर हो गया है।

## (च) लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

25. यह कार्य भादूविप्रा द्वारा बहु–चरणीय दृष्टिकोण से किया जाता है। इनमें से एक दृष्टिकोण सेवा प्रदाताओं से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों के माध्यम से पूरा किया जाता है। एक अन्य दृष्टिकोण की उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठनों, विशेषज्ञों आदि से प्राप्त फीडबैक/अभ्यावेदनों के माध्यम से पूर्ति की जाती है। कतिपय मामलों में, भादूविप्रा ने अपनी स्वयं की पहल पर लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है। भादूविप्रा द्वारा की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

### (i) सब्सक्राइबरों की सूचना की गोपनीयता तथा संप्रेषणों की गुप्तता के बारे में निदेश दिनांक 26 फरवरी 2010

26. उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने के लिए, भादूविप्रा ने "सब्सक्राइबरों की सूचना की गोपनीयता और संप्रेषणों की गुप्तता" पर दिनांक 26 फरवरी 2010 के अपने निदेश में सभी सेवा प्रदाताओं (सीएमपीएस/यूएएसएल) को निम्नलिखित पर लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया है:–

(क) सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करना, जैसाकि लाइसेंस की शर्तों में दिया गया है;

(ख) एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना करना ताकि सब्सक्राइबरों की सूचना की गोपनीयता तथा संप्रेषण की गुप्तता के उल्लंघन का निवारण किया जा सके।

(ग) इस निदेश के जारी होने के पंद्रह दिन के भीतर प्राधिकरण को सब्सक्राइबरों की सूचना को गोपनीयता तथा संप्रेषणों की गुप्तता को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों के विवरण प्रस्तुत करना।

### (ii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का परीक्षण

27. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं लाइसेंसिंग शर्तों के अनुपालन में हैं, विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा दाखिल किए गए टैरिफ की तकनीकी एवं लाइसेंसिंग कोण से भादूविप्रा में जांच की जाती है।

## (छ) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने के लिए उठाए गए कदम

28. दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने के लिए किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं:–

### (i) मीटरिंग एवं बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा

29. भादूविप्रा ने 21 मार्च 2006 को सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग एक्यूरेसी के लिए प्रक्रिया संहिता) विनियम, 2006 जारी किए थे। इसका उद्देश्य था (i) मीटरिंग एवं बिलिंग के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन की गई पद्धतियों में एकरूपता और पारदर्शिता लाना; (ii) मापन की गई सटीकता, बिलिंग की विश्वसनीयता के संबंध में मानक निर्दिष्ट करना; (iii) समय–समय पर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही बिलिंग सटीकता का मापन करना तथा इसकी तुलना मानकों के साथ ताकि निष्पादन के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके; (iv) बिलिंग शिकायतों की घटनाओं को कम करना; तथा (v) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। विनियम सेवा प्रदाताओं को भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित लेखापरीक्षकों में से किसी एक के माध्यम से वार्षिक आधार पर उनकी मीटरिंग एवं बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा की व्यवस्था करने तथा उस संबंध में प्रत्येक वर्ष की 30 जून से पूर्व एक लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र भादूविप्रा को प्रस्तुत करने का अधिदेश देता है। यह विनियम यह भी उपबंध करता है कि सेवा प्रदाताओं को प्रमाण–पत्र में एजेंसी द्वारा इंगित की गई अपर्याप्तताओं, यदि कोई है, पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी तथा वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर से पूर्व उस पर की–गई–कार्रवाई की रिपोर्ट भादूविप्रा के पास दाखिल करेंगे। वर्ष 2009–10 की लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी है। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई बिलिंग समस्याओं का निवारण करने के लिए सेवा प्रदाताओं की सहायता की है।

### (ii) उपभोक्ता शिक्षा और उपभोक्ता संगठनों का क्षमता–निर्माण

30. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अनेक आदेश, विनियम और निदेश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य दूरसंचार

क्षेत्र का विकास और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण है। तथापि, भादूविप्रा के पास पंजीकृत उपभोक्ता हितैषी समूहों (सीएजी) के साथ अर्ध–वार्षिक संपर्कों के दौरान यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश संगठन तथा साथ ही उपभोक्ता उनके हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार और भादूविप्रा द्वारा की गई पहलों के बारे में अवगत नहीं हैं। अतः प्राधिकरण ने विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य 2007 के बाद से की गई इन पहलों के बारे में उपभोक्ता संगठनों और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता का सृजन करना है। वर्ष 2009–10 के दौरान, तीन ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। पहली कार्यशाला जून, 2009 में मैसूर में, दूसरी नवम्बर, 2009 में भुवनेश्वर में तथा तीसरी दिसम्बर, 2009 में इंदौर में आयोजित की गई। देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कार्यशालाओं की योजना बनाई गई है। भादूविप्रा उन सीएजी को भी इसमें शामिल करने की योजना बना रहा है जिन्होंने उपभोक्ताओं के लाभ के लिए जिला/ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाओं को आयोजित करने की पहलों के विषय में पर्याप्त ज्ञान और जागरूकता हासिल की है। सेवा प्रदाताओं को उनके संबंधित सेवा क्षेत्रों में ओपन हाउस सत्र/ऐसी ही कार्यशालाएं आयोजित करने का परामर्श भी दिया गया है।

### (iii) पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों और एनजीओ के साथ आवधिक बैठक

31. भादूविप्रा के पास पंजीकृत सभी उपभोक्ता संगठनों तथा एनजीओ की एक बैठक 18 सितम्बर 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसका उद्देश्य उपभोक्ता विषयों पर उनके मूल्यवान सुझाव प्राप्त करना था।

### (iv) दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (सीयूटीसीईएफ) पर समिति का गठन

32. दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 दिनांक 15 जून 2007 के अनुसरण में 31 अगस्त 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं सरंक्षण निधि समिति (सीयूटीसीईएफ) गठित की गई जिसमें भादूविप्रा के पास पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों/एनजीओ के प्रतिनिधि तथा सेवा प्रदाता शामिल हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि से निधि के उपयोग से संबंधित विभिन्न उपभोक्ता संबंधी कार्यकलापों के आयोजन पर प्राधिकरण को सिफारिशें करने के लिए समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

### (v) दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निगरानी प्रणाली (टीसीजीएमएस)

33. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निगरानी प्रणाली (टीसीजीएमएएस) का विकास करने की प्रक्रिया में है, जो दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं को उस समय उनके संबंधित सेवा प्रदाताओं तक पहुंच स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगी, जब उनकी कोई शिकायत होगी। यह प्रणाली राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एनआईपी) के इंटरनेट डाटा सेंटर पर डाली गई एक मल्टी–यूजर वेब आधारित अनुप्रयोग है। यह अनुप्रयोग सभी पणधारकों

जैसे उपभोक्ता, सेवा प्रदाताओं के नोडल अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी को समूचे देश में विभिन्न सेवा क्षेत्रों में वेब ब्राउजर के माध्यम से सुलभ रहेगा। यह प्रणाली विकास/परीक्षण की अंतिम अवस्था में है तथा इसके शीघ्र ही आरंभ किए जाने की संभावना है।

## ज) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम ताकि ऐसी सेवाओं का विकास किया जा सके

34. भादूविप्रा ने सदैव ही ऐसी नीतियां स्थापित करने का प्रयास किया है जो समसामयिक हों तथा विकास के अनुरूप हों और साधारण एवं व्यावहारिक हों। इनसे प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना, राजस्व तथा उपभोक्ता कल्याण पर अपेक्षित प्रभाव पड़ता है। यह इस तथ्य के प्रति सतर्क है कि उपयुक्त व्यापारिक कार्य–नीतियां तैयार करने, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक निश्चितता महत्वपूर्ण है और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अभिनवता के फल प्राप्त होते हैं। भादूविप्रा ने संपूर्ण गंभीरता के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए कार्य किया है। सिफारिशों/विनियमों/टैरिफ आदेशों/निदेशों आदि के रूप में उपाय उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

35. दूरसंचार बाजार के सभी खण्डों के वैश्विक रूप से खोले जाने से अंतरसंयोजनों की बहुलता में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में अंतरसंयोजनों की संख्या अत्यधिक विशाल हो गई है जिससे अंतरसंयोजन परिदृश्य कुछ जटिल बन गया है। इस स्थिति को एक सेवा क्षेत्र के भीतर प्रत्येक सेवा के लिए लाइसेंसियों की संख्या ने और भी जटिल बना दिया है। दूरसंचार बाजार में नए प्रवेशकर्ताओं के पास बातचीत में पेशकश प्रदान करने के लिए, विभिन्न सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के मध्य प्रभावी अंतरसंयोजन व्यवस्थाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने तथा उनके मध्य निपटानों की अत्यधिक निश्चितता उपलब्ध कराने के लिए भादूविप्रा ने समय–समय पर विभिन्न विनियम/अवधारण/निदेश जारी किए हैं जो उद्योग की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं, बाजार की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं तथा देश में दूरसंचार वृद्धि के समग्र उद्देश्य को सहायता देते हैं।

36. दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009–10 के दौरान भादूविप्रा द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित किए गए हैं।

### (1) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 जारी किए दिनांक 23 सितम्बर 2009

37. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सब्सक्राइबरों को उस समय अपना विद्यमान मोबाइल टेलीफोन नम्बर बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है जब वे मोबाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे में अथवा

किसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एक सेल्युलर मोबाइल प्रौद्योगिकी से समान एक्सेस प्रदाता की किसी अन्य प्रौद्योगिकी में अंतरित होते हैं। किसी नए दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास अंतरित होने के बावजूद विद्यमान मोबाइल टेलीफोन नम्बर को बनाए रखने की सुविधा सब्सक्राइबर को अपने मित्रों/ग्राहकों के साथ संपर्क स्थापित रखने में सहायता करती है। एमएनपी की शुरूआत सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा सेवा प्रदाताओं को उनकी सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने में मदद करती है।

38. इन विनियमों में निम्नलिखित के माध्यम से एमएनपी के सभी प्रासंगिक पहलुओं को विनियंत्रित करने वालो एक ढांचा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है:–

(क) मोबाइल टेलीफोन नम्बरों की पोर्टिंग के लिए स्पष्ट पात्रता शर्तें निर्धारित करना;

(ख) विभिन्न पणधारकों अर्थात दाता प्रचालक, प्राप्तकर्ता प्रचालक, एमएनपी सेवा प्रदाता के अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित करना;

(ग) नम्बर पोर्टिंग अनुरोध का प्रक्रमण करने की श्रृंखला में प्रत्येक प्लेयर द्वारा अनुपालन की जाने वाली पद्धतियों को निर्धारित करना;

(घ) श्रृंखला में अर्थात दाता प्रचालक, प्राप्तकर्ता प्रचालक और एमएनपी सेवा प्रदाता प्रत्येक प्लेयर द्वारा विभिन्न कदमों को पूर्ण करने के लिए स्पष्ट समय–सीमाएं निर्दिष्ट करना, और

(ङ) उपभोक्ता को सेवा के न्यूनतम व्यवधान की परिकल्पना।

**इन विनियमों के अंतर्गत एमएनपी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:**

(i) एमएनपी सुविधा केवल एक निश्चित लाइसेंस सेवा क्षेत्र के भीतर ही उपलब्ध होंगी।

(ii) मोबाइल नम्बर रखने वाला एक सब्सक्राइबर अपने मोबाइल कनेक्शन की क्रियाशीलता की तारीख से 90 दिन के पश्चात ही पोर्टिंग अनुरोध करने के लिए पात्र होगा। यदि नम्बर एक बार पोर्ट किया गया है, तो पूर्व पोर्टिंग की तारीख से 90 दिन के पश्चात ही वह नम्बर पुनः पोर्ट किया जा सकेगा।

(iii) जो सब्सक्राइबर अपना मोबाइल नम्बर पोर्ट कराने के इच्छुक हैं, वे प्राप्तकर्ता प्रचालक (वह प्रचालक जिसे सब्सक्राइबर अपना नम्बर पोर्ट करना चाहता है) से संपर्क स्थापित करेंगे। सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग प्रभार, यदि कोई है, का भुगतान प्राप्तकर्ता प्रचालक को किया जाना अपेक्षित है।

(iv) पोर्टिंग अनुरोध करने वाले सब्सक्राइबर को पोर्टिंग अनुरोध करने की तारीख से पूर्व उसे जारी सभी बिलों का भुगतान करना अपेक्षित है। यह एक वचन भी देगा कि उसने पोर्टिंग अनुरोध की तारीख को दाता प्रचालक को देय सभी बिलों का पहले ही भुगतान कर दिया है तथा यह कि वह अपनी वास्तविक पोर्टिंग तक मोबाइल नम्बर से संबंधित दाता प्रचालक की सभी देयताओं का

भुगतान कर देगा तथा वह यह समझता है और सहमत है कि दाता प्रचालक को ऐसी किसी देय राशि का भुगतान किए जाने की स्थिति में, पोर्ट किया गया मोबाइल नम्बर प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा विच्छेदित कर दिया जाएगा।

(v) कोई सब्सक्राइबर प्राप्तकर्ता प्रचालक को अनुरोध प्रस्तुत किए जाने के 24 घंटे के भीतर अपना पोर्टिंग अनुरोध वापिस ले सकता है। तथापि, पोर्टिंग प्रभार वापस नहीं होंगे।

(vi) विनियमों में जम्मू–कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस क्षेत्रों को छोड़कर, जहां अधिकतम अनुमेय समय 12 दिन है, सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में पोर्टिंग प्रक्रिया की पूर्ति के लिए 4 दिन की अधिकतम समय–सीमा परिकल्पित की गई है।

(vii) एक्सेस प्रदाताओं को सभी कॉल क्वेरी पद्धति का क्रियान्वयन करना आवश्यक है।

(viii) आरंभकर्ता प्रचालक सभी कॉलों को सही समापन नेटवर्क में रूट करने के लिए उत्तरदायी होगा।

### (2) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 1) दिनांक 28 जनवरी 2010

39. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) दिनांक 23 सितम्बर 2009 जारी किए थे जिसमें देश में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी संव्यवहार प्रक्रिया ढांचा निर्धारित किया गया था।

40. उस समय पर सेवा प्रदाताओं की तैयारियों तथा शामिल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी सर्किलों के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्व्यन के लिए समय को 31 दिसम्बर 2009 से बढ़कर 31 मार्च 2010 करने का निर्णय किया।

41. तदनुसार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में संशोधन किया गया है

### (3) विशेष पोर्टिंग कोड से संबधित निदेश दिनांक 10 फरवरी 2010

42. भादूविप्रा ने 10 फरवरी 2010 को एक आदेश जारी किया जिसमें मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रयोग किए जाने विशेष पोर्टिंग कोड के प्रपत्र और वैधता को निर्दिष्ट किया गया था। इस निदेश के माध्यम से, सब्सक्राइबरों द्वारा अपने सेवा प्रदाता से विशेष पोर्टिंग कोड प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एसएमएस के पाठ को भी निर्दिष्ट किया गया था।

### (4) भारत में दूरसंचार प्रचालकों के बीच अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) प्रणाली की शुरूआत

43. अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार को विनियंत्रित करने वाले विनियमों में अंतर–प्रचालक निपटानों के लिए प्रणाली निर्दिष्ट की गई है। यह अंतर–प्रचालक व्यवस्थाओं को निश्चितता प्रदान करता है तथा अंतरसंयोजन करारों को सुकर बनाता है।

### (5) घरेलू लीज्ड सर्किट

44. घरेलू लीज्ड सर्किट विनियंत्रित करने वाले विनियम ऐसा ढांचा उपलब्ध कराते हैं जो डीएलपी/स्थानीय लीड के प्रावधान में पादर्शिता, अनुमानिता और युक्तिसंगतता

सुनिश्चित करता है और एक गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से डीएलसी/ स्थानीय लीड के प्रावधान की अनुमति देता है। ये विनियम प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं और सेवा प्रदाता तथा अंत्य–प्रयोक्ता, दोनों के लिए लाभदायक है।

## (6) एनएलडीओ और आईएलडीओ द्वारा कॉलिंग कार्ड जारी करना

45. उपभोक्ता को लंबी दूरी के कैरियर का विकल्प प्रदान करने के लिए भादूविप्रा ने यह अनुशंसा की थी कि एनएलडीओ और आईएलडी लाइसेंस की शर्तों को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए ताकि एनएलडीओ/आईएलडीओ को कॉलिंग कार्डों के माध्यम से केवल क्रमशः राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वॉयस टेलीफोनी सेवाओं के प्रावधान के लिए उपभोक्ताओं को सीधे एक्सेस करने की अनुमति प्राप्त हो जाए। दूरसंचार विभाग द्वारा भादूविप्रा की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा एनएलडी और आईएलडी लाइसेंसों में आवश्यक संशोधन भी कर दिए गए हैं।

## (7) केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं की एक्सेस

46. केबल लैंडिंग स्टेशन बाधापूर्ण सुविधाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय लीज्ड लाइन खण्ड में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए भादूविप्रा ने एक विनियम तैयार किया जो अंतरराष्ट्रीय गेटवे सुविधाएं रखने वाले आईएलडीओ और आईएसपी को सीधे कंसोर्टियम से अंतरराष्ट्रीय केबलों पर बैंडविड्थ संकुचित करने तथा एक उचित एवं भेदभावरहित तरीके से तीसरे पक्षों द्वारा देश के भीतर स्वामित्व वाले केबल लैंडिंग स्टेशनों के माध्यम से बैंडविड्थ का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।

## (8) संख्यांकन संसाधनों का प्रयोग

47. एक विनियामक उपकरण के रूप में संख्यांकन का महत्व हाल ही में अत्यधिक बढ़ गया है क्योंकि नम्बरों की पर्याप्त, उचित एवं पारदर्शी एक्सेस एक प्रतिस्पर्धात्मक दूरसंचार बाजार सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य भाग बन गई है। ऐसी सेवाओं में विकास को सुकर बनाने के लिए दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता थी जो संख्याकन विविक्षाओं के साथ विविध प्रतिस्पर्धी मुद्दों को भी विनियंत्रित कर सकें। इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाएं, कॉलिंग कार्डों के माध्यम से लंबी दूरी के प्रचालकों का चयन, आपातकालीन सेवाएं, नम्बर पोर्टेबिलिटी और विशेष सेवाओं जैसी सेवाएं संख्यांकन विविक्षाओं से ग्रसित होती हैं, जिनमें अंतर–प्रचालनात्मकता और प्रभारण मुद्दे अंतर्निहित होते हैं। यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि आवंटन और निर्दिष्टीकरण मापदण्ड अन्य प्रतिस्पर्धी सेवाओं के मुकाबले किसी एक सेवा को वाणिज्यिक लाभ प्रदान न करें। संख्यांकन योजना में पर्याप्त संशोधन करना जटिल, समय लेने वाली एवं महंगी प्रक्रिया है। अतः इस बात की आवश्कयता है कि इन संसाधनों का एक प्रबंधित एवं नियंत्रित तरीके से इष्टतम प्रयोग किया जाए। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चारों ओर अत्यंत तेजी से विकास हुआ है तथा

यह विशेष रूप से सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के क्षेत्र में हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, भादूविप्रा को संख्याकन संसाधनों के कार्यकुशल उपयोग की समीक्षा करनी पड़ी तथा दूरसंचार सेवाओं के पर्याप्त विकास के लिए कतिपय संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने पड़े। इस संबंध में सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भिजवा दी गई हैं।

### (9) भावी दूरसंचार परिदृश्य तथा विनियमों पर सेमिनार

48. दूरसंचार क्षेत्र में हुए विकास ने हमारे देश के समग्र आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पिछले दशक में दूरसंचार विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सब्सक्राइबरों की वृद्धि तथा मांग ने भारतीय दूरसंचार उद्योग को निरंतर विकसित होने के लिए बाध्य किया है। मोबाइल क्रांति, आईपी नेटवर्कों की व्यापक स्वीकार्यता, नेटवर्कों, उपकरणों और सेवाओं के अभिसरण, निरंतर परिवर्तनीय प्रयोक्ता आदतों तथा सोशल नेटवर्किंग साइटों की बढ़ती हुई लोकप्रियता आदि भावी दूरसंचार को दिशा प्रदान कर रहे हैं। यह न केवल सेवा प्रदाताओं की सेवा आवश्यकताओं और व्यापारिक मॉडलों पर प्रभाव डालेगा बल्कि इसके लिए नीति और विनियामक ढांचे में पर्याप्त परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता भी पड़ेगी।

49. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने इस निरंतर परिवर्तनीय दूरसंचार परिवेश में नीति, प्रौद्योगिकी, विनियमों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए 22–23 फरवरी 2010 को नई दिल्ली में "भावी दूरसंचार परिदृश्य और विनियम" पर एक सेमिनार आयोजित किया। दो दिन के इस सेमिनार को पांच सत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में इन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया – विज़न 2015, प्रौद्योगिकी उद्भव एवं चुनौतियां, अनुप्रयोग एवं कंटेंट विकास, ग्रामीण संचार एवं चुनौतियां तथा लाइसेंसिंग एवं विनियामक मुद्दे।

### (10) सम्मिलित वृद्धि तथा स्थायी विकास के लिए मोबाइल अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय फोरम

50. मोबाइल नेटवर्क आज देश के विशालतम वितरण प्लेटफार्म बन गए हैं, जो अभिनव अ अनुप्रयोगों के माध्यम से जनता को सूचना और लोक सेवाएं वितरित करने का वायदा कर रहे हैं। समूचे विश्व में मोबाइल प्लेटफार्मों का प्रयोग ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं, कृषि सूचना, स्वास्थ्य सेवाएं, टेली मेडिसिन तथा ई–शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। मोबाइल अनुप्रयोगों का प्रयोग करते हुए विविध सेवाएं उपलब्ध कराने की पहलें भारत में पहले ही शुरू हो गई हैं। एम–अनुप्रयोग क्षमता का उपयोग सामाजिक एवं आर्थिक कार्यकलापों से शासन को प्रेरित–प्रोत्साहित करने तथा सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क में वृद्धि करने को प्रोत्साहित करने की कड़ी बन सकता है। इस रूपांतरण को दलित–शोषितों तथा ग्रामीण जनसंख्या के लिए सम्मिलित एवं लाभकारी बनाने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी के अभिनव एवं नए मॉडलों को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

51. मोबाइल अनुप्रयोगों के विकासों को अभिप्रेरित एवं अभिवर्धित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय फोरम संगठित करने का निर्णय लिया गया ताकि सूचना समर्थ सम्मिलित वृद्धि एवं स्थायी विकास के लिए मोबाइल/वायरलैस तथा नए मीडिया की क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सके। इस फोरम में मुख्य उद्देश्य थेः–

(क) महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में मोबाइल अनुप्रयोगों के विकास एवं प्रयोग को संवर्धित करने के लिए विभिन्न विकल्पों और व्यापारिक मॉडलों पर चर्चा करना।

(ख) उन्नत अभिसरण अवसरों से समर्थ आर्थिक और सामाजिक विकास के संवर्धन के लिए अभिनव सार्वजनिक निजी भागदारी मॉडलों को तैयार करने पर अनुभवों का आदान–प्रदान करना।

(ग) भारत को प्रभावशाली रूप से मोबाइल शासन का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाने में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और मामला अध्ययनों पर चर्चा करना।

52. इस राष्ट्रीय फोरम को तैयार करने की तैयारियां दिसम्बर 2009 में आरंभ हो गई थी तथा फोरम नई दिल्ली में 7 और 8 अप्रैल 2010 को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया।

53. इस फोरम के माध्यम से, भादूविप्रा क्षेत्र से संबधित अभिनव विचारों, नीति संबंधी पत्रों तथा मामला अध्ययनों को प्रस्तुत करने के लिए ई–शासन पणधारकों, शोधकर्ताओं, उद्योग के प्रतिनिधियों तथा वृत्तिकों को अवसर प्रदान करना चाहता है। अतः सम्मेलन समिति ने अभिनव एव विद्वतापूर्ण दृष्टिकोणों की व्यापक श्रृंखला में अकादमिक एवं वृत्तिक पत्र, मामला अध्ययन आमंत्रित किए जिनमें सैद्धांतिक एवं अनुभववादी पत्र भी शामिल हैं जिनमें गुणात्मक, परिणात्मक और निर्णायक पद्धतियां भी शामिल हैं। अंतिम रूप में चयनित पत्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे एम–स्वास्थ्य, एम–शासन, एम–वाणिज्य/बैंकिंग, ग्रामीण–विशिष्ट मोबाइल अनुप्रयोग, एम–शिक्षा, एक–अनुप्रयोग मामला अध्ययन। चयनित पत्रों को एक कंपोडियम के रूप में संकलित किया गया तथा भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया।

## (झ) ऐसी सेवाओं के संबंध में, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, ऐसी दरों पर शुल्क और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण

54. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 20 नवम्बर 2009 को मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) जारी किए थे। विनियमों में तीन प्रकार के प्रभार उपबंधित थे अर्थात प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार, डिपिंग प्रभार और पोर्टिंग प्रभार। ये हैंः–

(क) "प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार" का अर्थ है प्राप्तकर्ता प्रचालक (वह प्रचालक जहां सब्सक्राइबर अपना नम्बर पोर्ट करने का इच्छुक है) द्वारा मोबाइल नम्बर के पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को देय प्रभार,

(ख) 'डिपिंग प्रभार' का अर्थ है किसी एक्सेस प्रदाता द्वारा अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक द्वारा प्रत्येक मैसेज की डिपिंग के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को देय प्रभार;

(ग) 'पोर्टिंग प्रभार' का अर्थ है ऐसा प्रभार जो सब्सक्राइबर द्वारा उसके मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए प्राप्तकर्ता प्रचालक को देय है।

55. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) तथा दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 के माध्यम से प्राधिकरण ने प्रति पोर्ट ट्रांजेकशन प्रभार निर्धारित किए तथा सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किए जाने वाले पोर्टिंग प्रभार के लिए उच्चतम सीमा भी नियत कर दी। निम्नलिखित लागू प्रभार होंगे :–

(i) प्रति पोर्ट ट्रांजेकशन प्रभार 19/–रु0 (उन्नीस रु0) होंगे।

(ii) डिपिंग प्रभारों को सेवा प्रदाताओं तथा संबंधित एमएनपी सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक सहमति पर छोड़ दिया गया है।

(iii) पोर्टिंग प्रभार अर्थात सब्सक्राइबर द्वारा अदा किए जाने वाली राशि प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार अर्थात 19/–रु0 से अधिक नहीं होगी। प्रचालक इस प्रकार से कम अथवा समान की कोई राशि प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

## (ञ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में तथा दूरसंचार उद्योग में सामान्तया प्रासंगिक किसी अन्य मामले में केन्द्रीय सरकार को प्रदान की गई सलाह के विवरण

56. दूरसंचार और प्रसारण केबल क्षेत्रों के विकास के संबंध में भादूविप्रा द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदान की गई सलाह के विवरण नीचे दिए गए हैं:–

## I. दूरसंचार क्षेत्र

### (i) मोबाइल सेवाओं के लिए '95' स्तर का प्रयोग

57. आरंभ में 95 का प्रयोग लाइसेंस सेवा क्षेत्र के भीतर निकटतम शार्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरिया (एसडीसीए) के डायलिंग के लिए सीमित था। दिनांक 7 मई 2007 के संशोधन के साथ उप–स्तर 95 के प्रयोग की लाइसेंस सेवा क्षेत्र के भीतर तथा सेवा प्रदाता के लाइसेंस सेवा क्षेत्र के बाहर भी एक एसडीसीए से दूसरे एसडीसीए को डायलिंग करने के लिए अनुमति प्रदान की गई बशर्ते कि उसके टैरिफ अंतरा–एसडीसीए टैरिफ के समान हों। भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि स्तर '95' को अलग रखा जा सकता है – जिससे मोबाइल सेवाओं के लिए 100 मिलियन नम्बर उपलब्ध होंगे। दिनांक 9 फरवरी 2009 के संशोधन के साथ यह निर्णय किया गया कि 23 फरवरी 2009 से लंबी दूरी की कॉलों को एक्सेस करने के लिए उप–स्तर 95 का प्रयोग न किया जाए। इसके पश्चात, वर्ष 2009–10 में मोबाइल प्रचालकों को स्तर '95' से आरंभ होने वाले एमएससी कोड आवंटित किए गए हैं। इस कदम ने 100 मिलियन

अतिरिक्त मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराए हैं।

### (ii) एसटीडी/आईएसडी कॉलों के लिए कॉलिंग कार्ड

58. उपभोक्ताओं को लंबी दूरी के कैरियर का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भादूविप्रा ने "लंबी दूरी प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कॉर्डों के प्रावधान" पर दिनांक 20 अगस्त 2008 की अपनी सिफारिशों द्वारा यह अनुशंसा की है कि एनएलडी और आईएलडी लाइसेंस की 'लाइसेंस शर्तों' को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए ताकि एनएलडीओ/आईएलडीओ को कॉलिंग कार्डों के माध्यम से क्रमशः केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वॉयस टेलीफोनी सेवाओं के प्रावधान के लिए उपभोक्ताओं को सीधे संपर्क स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जा सके। अगस्त 2009 में, दूरसंचार विभाग द्वारा भादूविप्रा की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा एनएलडी और आईएलडी लाइसेंसों में आवश्यक संशोधन भी कर दिए गए हैं।

### (iii) संख्यांकन संसाधनों का कार्यकुशल उपयोग

59. संख्यांकन संसाधनों ने सदैव ही दूरसंचार में एक केन्द्रीय भूमिका निभाई है तथा दूरसंचार क्षेत्र के उदारीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक आयाम अर्जित किया है। इसके अनुरूप, एक विनियामक उपकरण के रूप में संख्यांकन का महत्व भी संख्याओं की पर्याप्त, उचित एवं पारदर्शी एक्सेस के साथ अत्यधिक रूप से वर्धित हुआ है तथा यह एक प्रतिस्पर्धात्मक दूरसंचार बाजार सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य भाग बन गया है। प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए भादूविप्रा ने संख्यांकन संसाधनों के कार्यकुशल उपयोग की समीक्षा की है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 20 जनवरी 2010 के परामर्श–पत्र के आधार पर परामर्श किए हैं। इस संबंध में सिफारिशें दूरसंचार विभाग को प्रेषित कर दी गई हैं।

## II. प्रसारण और केबल क्षेत्र

60. वर्ष 2009–10 के दौरान, केबल टीवी क्षेत्र में एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटलीकरण के त्वरित विकास के लिए भादूविप्रा ने वर्ष 2010–11 से संबंधित बजट के लिए डिजिटल हैंड एंड उपस्कर पर सीमा–शुल्क कम करने की सरकार को सिफरिश की। वर्ष 2010–11 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने 5 प्रतिशत सीमा–शुल्क की छूट प्रदान की तथा साथ ही डिजिटल हैड एंड की प्रारंभिक स्थापना के लिए विशेष अतिरिक्त शुल्क से भी छूट प्रदान की।

### (ट) सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा गुणवत्ता की मॉनीटरिंग

61. भादूविप्रा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के निष्पादन का मॉनीटरिंग करता है।

### (i) बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवाएं

62. भादूविप्रा उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही कार्य–निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा निर्दिष्ट बेंचमार्कों की तुलना में बुनियादी एवं सेल्युलर मोबाइल सेवा के निष्पादन की

निगरानी करता है। भादूविप्रा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएसपी) से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से पीओआई कंजेशन की भी निगरानी करता है। सेवा गुणवत्ता के संबंध में उनके निष्पादन में सुधार लाने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती बैठकें भी आयोजित की गईं।

### (ii) ब्रॉडबैंड सेवा

63. भादूविप्रा ब्रॉडबैंड की सेवा गुणवत्ता पर विनियम दिनांक 6 अक्तूबर 2006 के माध्मय से भादूविप्रा द्वारा निर्दिष्ट बेंचमार्कों की तुलना में सेवा प्रदाताओं की ब्रॉडबैंडसेवा के निष्पादन की निगरानी करता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है ताकि सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों के संबंध में उनके निष्पादन का आकलन किया जा सके। जहां कही सेवा बेंचमार्कों की पूर्ति में कमिया ध्यान में आती हैं, मामले को एक समयबद्ध आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए सेवा प्रदाता के साथ उठाया जाता है।

### (iii) आईएसपी के सेवा गुणवत्ता मापदण्डों की मॉनीटरिंग

64. भादूविप्रा ने दिसम्बर 2001 में डायल अप तथा लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस की सेवा गुणवत्ता पर विनियम जारी किए थे, जिसमें इंटरनेट डायल–अप एक्सेस के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए गए थे जिन्हें आईएसपी द्वारा 6 माह के भीतर प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। तदनुसार, आईएसपी के लिए सेवा गुणवत्ता विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट बेंचमार्कों का अनुपालन करना अपेक्षित है। भादूविप्रा को आईएसपी से तिमाही निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टें प्राप्त होती हें तथा सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों के संबंध में उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है।

### (iv) नेटवर्क/प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) रिपोर्टें

65 भादूविप्रा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच पीओआई पर कंजेशन के स्तर की मासिक आधार पर निगरानी कर रहा है। यह मापदण्ड उस आसानी को इंगित करता है जिसके द्वारा किसी एक नेटवर्क का ग्राहक किसी अन्य नेअवर्क के ग्राहक के साथ संपर्क स्थापित करने में समर्थ होता है। यह मापदण्ड यह भी प्रतिबिंबित करता है कि दो नेटवर्कों के बीच अंतरसंयोजन कितना प्रभावी है। इस मापदण्ड के लिए सेवा गुणवत्ता विनियमों में भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित बेंचमार्क <0.5 प्रतिशत है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2010 के लिए पीओआई कंजेशन रिपोर्ट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पीओआई पर कंजेशन के संबंध में सीएमएसपी का निष्पादन दिसम्बर 09 के निष्पादन की तुलना में मार्च 2010 माह में खराब हुआ है। इस अवधि के दौरान सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सब्सक्राइबर आधार दिसम्बर 2009 में 525.09 मिलियन से बढ़कर मार्च 2010 में 584.32 मिलियन हो गया। कंजेशन रखने वाले पीओआई की संख्या दिसम्बर 09 में 61 से बढ़कर मार्च 2010 में 82 हो गई है।

## ठ) अन्य मामले

### (i) अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला

66. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) के देशों

के लिए जनपथ रोड, नई दिल्ली स्थित बीएसएनएल के सम्मेलन–कक्ष में 12 से 14 अक्तूबर 2009 तक ''उभरते हुए दूरसंचार परिदृश्य में विनियामक चुनौतियों'' पर एक तीन–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन डा0 जे0एस0 शर्मा, अध्यक्ष, एसएटीआरसी ने किया। नौ एसएटीआरसी सदस्य देशों (अर्थात अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के लगभग 30 अधिकारियों ने इस आयोजन में भाग लिया। यह कार्यशाला एसएटीआरसी कार्य–योजना 2008–09 के अंतर्गत आयोजित की गई थी।

## (ii) भादूविप्रा में अंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडलों का आगमन

### आईटीयू शिष्टमंडल का दौरा – 22 सितम्बर 2009

67. श्री सामी अल–बशीर अल मोर्शिद, निदेशक–आईटीयू–डी तथा डा0 किम, प्रमुख आईटीयूएशिया एवं प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय ने 22 सितम्बर 2009 को प्राधिकरण के साथ एक बैठक में भाग लिया।

### बंगलादेश शिष्टमंडल – 23 दिसम्बर 2009

68. बंगलादेश के डाक एवं दूरसंचार मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री मोह0 नज़रूल इस्लाम के नेतृत्व में एक तीन–सदस्यीय दल ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए भादूविप्रा का दौरा किया।

### जापान शिष्टमंडल–29 दिसम्बर 2009

69. वाइस मिनिस्टर फॉर पॉलिसी कॉर्डिनेशन, एमआईसी, जापान श्री अकीरा तेरासाकी द्विपक्षीय चर्चा के लिए 29 दिसम्बर 2009 को भादूविप्रा आए।

### यूएसआईबीसी शिष्टमंडल–14 जनवरी 2010

70. यू.एस. इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी) के एक शिष्टमंडल ने, जिसमें शीर्ष आईटी कंपनियों के कार्यपालकों शामिल थे, आईसीटी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों तथा भादूविप्रा के साथ निर्माणात्मक संबंध जारी रखने पर चर्चा करने के लिए 14 जनवरी 2010 को भादूविप्रा का दौरा किया।

### चीन का शिष्टमंडल–27 जनवरी 2010

71. चीन गणवादी गणतंत्र के मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर्स ऑफिस ऑफ द स्टेट काउंसिल श्री काओ कंगताई ने भारतीय दूरसंचार बाज़ार को समझने तथा देशों में दूरसंचार विनियामक प्रणाली पर विचारों के आदान–प्रदान के लिए पांच सदस्यीय चीनी शिष्टमंडल के साथ 27 जनवरी 2010 को भादूविप्रा का दौरा किया।

### भूटान का शिष्टमंडल–8 फरवरी 2010

72. रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के सूचना और संचार मंत्री श्री लायोन्पो नंदलाल राय के नेतृत्व में रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के एक शिष्टमंडल ने प्राधिकरण के साथ भेंट करने के लिए 08 फरवरी 2010 को भादूविप्रा का दौरा किया।

### एनटीआरए, मिश्र का शिष्टमंडल – 16–17 मार्च 2010

73. एनटीआरए, मिश्र के दो–सदस्यीय शिष्टमंडल ने मोबाइल उपकरणों में आईएमईआई नम्बरों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 16 से 17 मार्च 2010 को भादूविप्रा का दौरा किया।

### स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलीफोर्निया का शिष्टमंडल – 22 मार्च 2010

74. सेंटर फॉर साउथ एशिया (सीएसए), स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलीफोर्निया के सहयोग से भादूविप्रा में 22 मार्च 2010 को भादूविप्रा में ''उदय होती प्रौद्योगिकियों'' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

### (iii) अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभागिता

(क) अध्यक्ष, भादूविप्रा जिनेवा में 6 अक्तूबर 2009 को ''यूजिंग आईसीटी एज ए स्टिमुलस : स्टोरीज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड'' पर आयोजित **आईटीयू दूरसंचार विश्व 2009 फोरम** में एक पैनलिस्ट थे।

(ख) अध्यक्ष, भादूविप्रा द्वारा 22 अक्तूबर 2009 को शिकागो, यूएसए में आयोजित **सुपरकॉम 2009** में ''नेशनल ब्रॉडबैंड कार्यनीति'' पर एक की–नोट संबोधन प्रस्तुत किया गया।

(ग) अध्यक्ष, भादूविप्रा बेरूत, लेबनान में 10 से 12 नवम्बर 2009 को ''एक कन्वर्ज्ड विश्व में बाजार प्रवेश : नए लाइसेंसिंग दृष्टिकोण'' पर आयोजित **विनियामकों के वैश्विक सिंपोजियम (जीएसआर)** के सत्रों में एक मॉडरेटर के रूप में आमंत्रित थे।

(घ) अक्तूबर 2008–09 के दौरान, अध्यक्ष, भादूविप्रा दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष ने कोलम्बो, श्रीलंका में 24 नवम्बर 2009 को आयोजित **11वीं एसएटीआसी बैठक** के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की जहां एसएटीआरसी का अध्यक्ष पद अध्यक्ष, दूरसंचार विनियामक आयोग, श्रीलंका को सौंपा गया।

(ड.) अध्यक्ष, भादूविप्रा ने 15 से 17 फरवरी 2010 तक बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित **जीएसएमए मिनिस्टीरियल प्रोग्राम, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस** में भाग लिया।

(च) सुश्री माधवी पुरी बच, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईसीआईसीआई सीक्यूरिटीज के आमंत्रण पर अध्यक्ष, भादूविप्रा ने ''इंडिया अनलिमिटेड'' पर 8 और 9 मार्च 2010 को सिंगापुर में आयोजित **आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज़ नौवें वार्षिक निवेशक सम्मेलन** में की–नोट संबोधन दिया तथा सम्मेलन के दौरान प्रातिभागियों के साथ एक चर्चा सत्र का आयोजन भी किया।

### (iv) भादूविप्रा तथा अन्य प्राधिकारियों / संगठनों के साथ वर्ष 2009 के दौरान हस्ताक्षरित / नवीकृत समझौता ज्ञापन

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तथा आंतरिक कार्य एवं संचार मंत्रालय, जापान के बीच 6 जनवरी 2010 को होटल ली मेरेडियन, नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता डा0 जे.एस. शर्मा, अध्यक्ष, भादूविप्रा तथा महामहिम श्री काजूहीरो हारागूची, माननीय आंतरिक कार्य एवं संचार मंत्री, जापान के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

(ख) एनटीआए, मिश्र तथा भादूविप्रा के बीच 15 फरवरी 1020 को बार्सिलोना, स्पेन में 29 मार्च 2010 से आगामी तीन वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन नवीकृत किया गया।

(ग) भादूविप्रा तथा स्टेनफोर्ड विश्व–विद्यालय, कैलीफोर्निया के बीच समझौता ज्ञापन 22 मार्च 2010 को हस्ताक्षरित किया गया।

23 दिसम्बर 2009 को बंगलादेश शिष्टमंडल का भादूविप्रा में आगमन

23 जनवरी 2010 को चीन के शिष्टमंडल का भादूविप्रा में आगमन

8 फरवरी 2010 को भूटान के शिष्टमंडल का भादूविप्रा में आगमन

22 मार्च 2010 को स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर

## भाग–चार

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन

19 नवम्बर को भादूविप्रा में आयोजित 'हिन्दी पखवाड़ा'
पुरस्कार वितरण समारोह में प्राधिकरण

भादूविप्रा की गृह–पत्रिका 'ट्राई दर्पण' का विमोचन

# क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

1. इस भाग में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के संगठनात्मक मामलों पर और विशेष रूप से संगठन, वित्त–पोषण, मानव संसाधन, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण और सेमिनार के क्षेत्र शामिल हैं, और कुछ सामान्य मामलों से संबंधित सूचना दी गई है।

## क) संगठन

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अंतर्गत 28 मार्च, 1997 की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। अब प्राधिकरण एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्यों और दो अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है।

3. भादूविप्रा का सचिवालय, सचिव की देखरेख में काम करता है और यह दस कार्यात्मक प्रभागों – प्रशासन एवं कार्मिक (एएंडपी); प्रसारण और केबल सेवाएं (बीएंडसीएस); कनवर्ज्ड नेटवर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी (सीएनएंडआईटी); आर्थिक विनियमन (ईआर); वित्त विश्लेषण (एफए); अंतरसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क (आईएंडएफएन); विधि, मोबाइल नेटवर्क (एमएन); सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) तथा विनियामक प्रवर्त्तन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (आरईएंडआईआर) के माध्यम से काम करता है।

4. 177 कर्मियों का स्टाफ (31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार) सचिवालय में कार्य का निष्पादन कर रहा है, जो अपने कृत्यों के निर्वहन में इसे प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यों का निपटान करता है।

| क्रम सं. | पद का नाम | संस्वीकृत संख्या | 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार वास्तविक स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | सचिव | 1 | 1 |
| 2. | प्रधान सलाहकार/सलाहकार | 14 | 09 |
| 3. | संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार | 35 | 21 |
| 4. | वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी | 37 | 25 |
| 5. | आशुलिपिक संवर्ग में अधिकारी | 19 | 16 |
| 6. | तकनीकी अधिकारी/अनुभाग अधिकारी | 31 | 25 |
| 7. | अन्य कार्मिक | 100 | 80 |
| | **कुल** | **237** | **177** |

5. बदलते हुए परिवेश के अनुकूल बनने तथा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने के लिए प्राधिकरण ने भादूविप्रा के सचिवालय की पुनर्संरचना करने का विचार किया। तदनुसार, मौजूदा प्रभागों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने तथा मजबूती की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में नए प्रभागों के सृजन का सुझाव दने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान वर्तमान संगठनात्मक संरचना की समीक्षा की गई। 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत पद प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन पर आधारित हैं। प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित संगठन के पुनर्गठन का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

## ख) मानव संसाधन प्रबंधन

### (i) भर्ती

6. प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों के समावेशन से अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना संवर्ग गठित किया है। 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार, भादूविप्रा के संवर्ग में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 110 थी। 177 की कुल क्षमता में से 67 अधिकारी और कर्मचारी मंत्रालयों/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। भादूविप्रा को प्रशासित करने वाले विनियमों के संदर्भ में, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिनमें वेतन, भत्ते एवं अन्य मामले भी शामिल हैं, ठीक वैसी ही हैं, जैसीकि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लागू हैं। इस पारिश्रमिक पैकेज के साथ, प्राधिकरण भादूविप्रा में विभिन्न पदों में नियुक्ति के लिए खुले बाजार से स्वतंत्र प्रतिभा को आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। यहां तक कि मंत्रालयों/सरकार की स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों से भी भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को आकर्षित करना कठिन हो जाता है क्योंकि ऐसा कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन

नहीं है, जो उन्हें पेश किया जा सके। एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते भादूविप्रा को दूरसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों की अपेक्षा होती है, अतः इसे न केवल सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बल्कि खुले बाजार से भी कार्मिकों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, भादूविप्रा में सेवा के निबंधन और शर्तों को विद्यमान बाजार के निबंधन और शर्तों की तुलना में प्रतिस्पर्धी होना चाहिए।

7. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीएंडपीडब्ल्यू) के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति केवल तत्काल समावेशन आधार पर ही की जा सकती है। चूंकि भादूविप्रा में बड़ी संख्या में पदों को मंत्रालयों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाना अपेक्षित है, कतिपय प्रवरण पदों के लिए तत्काल समावेशन के नियम की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त करने के लिए डीओपीएंडपीडब्ल्यू को एक प्रस्ताव भेजा गया था। डीओपीएंडपीडब्ल्यू ने आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसके अनुरूप उप सलाहकार एवं उससे उच्च पदों को पांच वर्ष की अवधि के लिए तत्काल समावेशन के नियम से छूट प्रदान कर दी गई है। उप सलाहकार के स्तर से नीचे के निर्दिष्ट संख्या में पदों को भी छूट प्रदान की गई है।

### (ii) प्रशिक्षण

8. भादूविप्रा ने अपने मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व दिया है तथा अपने अधिकारियों और कार्मिकों की विशेषज्ञता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की है ताकि प्रचालनात्मक कार्यकुशलता और त्वरित निर्णय लेना सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल, परामर्श–पत्रों को तैयार करने तथा उन पर प्राप्त फीडबैक तथा प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने तथा साथ ही ओपन हाउस चर्चा की बैठकें संचालित करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला का चयन करने अथवा उसे अभिकल्पित करने में भादूविप्रा का प्रयास रहता है कि इनसे उच्च स्तर पर नीति निर्धारण और नीतियों के कार्यान्वयन तथा उन्हें संचालित करने के लिए उपयोगी बड़ी मात्रा में तकनीकी–आर्थिक प्रचालन विवरणों को संभालने के वास्ते कर्मियों को विविध कौशल प्राप्त हो। चूंकि भादूविप्रा के स्टाफ की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान करने अथवा उन्हें अभिकल्पित करने और उन्हें कार्यान्वित करने की जरूरत होती है ताकि यह उनके कार्यों के विविध विशेषज्ञता से जुड़ी जरूरतों के अनुरूप हों, इसलिए प्राधिकरण भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), सचिवालय एवं प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), आदि जैसे कई संस्थानों तथा संगठनों के साथ निकट संपर्क रखता है। इसके अतिरिक्त, संगठन के भीतर विशेषज्ञता विकसित करने के लिए भादूविप्रा ने अपने कार्मियों को "संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना" के अंतर्गत अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी प्रयोजित किया है।

9. वर्ष के दौरान भादूविप्रा के अधिकारियों को, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों (i) यूनाइटेड स्टेट्स टेलीकम्युनिकेशन्स ट्रेनिंग कोर्स इंस्टिट्यूट (यूएसटीटीआई) तथा (ii) इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एशिया पेसेफिक सेंटर फॉर एक्सेलेंस द्वारा आयोजित अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित गया। भादूविप्रा के कार्मिकों को देश के भीतर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से कार्मिकों ने मूल्यवान जानकारी प्राप्त की है तथा इन जानकारियों ने विनियामक कार्य के उनके संबंधित क्षेत्र में उनके कौशल में संवृद्धि की है।

10. भादूविप्रा के पास प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की घरेलू प्रणाली भी विद्यमान है जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विख्यात विशेषज्ञों को दूरसंचार क्षेत्र की नवीनतम घटनाओं के बारे में इसके अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है। अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए यह भादूविप्रा का एक और कदम है।

### (iii) अन्य संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजनाएं/कार्यकलाप

11. 'संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजनाओं' के अंतर्गत वर्ष के दौरान ''दूरसंचार क्षेत्र में अंतरण मूल्य–निर्धारण'', ''भारत में स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग'', ''सेवा गुणवत्ता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण'', आदि पर विभिन्न परामर्श–कार्य/अध्ययन संचालित किए।

### (iv) सेमिनार/कार्यशालाएं

12. समूचे विश्व में हो रहे विकासों के साथ तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने अपने कार्मिकों को इन विकासों की जानकारी हासिल करने तथा अपनी स्वयं की नीति तैयार करने के लिए मूल्यवान फीडबैक/इनपुट प्राप्त करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समारोहों, बैठकों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए नियुक्त किया। वर्ष 2009–10 के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीस संगोष्ठियों में भादूविप्रा की प्रतिभागिता ने न केवल उन मुद्दों पर केन्द्रित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है, जो वर्तमान में भारत में विनियामक संबंधी मुख्य चिंताए हैं, बल्कि भादूविप्रा के अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से भी अवगत कराया है।

### (v) कल्याणकारी कार्यकलाप

13. भादूविप्रा के कार्मिकों के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में रिटेनरशिप आधार पर एक चिकित्सक की तैनाती की गई है। वे कर्मचारियों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए सप्ताह में दो बार भादूविप्रा परिसर में आते हैं। समय–समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए हैं।

## ग) वित्त–पोषण

14. भादूविप्रा एक स्वायत्तशासी निकाय है और इसका पूर्णतः वित्त–पोषण भारत की संचित निधि से प्राप्त अनुदान द्वारा होता है। वर्ष 2009–10 के दौरान, भादूविप्रा के

कार्यकरण पर कुल व्यय 32.49 करोड़ रुपये था जिसमें से 2.10 करोड़ रू0 की राशि वर्ष 2009–10 के दौरान 'संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना' के अंतर्गत व्यय की गई जिसमें कतिपय परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे।

15. भादूविप्रा का यह मत है कि एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उसका वित्त–पोषण उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं से प्रशासनिक लागत के रूप में वसूल किए गए लाइसेंस शुल्क के एक छोटे भाग से होना चाहिए तथा इसे अपने कर्मचारियों की सेवा–शर्तों के निर्धारण में लचीलेपन की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह वरिष्ठ तथा अन्य स्तरों पर गैर–सरकारी स्रोतों से भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों/प्रोफेशनलों को भर्ती कर सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य राष्ट्रीय विनियामक निकाय जैसे 'इर्डा' और 'सेबी' उसी क्षेत्र से वसूल किए गए शुल्क से वित्त–पोषित होते हैं, जिसे वे विनियमित करते हैं तथा इन प्राधिकरणों को अपने कामकाज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार वसूली गई निधियों का उपयोग करने का लचीलापन प्राप्त है।

## घ) सूचना का अधिकार अधिनियम

16. 12 अक्तूबर 2005 से प्रभावी, सूचना के अधिकार का अधिनियम भादूविप्रा पर भी लागू होता है। तदनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्राधिकरण ने एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया है, जिसकी सहायता के लिए केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी नामित किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रधान सलाहकार को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम तथा वह सूचना जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है, भादूविप्रा की वेबसाइट पर दी गई है।

17. वर्ष 2009–10 के दौरान, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 332 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनपर तत्काल कार्रवाई की गई और 30 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर उनका उत्तर दे दिया गया।

## ङ.) भादूविप्रा को आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन

18. भादूविप्रा को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा दिसम्बर 2004 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्रदान किया गया है। वर्ष 2007 में इसे नवीकृत किया गया तथा इसकी वैधता नवम्बर 2010 तक बढ़ाई गई। भादूविप्रा ने बीआईएस द्वारा सलाह दिए जाने पर आईएसओ मानकों की नई श्रृंखला आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 में अंतरित होने के लिए भी कदम उठाए हैं तथा बीआईएस द्वारा आवश्यक लेखापरीक्षा किए जाने के उपरांत इसकी नवम्बर 2010 तक प्राप्त हो जाने की आशा है। भादूविप्रा में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के क्रियान्वयन और प्रभाविता का मूल्यांकन करने के

लिए बीआईएस ने दिसम्बर, 2004 से छह निगरानी लेखापरीक्षाएं तथा एक नवीकरण लेखापरीक्षा आयोजित की है। गुणवत्ता लेखापरीक्षकों ने क्यूएमएस कार्यकरण को संतोषजनक माना है तथा बीआईएस द्वारा जारी लाइसेंस को जारी रखने की सिफारिश की है।

19. तिमाही आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा संचालन ने भी प्रणाली में अनवरत सुधार सुनिश्चित किया है। भादूविप्रा के पास इस उद्देश्य के लिए 63 आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षक हैं। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भी सचिव द्वारा तथा उच्च प्रबंधन द्वारा मासिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है।

## च) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

**20.** भादूविप्रा के सचिव के पर्यवेक्षण में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में राजभाषा अनुभाग कार्य कर रहा है, जो राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा इस विषय पर समय–समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। भादूविप्रा में संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा, यह विभिन्न प्रभागों की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, जब कभी विनियम, प्रेस विज्ञप्तियां, निविदा सूचनाए, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में ही जारी की जाती हैं।

21. भादूविप्रा के सभी प्रभागों तथा अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, बैठकों में भादूविप्रा में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है तथा इस संबंध में भावी कार्यनीति तय की जाती है। राजभाषा से संबंधित कार्य में तेजी लाने के लिए समिति के सदस्यों से उनके बहुमूल्य सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 03 जून 2009, 14 सितम्बर 2009, 3 दिसम्बर 2009 तथा 4 जनवरी 2010 को आयोजित की गईं।

22. राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में भादूविप्रा में 14 से 30 सितम्बर 2009 तक ''हिंदी पखवाड़ा'' आयोजित किया गया, जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध लेखन, कविता पाठ, भाषण, टिप्पण/प्रारूपण, नारा लेखन, वाद–विवाद आदि आयोजित की गईं। संयुक्त सलाहकार स्तर तक के अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। हिंदी दिवस के

अवसर पर 14 सितम्बर 2009 को भादूविप्रा के अध्यक्ष का संदेश अधिकारियों/कार्मिकों के मध्य परिचालित किया गया जिसमें उन्होंने राजभाषा नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अध्यक्ष, भादूविप्रा ने 19 नवम्बर 2009 को आयोजित समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए। सरकारी कामकाज में हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की भावना को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की दिशा में ''हिंदी पखवाड़ा'' सफल सिद्ध हुआ।

23. सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भादूविप्रा में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पिछले चार वर्ष से एक ''वार्षिक प्रोत्साहन योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, योजना की अवधि के दौरान अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को 10 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह योजना कार्मिकों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है तथा इसने स्टाफ को समूचे वर्ष उनका अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

24. अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण लिखने में सहायता प्रदान करने के लिए भादूविप्रा में हिंदी कार्यशालाए नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, प्रतिभागियों को शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावलियां, सहायक/संदर्भ पुस्तिकाएं आदि वितरित की जाती हैं, जो उन्हें उनका सरकारी कामकाज हिंदी में करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान करती हैं। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान भादूविप्रा में 14 सितम्बर, 2009 तथा 4 जनवरी, 2010 को दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

25. द्विभाषी पत्रिका ''ट्राई दर्पण'' भादूविप्रा की गृह–पत्रिका है तथा इसे छमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान ट्राई दर्पण के दो अंकों का प्रकाशन किया गया। इन अंकों की प्राधिकरण में तथा दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है।

श्री ए.के. साहनी, सदस्य, भादूविप्रा को विदाई

श्री आर.एन. प्रभाकर, सदस्य, भादूविप्रा को विदाई

# ख) वर्ष 2009–10 के लिए भादूविप्रा के लेखा परीक्षित लेखे

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23(2) के साथ पठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में श्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हैं, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतया भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गैर–अभियुक्तियों से स्वतंत्र हैं। एक लेखापरीक्षा में शामिल है – परीक्षण

के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा साथ ही वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा लेखापरीक्षित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय के लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23 (1) के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखाओं के प्रपत्र'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लेखाओं की बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

**(ग) सहायतानुदान**

वर्ष के दौरान प्राप्त 31.31 करोड़ रु0 (पूर्व वर्ष के सहायतानुदान में से अनखर्ची 0.31 करोड़ रु0 (योजनेत्तर) की शेष राशि सहित) के सहायतानुदान (योजनेत्तर) में से भादूविप्रा केवल 29.60 करोड़ रु0 की राशि (योजनेत्तर) का ही उपयोग कर सका जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2010 को उपयोग न किए गए अनुदान के रूप में 1.71 करोड़ रु0 (योजनेत्तर) की राशि शेष रह गई।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्राप्त 2.76 करोड़ रु0 के सहायतानुदान (योजना) (जिसमें पिछले वर्ष के अनुदान (योजना) में से शेष रह गई और भादूविप्रा के पास पड़ी 0.46 करोड़ रु0 (योजना) की अनखर्ची शेष राशि भी शामिल है) तथा पिछले वर्ष के अनुदान (योजना) में से भादूविप्रा केवल 2.27 करोड़ रु0 (योजना) ही व्यय कर सका तथा 31 मार्च 2010 को उपयोग न किए गए अनुदान में से 0.49 करोड़ रु0 (योजना) का अनखर्चा अनुदान शेष रह गया।

(v) पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार है।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उक्तउल्लिखित मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुलग्नक–I** में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों के तुलन–पत्र (योजना और योजनेत्तर दोनों) से संबंधित है, यह 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार है, और

(ख) जहां तक यह घाटे के आय और व्यय लेखा (योजना और योजनेत्तर दोनों) से संबंधित है, यह भी उसी तारीख को समाप्त वर्ष से संबंधित है।

**भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से**

ह0/–
**(आर0पी0 सिंह)**
**महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक–तार)**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 04 अक्तूबर, 2010

# मसौदा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–।

## (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4(vi) में यथानिर्दिष्ट)

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, लेखापरीक्षा की सामान्य अवधि में हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:

### (1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा ने अगस्त 2009 तक स्वतंत्र प्रभार के साथ एक पूर्णकालिक तकनीकी अधिकारी (आंतरिक लेखापरीक्षा) नियुक्त किया है। इसके पश्चात आंतरिक लेखापरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार देख रहे अनुभाग अधिकारी (लेखा) ने वर्ष 2009–10 के लिए भादूविप्रा के सामान्य खातों के लेखाओं तथा संदत्त वाउचरों की जांच की है और आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए उप सलाहकार (लेखा) को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। उनकी रिपोर्टों पर प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

***हमारी राय में, संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।***

### (2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा ने पदों का सृजन करने, स्टाफ/अधिकारियों की नियुक्ति करने, वेतन का नियतन करने, परामर्शदाताओं के कार्यकाल का विस्तार करने, वैयक्तिक दावों, यात्रा भत्ता दावों का निपटान करने, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों तथा भादूविप्रा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप विभिन्न मामलों में विनियम बनाने के लिए नीतियां और पद्धतियां तैयार की हैं तथा उनका अनुपालन इसके दैनिक कार्यकरण में किया जाता है। नकदी की प्राप्ति और संवितरण तथा रोकड़ बही का रख–रखाव विभिन्न प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुपालन में समुचित प्रकार से किया गया है। नकदी का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जाता है तथा नकदी शेष की अधिकतम सीमा का अनुरक्षण किया गया है, जैसाकि प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्धारित है। भादूविप्रा द्वारा दो प्रकार की निधियों – एक योजना निधि तथा दूसरी योजनेत्तर निधि, का अनुरक्षण किया जाता है तथा प्रत्येक निधि से संबंधित व्यय को संबंधित निधियों से पूरा किया जाता है और प्रत्येक निधि के लिए पृथक लेखा–बहियां रखी जाती हैं। भादूविप्रा सामान्य निधि का अनुरक्षण दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाता है। भादूविप्रा को भारत सरकार से योजना और योजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदानों को इस निधि में अंतरित किया जाता है। भादूविप्रा के व्ययों को योजना और योजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत दूरसंचार विभाग से जारी होने वाले अनुदान से पूरा किया जाता है तथा प्राप्त होने वाले अनुदान के संबंध में भादूविप्रा द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र दूरसंचार विभाग को प्रेषित किया जाता है।

***हमारी राय में, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।***

## (3) नियत परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

नियत परिसंपत्तियों के रजिस्टरों का रख–रखाव हाथ द्वारा तथा कम्प्यूटरीकृत रूप से किया गया है। वर्ष 2009–10 के लिए परिसंपत्तियों/भण्डारों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

***हमारी राय में, नियत परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।***

## (4) सामान–सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

सामान–सूची के समुचित अभिलेख रखे गए हैं। वर्ष 2009–10 के लिए सामान–सूची का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।

***हमारी राय में, समान–सूची के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।***

## (5) सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य सांविधिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं है।

*अस्वीकरण : "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"*

## वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर–लाभ अर्जन संगठन)
## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
## 31.3.2010 को तुलन–पत्र

(राशि रु0)

| कोष/पूंजीगत निधि तथा देयताएं | अनुसची | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| कोष/पूंजीगत निधि | 1 | 28412319 | 93195742 | 91657454 | 12312335 |
| रिजर्व एवं अधिशेष | 2 | | | | |
| निर्धारित/बंदोबस्ती निधिया | 3 | | | | |
| सुरक्षित ऋण तथा उधार | 4 | | | | |
| असुरक्षित ऋण तथा उधार | 5 | | | | |
| आस्थगित ऋण देयताएं | 6 | | | | |
| चालू देयताएं और प्रावधान | 7 | 96150546 | 89692933 | 15994880 | 11488155 |
| **कुल** | | **124562865** | **182888675** | **107652334** | **23800490** |
| **परिसंपत्तियां** | | | | | |
| नियत परिसंपत्तियां | 8 | 24230840 | 24005356 | 253560 | |
| निवेश–निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से | 9 | | | | |
| निवेश–अन्य | 10 | | | | |
| चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 11 | 100332025 | 158883319 | 107398774 | 23800490 |
| विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाली गई अथवा समायोजित न की गई) | | | | | |
| **कुल** | | **124562865** | **182888675** | **107652334** | **23800490** |
| उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां | 24 | | | | |
| आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां | 25 | | | | |

| ह./– | ह./– | ह./– | ह./– |
|---|---|---|---|
| **प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)** | **सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

## वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर–लाभ अर्जन संगठन)
## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
## 31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

| आय | अनुसची | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| बिक्री/सेवाओं से आय | 12 | | | | |
| अनुदान/आर्थिक सहायता | 13 | 240000000 | 248000000 | 100000000 | 30000000 |
| शुल्क/अंशदान | 14 | | | | |
| निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश से आय–निधियों में अंतरित) | 15 | | | | |
| रॉयल्टी/प्रकाशन आदि से आय | 16 | | | | |
| अर्जित ब्याज | 17 | 2287 | 26012 | | |
| अन्य व्यय | 18 | 19887 | 49768 | | |
| निर्मित वस्तओं के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) तथा निर्माणधीन कार्य | 19 | | | | |
| **कुल (क)** | | **240022174** | **248075780** | **100000000** | **30000000** |
| व्यय | | | | | |
| स्थापना व्यय | 20 | 133832475 | 134027254 | | |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | 21 | 164465856 | 130406558 | 20939601 | 36001964 |
| अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय | 22 | | | | |
| ब्याज | 23 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग– अनुसूची 8 के अनुरूप) | | 5701113 | 6152402 | 110847 | |
| **कुल (ख)** | | **303999444** | **270586214** | **21050448** | **36001964** |
| व्यय पर आय के आधिक्य के रूप में शेष (क–ख) | | | | | |
| विशेष रिजर्व को अंतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें) | | | | | |
| सामान्य रिजर्व को/से अंतरण | | | | | |
| अधिशेष/(घाटा) जो शेष था, ट्राई सामान्य निधि से वसूलीयोग्य को ले जाया गया | | -63977270 | -22510434 | 78949552 | -6001964 |
| उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां | 24 | | | | |
| आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां | 25 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ह0/– | ह0/– | ह0/– | ह0/– |
| **प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)** | **सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

## वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर–लाभ अर्जन संगठन)
## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
## 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

### अनुसूची–I–कोष/पूंजीगत निधि

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि | 93195742 | 129377832 | 12312335 | 18314299 |
| जोड़े/घटाएं: कोष/पूंजीगत निधि में योगदान | -806153 | -13671656 | 395567 | |
| जोड़े/(घटाएं) : आय और व्यय खाते में अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष | -63977270 | -22510434 | 78949552 | -6001964 |
| **वर्ष की समाप्ति पर तुलन–पत्र** | 28412319 | 93195742 | 91657454 | 12312335 |

### अनुसूची–2–रिजर्व और अधिशेष

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1. पूंजी रिजर्व : | - | | - | - |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | - | | - |
| वर्ष के दौरान जमा | - | | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | - - | - | - | |
| 2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व : | - | - | - | - |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | - | - | - | - |
| 3. विशेष रिजर्व : | - | - | - | - |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | - - | - | - | |
| 4. सामान्य रिजर्व : | - | - | - | - |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | - - | - | - | |
| कुल | - | - | - | - |

ह0/–
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–3 विनिधार्रित/बंदोबस्ती निधि

(राशि रु0)

| | निधिवार ब्यौरा | | | | कुल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | निधि डब्ल्यू | निधि डब्ल्यू | निधि एक्स | निधि एक्स | योजनेत्तर | | योजना | |
| | | | | | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| क) निधि का अर्थ शेष | | | | | | | | |
| ख) निधि में जमा राशियां | | | | | | | | |
| i. दान/अनुदान | | | | | | | | |
| ii. निधियों के कारण निवेश से आय | | | | | | | | |
| iii. अन्य प्राप्तियां (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति) | | | | | | | | |
| **योग (क+ख)** | | | | | | | | |
| ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय | | | | | | | | |
| i. पूंजीगत व्यय | | | | | | | | |
| - नियत परिसंपत्तियां | | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| - अन्य | | | | | | | | |
| **कुल** | | | | | | | | |
| ii. राजस्व व्यय | | | | | | | | |
| - वेतन, मजदूरी और भत्ते | | | | | | | | |
| - किराया | | | | | | | | |
| - अन्य प्रशासनिक व्यय | | | | | | | | |
| **कुल** | | | | | | | | |
| **कुल (ग)** | | | | | | | | |
| **वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)** | | | | | | | | |

टिप्पणियां

1) अनुदानों से संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए

ह0/–

**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची–4 सुरक्षित ऋण और उधार

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| 1. केन्द्रीय सरकार | - | - | - | - |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | - | - | - | - |
| 4. बैंक | - | - | - | - |
| क) सावधी ऋण | - | - | - | - |
| - ब्याज प्रोद्भूत और देय | - | - | - | - |
| ख) सावधी–ऋण (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| - ब्याज प्रोद्भूत और देय | - | - | - | - |
| 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | - | | - | - |
| 6. डिबेंचर और बाण्ड | - | | - | - |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| कुल | - | - | - | - |

टिप्पणी : वर्ष के भीतर देय राशि

## अनुसूची–5 असुरक्षित ऋण और उधार

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| 1. केन्द्रीय सरकार | | - | | - |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | | - | | - |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | | - | | - |
| 4. बैंक | | - | | - |
| क) सावधी–ऋण | | - | | - |
| - ब्याज प्रोद्भूत और देय | | - | | - |
| ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें) | | - | | - |
| - ब्याज प्रोद्भूत और देय | | - | | - |
| 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | | - | | - |
| 6. डिबेंचर और बाण्ड | | - | | - |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | - | | - |
| कुल | - | | - | |

टिप्पणी : वर्ष के भीतर देय राशि

## अनुसूची–6 आस्थगित ऋण देयताएं

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | | पिछला वर्ष | |
| क) पूंजीगत उपस्करों के आडमान द्वारा ली गई स्वीकरोक्ति तथा अन्य परिसंपत्तियां | - | - | - | - |
| ख) अन्य | - | - | - | - |
| कुल - | - | - | - | |

टिप्पणी : वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/–
**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची–7 चालू देयताएं और प्रावधान

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| **क) चालू देयताएं** | | | | |
| 1) स्वीकरोत्तियां | | | | |
| 2) विविध ऋणदाता | | | | |
| क) वस्तुओं के लिए | | | | |
| ख) अन्य | | | | |
| 3) प्राप्त अग्रिम | | | | |
| 4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं: | | | | |
| क) सुरक्षित ऋण/उधार | | | | |
| ख) असुरक्षित ऋण/उधार | | | | |
| 5) सांविधिक देयताएं | | | | |
| क) अतिरिक्त | | | | |
| ख) अन्य | | | | |
| 6) अन्य चालू देयताएं | 71193128 | 65086826 | 15994880 | 11488155 |
| **कुल (क)** | **71193128** | **65086826** | **15994880** | **11488155** |
| **ख. प्रावधान** | | | | |
| 1. कराधान के लिए | — | — | | |
| 2. ग्रेच्युटी | 13229591 | 12583302 | | |
| 3. अधिवर्षिता/पेंशन | — | — | | |
| 4. संचित अवकाश | 11727827 | 12022805 | | |
| 5. व्यापार वारंटी/दावे | — | — | | |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | — | — | | |
| **कुल (ख)** | **24957418** | **24606107** | | |
| **कुल (क+ख)** | **96150546** | **89692933** | **15994880** | **11488155** |

ह0/–
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–8 नियत परिसंपत्तियां (योजनेत्तर)

(राशि रु0)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान कटौतियाँ | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ पर | वर्ष के दौरान कटौतियों पर | वर्ष की समाप्ति तक योग | चालू वर्ष की समाप्ति पर | पिछले वर्ष की समाप्ति पर |
| **क) नियत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | |
| 1. भूमि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| क) फ्रीहोल्ड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) लीज़होल्ड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. भवन | | | | | | | | | | |
| क) फ्रीहोल्ड भूमि पर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) लीजहोल्ड भूमि पर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. संयत्र मशीनें और उपस्कर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. वाहन | 4729766 | 1348139 | - | 6077905 | 3193531 | 263809 | | 3457340 | 2620565 | 1536235 |

(जारी....)

## अनुसूची–8 नियत परिसंपत्तियां (योजनेत्तर) (जारी....)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान कटौतियाँ | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ पर | वर्ष के दौरान कटौतियों पर | वर्ष की समाप्ति तक योग | चालू वर्ष की समाप्ति पर | पिछले वर्ष की समाप्ति पर |
| 5. फर्नीचर, जुड़नार | 15422808 | 1049780 | 390830 | 16081758 | 6751572 | 1356215 | 331359 | 7776428 | 8305330 | 8671236 |
| 6. कार्यालय उपस्कर | 9871979 | 694217 | 10000 | 10556196 | 6110247 | 967537 | 3610 | 7074174 | 3482022 | 3761732 |
| 7. कंप्यूटर/पेरिफिरल | 26779006 | 662398 | — | 27441404 | 19084213 | 2670144 | — | 21754357 | 5687047 | 7694793 |
| 8. इलेक्ट्रिक स्थापना | 2863566 | 2137924 | — | 5001490 | 827839 | 329174 | — | 1157013 | 3844477 | 2035727 |
| 9. पुस्तकालय की पुस्तकें | 3244194 | 100000 | — | 3344194 | 2938561 | 114234 | — | 3052795 | 291399 | 305633 |
| 10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. अन्य नियत परिसंपत्तियां | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| चालू वर्ष का योग | 62911319 | 5992458 | 400830 | 68502947 | 38905963 | 5701113 | 334969 | 44272107 | 24230840 | 24005356 |
| **पिछला वर्ष** | **62351918** | **4994332** | **4434931** | **62911319** | **37021623** | **6152402** | **4268062** | **38905963** | **24005356** | **25330295** |
| **ख. चालू पूंजीगत कार्य** | | | | | | | | | | |
| **योग** | | | | | | | | | | |

(टिप्पणीः क्रय–विक्रय आधार पर परिसंपत्तियों की लागत के रूप में दिया जाना चाहिए, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है)

ह0/–
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–8 नियत परिसंपत्तियां (योजना)

(राशि रु0)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान कटौतियाँ | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ पर | वर्ष के दौरान कटौतियों पर | वर्ष की समाप्ति तक योग | चालू वर्ष की समाप्ति पर | पिछले वर्ष की समाप्ति पर |
| **क) नियत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | |
| 1. भूमि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| क) फ्रीहोल्ड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) लीज़होल्ड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. भवन | | | | | | | | | | |
| क) फ्रीहोल्ड भूमि पर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) लीजहोल्ड भूमि पर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग) स्वामित्व फ्लैट/ परिसर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. संयत्र मशीनें और उपस्कर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. वाहन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(जारी....)

## अनुसूची–8 नियत परिसंपत्तियां (योजना) (जारी...)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान कटौतियाँ | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ पर | वर्ष के दौरान कटौतियों पर | वर्ष की समाप्ति तक योग | चालू वर्ष की समाप्ति पर | पिछले वर्ष की समाप्ति पर |
| 5. फर्नीचर, जुड़नार | | | | | | | | | | |
| 6. कार्यालय उपस्कर | | | | | | | | | | |
| 7. कंप्यूटर/ पेरिफेरिल | | | | | | | | | | |
| 8. इलेक्ट्रिक स्थापना | | | | | | | | | | |
| 9. पुस्तकालय की पुस्तकें | | 364407 | | 364407 | | 110847 | | 110847 | 253560 | |
| 10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति | | | | | | | | | | |
| 11. अन्य नियत परिसंपत्तियां | - | | | - | | | - | | | |
| **चालू वर्ष का योग** | | 364407 | | 364407 | | 110847 | | 110847 | 253560 | |
| पिछला वर्ष | | | | | | | | | | |
| ख. चालू पूंजीगत कार्य | | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | | |

ह0/–
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–9 निर्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि रु0)

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | - | - | - | - |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां | - | - | - | - |
| 3. शेयर | - | - | - | - |
| 4. डेबेंचर्स और बौड्स | - | - | - | - |
| 5. आनुषंगिक और संयुक्त उद्यम | - | - | - | - |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| कुल | - | - | - | - |

## अनुसूची–10 निवेश अन्य

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | - | - | - | - |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां | - | - | | - |
| 3. शेयर | - | | - | - |
| 4. डेबेंचर्स और बौड्स | - | - | - | - |
| 5. आनुषंगिक और संयुक्त उद्यम | - | - | - | - |
| 6. अन्य (बैंक एफडीआर) | - | | - | - |
| कुल | - | - | - | - |

ह0/–
**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची–11 चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रु0)

| विवरण | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| **क. चालू परिसंपत्तियां** | | | | |
| **1. सूची** | | | | |
| क) स्टोर्स और स्पेयर्स | | | | |
| ख) लूज टूल्स | | | | |
| ग) स्टॉक–इन–ट्रेड | | | | |
| तैयार माल | | | | |
| कार्य प्रगति पर | | | | |
| कच्चा माल | | | | |
| **2. विविध ऋणदाताः** | | | | |
| क) 6 माह की अविध के ऊपर बकाया रहे ऋण | | | | |
| ख) अन्य | | | | |
| **3. नकद शेष हाथ में (चैक/ ड्राफ्ट एवं इंप्रेस्ट सहित)** | 92415 | 46694 | – | – |
| **4. बैंक में शेषः** | | | | |
| क) अनुसूचित बैंक के साथ | | | | |
| -चालू खाते पर | 17086623 | 3039914 | 4898572 | 4686564 |
| -जमा चाते पर (शामिल मार्जिन धनराशि) | | | | |
| -बचत खाते पर | | | | |
| क) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ | | | | |
| -चालू खाते पर | | | | |
| -जमा चाते पर | | | | |
| -बचत खाते पर | | | | |
| **5. डाकघर–बचत खाता** | | | | |
| **कुल (क)** | **17179038** | **3086608** | **4898572** | **4686564** |
| **ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां** | | | | |
| **1. ऋण** | | | | |
| क) स्टाफ | 3748399 | 4234900 | 24427 | – |
| ख) संस्था के समान कार्यकलापों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं | | | | – |
| ग) अन्य (टीए, अधिकारियों और कर्मचारियों को एलटीसी और त्यौहार अग्रिम) | 389440 | 338950 | – | – |

(जारी....)

## अनुसूची–11 चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी...)

(राशि रु0)

| विवरण | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| 2. अग्रिम और अन्य राशि जिसकी वसूली नकद अथवा वस्तु अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में की जानी है | | | | |
| क) पूंजीगत खातेपर | 76600000 | 146600000 | 96000000 | 19000000 |
| ख) पूर्व भुगतान | 217436 | 2330482 | 1141675 | – |
| ग) अन्य | 1710044 | 1218929 | 5334100 | 113926 |
| 3. प्रोद्भूत आय | | | | |
| क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर | | | | |
| ख) निवेश पर – अन्य | | | | |
| ग) ऋण एवं अग्रिम पर | | | | |
| घ) अन्य (देय आय शामिल है – वसूली न गई रु0) | | | | |
| 5. प्राप्त होने वाले दावे | 487668 | 1073450 | – | – |
| **कुल (ख)** | **83152987** | **155796711** | **102500202** | **19113926** |
| **कुल (क+ख)** | **100332025** | **158883319** | **107398774** | **23800490** |

## अनुसूची–12 बिक्री/सेवाओं से आय

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1. बिक्री से आय | - | - | - | - |
| क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री | - | - | - | - |
| ख) कच्चे माल की बिक्री | - | - | - | - |
| ग) कबाड़ की बिक्री | - | - | - | - |
| 2. सेवाओं से आय | - | - | - | - |
| क) मजदूर और प्रक्रमण प्रभार | - | - | - | - |
| ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं | - | - | - | - |
| ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली | - | - | - | - |
| घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति) | - | - | - | - |
| ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | | **-** | **-** |

ह0/–

**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची–13 अनुदान/आर्थिक सहायता

(राशि रु0)

| (अप्रत्यादेय अनुदान/ आर्थिक सहायता प्राप्त) | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| 1) केन्द्रीय सरकार | 240000000 | 248000000 | 100000000 | 30000000 |
| 2) राज्य सरकार | | | | |
| 3) सरकारी एजेंसियां | | | | |
| 4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय | | | | |
| 5) अंतरराष्ट्रीय संगठन | | | | |
| 6) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | | | |
| कुल | 240000000 | 248000000 | 100000000 | 30000000 |

## अनुसूची–14 शुल्क/अंशदान

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1. प्रवेश शुल्क | - | - | - | - |
| 2. वार्षिक शुल्क/अंशदान | - | - | - | - |
| 3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क | - | - | - | - |
| 4. परामर्श शुल्क | - | - | - | - |
| 5. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| कुल | | | | |

टिप्पणीः–प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

## अनुसूची–15–निवेश से आय

| (निधि को अंतरित निर्दिष्ट/ बंदोबस्ती निधियों से आय) | निर्धारित निधि से निवेश | | | |
|---|---|---|---|---|
| | योजनेत्तर | | योजना | |
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1) ब्याज | | | | |
| क) सरकारी प्रतिभूतियों पर | - | - | - | - |
| ख) अन्य बाण्ड/डिबेंचर | - | - | - | - |
| 2) डिविडेंड | - | - | - | - |
| क) शेयरों पर | - | - | - | - |
| ख) म्यूचुअल प्रतिभूतियों पर | - | - | - | - |
| 3) किराया | - | - | - | - |
| 4) अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| कुल निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित | | | | |

ह0/–

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–16 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रु0)

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| 1. रॉयल्टी से आय | - | - | - | - |
| 2. प्रकाशन से आय | - | - | - | - |
| 3. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| कुल | - | - | - | - |

## अनुसूची–17 अर्जित ब्याज

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1) सावधि जमा पर | | | | |
| क) अधिसूचित बैंकों के साथ | - | - | - | - |
| ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ | - | | - | - |
| ग) संस्थाओं के साथ | - | - | | - |
| घ) अन्य | - | | - | - |
| 2) बचत खातों पर | | | | |
| क) अधिसूचित बैंकों के साथ | - | - | - | - |
| ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ | - | - | - | - |
| ग) संस्थाओं के साथ | - | - | - | - |
| घ) अन्य | - | - | - | - |
| 3) ऋणों पर | - | - | - | - |
| क) कर्मचारी / स्टाफ | 2287 | 26012 | - | - |
| ख) अन्य | - | - | - | - |
| 4) ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज | - | - | - | - |
| कुल | 2287 | 26012 | - | - |

टिप्पणी : स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए

## अनुसूची–18 अन्य आय

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1) परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान से लाभ | 35 | 2861 | | – |
| क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां | – | – | | – |
| ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां | – | – | | – |
| 2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन | – | – | | – |
| 3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क | – | – | | – |
| 4. विविध आय | 19852 | 46907 | | – |
| कुल | 19887 | 49768 | | – |

ह0/–

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–19–निर्मित माल एवं चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)

(राशि रु0)

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| क) अंतिम स्टॉक | | | | |
| - तैयार माल | - | - | | - |
| - चल रहा कार्य | - | | - | - |
| ख) घटाएं पूर्व स्टॉक | | | | |
| - तैयार माल | - | - | - | - |
| - चल रहा कार्य | - | - | - | - |
| **कुल वृद्धि (कमी) (क–ख)** | | **-** | **-** | **-** |

## अनुसूची–20–स्थापना व्यय

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| क) वेतन और मजदूरी | 114645616 | 85610060 | - | - |
| ख) भत्ते और बोनस | 295349 | 334263 | - | - |
| ग) भविष्य निधि में अंशदान | 3407587 | 4512371 | - | - |
| घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय | 336899 | 379471 | - | - |
| च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाएं लाभ | 7971540 | 28903263 | - | - |
| छ) अन्य (एलटीसी, अधिकारियों और कर्मचारियों को मेडिकल, कर्मचारियों को ओटीए) | 7175484 | 14287826 | - | - |
| **कुल** | **133832475** | **134027254** | **-** | **-** |

ह0/–

**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची 21–अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि रु0)

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| क) क्रय | - | - | | |
| ख) मजदूर तथा प्रक्रमण व्यय | - | - | | |
| ग) कार्टेज एवं कैरिएज प्रभार | - | - | | |
| घ) विद्युत एवं पावर | 1261418 | 1419396 | | |
| ङ) जल प्रभार | - | - | | |
| च) बीमा | 120980 | 135057 | | |
| छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण | 3006735 | 3739017 | | |
| ज) सीमा शुल्क | - | - | | |
| झ) किराया, दर और कर | 86208792 | 70681116 | | |
| ञ) वाहन चालन एवं मरम्मत | 2332116 | 2393568 | | |
| ट) डाक, दूरभाष और संप्रेषण प्रभार | 7198930 | 5337088 | | |
| ठ) मुद्रण एवं लेखन–सामग्री | 4400532 | 5096068 | | |
| ड) यात्रा एवं किराया प्रभार | 15491323 | 11602267 | | |
| ठ) सम्मेलन/कार्यशाला पर व्यय | 2361366 | 2763974 | | |
| ज) अंशदान व्यय | 731047 | 295020 | | |
| त) शुल्क पर व्यय | - | 180679 | | |
| थ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक | 81243 | 128980 | | |
| द) आथित्य व्यय | 1791007 | 1448038 | | |
| ध) वृत्तिक व्यय | 26289262 | 16383406 | | |
| ण) बुरे तथा संदेहप्रद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | - | | |
| प) वसूल न होने वाले शेष–बट्टे खाते में डाला गया | 38221 | 51290 | | |
| फ) पैकिंग प्रभार | - | - | | |
| व) मालभाड़ा और अग्रेषण क्रय व्यय | - | - | | |
| भ) वितरण व्यय | - | - | | |
| म) विज्ञापन और प्रचार | 5286127 | 1646899 | | |
| य) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि को भुगतान) | 7838757 | 5017494 | 20939601 | 36001964 |
| एसएटीआरसी मीटिंग खर्चे और फीस | 28000 | 2087201 | - | - |
| **कुल** | **164465856** | **130406558** | **20939601** | **36001964** |

ह0/–
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–22– अनुदानों, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय

(राशि रु0)

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान | - | - | - | - |
| ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थक सहायता | - | - | - | - |
| कुल | | | | |

टिप्पणीः अनुदान/आर्थिक सहायता की राशि के साथ संस्था का नाम, उनके कार्यकलाप प्रकट किए जाएंगे।

## अनुसची 23–ब्याज

| | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| क) नियत ऋणों पर | - | - | - | - |
| ख) अन्य ऋणों पर (बैंक चर्जिज सहित) | - | - | - | - |
| ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| कुल | - | - | - | - |

ह0/–
**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

## 31.3.2010 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां/भुगतान

| प्राप्तियाँ | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| **I. अर्धशेष** | | | | |
| क) हाथ में रोकड़ | 46694 | 59394 | - | - |
| i) चालू खाते में | 3039914 | 7259342 | 4686564 | 8132528 |
| ii) जमा खाते में | - | - | - | - |
| iii) बचत खाते में | - | - | - | - |
| **II. प्राप्त अनुदान** | | | | |
| क) भारत सरकार से | 310000000 | 238000000 | 23000000 | 21500000 |
| ख) राज्य सरकार से | - | - | - | - |
| ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) | - | - | - | - |
| (पूंजीगत एवं राजस्व के लिए अनुदानों को अलग दर्शाएं) | - | - | - | - |
| **III. निम्न से निवेश पर आय** | - | - | - | - |
| क) निर्धारित/बंदोबस्ती विधियां | - | - | - | - |

| भुगतान | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| **1. व्यय** | | | | |
| क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप) | 135662766 | 113457288 | - | - |
| ख) प्रशासनिक व्यय (अनसुची 21 के अनुरूप) | 154882015 | 127856169 | 17178985 | 24945964 |
| **II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरूद्ध किया गया भुगतान** | | | | |
| (प्रत्येक परियोजनाओं के लिए किए गए भुगतान के विवरणों के साथ निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए) | - | - | - | - |
| | - | | | |
| **III. किए गए निवेश और निक्षेप** | | | | |
| क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से | - | - | - | - |
| ख) स्वयं की निधि से (निवेश–अन्य) | - | - | - | - |
| **IV. नियत परिसंपत्तियों पर व्यय तथा चल रहा पूंजीगत कार्य** | | | | |
| क) नियत परिसंपत्तियों की खरीद | 5803855 | 4612535 | 364407 | - |

(जारी....)

| प्राप्तियाँ | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश) | | - | | - |
| **IV. प्राप्त ब्याज** | | | | |
| क) बैंक जमा पर | | | | |
| ख) ऋण, अग्रिम | 2287 | | | |
| ग) विविध | | | | |
| **V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)** | | | | |
| विविध आय को | 19852 | 72919 | | |
| **VI. उधार ली गई राशि** | | | | |
| **VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)** | | | | |
| शुल्क | - | - | | |
| पूंजीगत निधि को | | | | |
| प्रतिभूति जमा को | - | 30000 | | |
| परिसंपत्तियों की बिक्री को | 27675 | 118440 | | |
| ऋण एवं अग्रिम तथा प्रतिभूति जमा को | 439252 | 3703891 | | |
| ब्याज के साथ एफडीआर के भुगतान को | - | - | | |
| **कुल** | **313575674** | **249243986** | **27686564** | **29632528** |

| भुगतान | योजनेत्तर | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 | चालू वर्ष 2009-10 | पिछला वर्ष 2008-09 |
| ख) चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय | - | - | - | - |
| **V. अधिक राशि/ऋणों की वापसी** | | | | |
| क) भारत सरकार को | 48000 | - | - | - |
| ख) राज्य सरकार को | - | - | - | - |
| ग) निधियों के अन्य प्रावधान (उपभोक्ता संरक्षण निधि) | - | - | - | - |
| **VI. वित्त प्रभार (ब्याज)** | - | - | - | - |
| **VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)** | | | | |
| ऋण और अग्रिम और और प्रति जमा | - | 231386 | 5244600 | - |
| VIII. **अंत शेष** | | | | |
| क) हाथ में रोकड़ | 92415 | 46694 | - | - |
| ख) बैंक में शेष | | | | |
| i) चालू खाते में | 17086623 | 3039914 | 4898572 | 4686564 |
| ii) जमा खाते में | | | | |
| iii) बचत खाते में | | | | |
| **कुल** | **313575674** | **249243986** | **27686564** | **29632528** |

ह./— **प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)**

ह./— **सचिव**

ह./— **सदस्य**

ह./— **अध्यक्ष**

## अनुसूची–24– उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

**1. लेखांकन परंपराएं :**

(क) वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2007 के पत्र सं0 एफ.सं. 19(1)/मिस./2005/टीए/450–490 द्वारा अनुमोदित ''लेखाओं के समान प्ररूपों'' में योजनेत्तर तथा योजना, दोनों ही कार्यकलापों के लिए उपयुक्तः और स्पष्टतः तैयार किए गए हैं।

(ख) लेखे वर्तमान वर्ष, अर्थात 2009–10 के लिए प्रोदभूत आधार पर तैयार किए गए हैं – लेखांकन पद्धति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं है।

(ग) लेखा बहियों में की गईं समस्त अविवादित और ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है। तथापि, भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए उन कार्मिकों के मामले में, जो सरकारी आवास धारण किए हुए हैं, विशेष लाइसेंस शुल्क के कारण संपदा निदेशालय को भुगतान के लिए प्रावधान नहीं किया गया है तथा इसे संपदा निदेशालय से मांग की प्राप्ति के पश्चात नकद आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

(ड.) मामले में अंतर्निहित तथ्यों और कानूनी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया गया है।

**2. स्थायी परिसंपत्तियां :**

स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख अर्जन की लागत पर किया गया है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क एवं कर तथा अर्जन से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल नहीं हैं।

**3. मूल्यह्रास**

(क) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची ग्प्ट में विनिर्दिष्ट दरों पर ''स्ट्रेट लाइन पद्धति'' के अनुसार लगाया है, सिवाय नीचे उल्लिखित श्रेणियों के, जिनके संबंध में मूल्यह्रास की ऊँची दरें लागू की गई हैं, जैसाकि पिछले वर्षों के लेखों में किया गया थाः

कार्यालय उपस्करों में शासकीय प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को प्रदान किए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2007 के आदेश सं0 2–1/97–लैन के माध्यम से दूरसंचार विभाग की ही तर्ज पर तीन वर्ष के भीतर इन हैंडसेटों को प्रदान करने/बट्टे खाते में

| श्रेणी | कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार न्यूनतम निर्दिष्ट मूल्यह्रास दर | लागू की गई मूल्यह्रास दर |
|---|---|---|
| कार्यालय उपस्कर | 4.75% | 10.00% |
| फर्नीचर और जुड़नार | 6.33% | 10.00% |
| विद्युत उपकरण | 4.75% | 10.00% |
| एयरकन्डीशनर | 4.75% | 10.00% |
| पुस्तकें और प्रकाशन | 4.75% | 20.00% |

डालने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार वर्ष 2007–08 से लेकर आगे तक मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 33.33 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा आदेश सं0 23–24/2008/जीए (एलटी) दिनांक 19.03.2009 के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया था कि भादूविप्रा अधिकारियों को जारी लैपटॉप का उपयोग–काल आगे से चार वर्ष होगा। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष में लैपटॉप पर मूल्यह्रास 25 प्रतिशत की दर से आकलित किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि के संबंध में, मूल्यह्रास पर यथानुपात आधार पर विचार किया गया है।

(ग) 5,000/– रू0 अथवा उससे कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति को पूर्णतः उपलब्ध कराया गया है।

**4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार**

विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को लेन–देन के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा की दर पर अभिलेखित किया गया है।

**5. सेवानिवृत्ति लाभ**

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मामले में 31.03.2010 तक अवकाश वेतन और पेंशन योगदान के लिए प्रावधान लेखा बहियों में भारत सरकार द्वारा मूलभूत नियमों के तहत समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर उपलब्ध कराया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, भादूविप्रा ने वर्ष 2009–2010 के लिए वेतन भुगतान और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान लेखांकक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

**6. सरकारी अनुदान**

(क) विर्निदिष्ट नियत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई भी अनुदान चालू वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) संस्वीकृत राशि के आधार पर सरकारी अनुदानों को हिसाब में लिया जाता है।

## अनुसूची 25 – आकस्मिक देयाताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

**1. आकस्मिक देयताएं:**

संस्था के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – चालू वर्ष (शून्य) (पिछला वर्ष – शून्य)

**2. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमः**

प्रबंधन की राय में, कार्य की सामान्य स्थिति में चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का अर्जन पर मूल्य है जोकि कम–से–कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई सकल राशि के समान है।

**3. कराधानः**

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के खंड 32 के अनुसार, भादूविप्रा को संपत्ति और आय पर कर से छूट प्राप्त है।

**4. स्थायी परिसंपत्तियों में शामिल है :**

दूरसंचार विभाग (डीओटी) से 1997–98 के दौरान 14,71,692/– रुपए में खरीदे गए चार वाहनों में से, दो कारें, अक्तूबर 2000 में, टीडीसेट (TDSAT) को अंतरित कर दी गई थीं। इन दो कारों की कीमत 7,35,846/– रु. थी और अंतरण के दिन तक संचयित मूल्यह्रास 2,48,211 रु0 था। अंतरण के दिन तक इन कारों की डब्ल्यूडीवी राशि 4,87,635/– रु. थी, जिसे टीडीसेट/डीओटी से वसूली योग्य दावों के नामे किया गया है। मामला आवश्यक समायोजन के लिए दूरसंचार विभाग के साथ उठाया गया है तथा आवश्यक समायोजन आगामी वित्त वर्ष में जारी किया जाएगा।

**5. अनुदान**

लेखांकन वर्ष अर्थात् 2009–10 के दौरान योजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान 24.00 करोड़ रू0 था जिसमें से 31.00 करोड़ रू0 की राशि प्राप्त हुई। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाली 7.66 करोड़ रू0 की राशि को अनुसूची–11 में ''अग्रिम तथा नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूलीयोग्य अन्य राशियां'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, योजना लेखा शीर्ष के अंतर्गत 10.00 करोड़ रू0 का अनुदान स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 2.30 करोड़ रू0 की राशि प्राप्त हुई। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाली 9.60 करोड़ रू0 की राशि को अनुसूची–11 में दर्शाया गया है।

**6. ''अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी)'' से संबंधित लेन–देन**

पिछले वित्त वर्ष के दौरान, दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2007 के विनियमों के उल्लंघन में वित्तीय हतोत्साहनों के रूप में छह सेवा प्रदाताओं से 48,000/– रू0 की राशि प्राप्त हुई। इसे चालू वित्त वर्ष में दूरसंचार विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

**7. पिछले वर्ष के आंकड़े**

पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों को, जहां कही आवश्यक था, पुनःवर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष से संबंधित व्यय/आय अर्थात पूर्व अवधि के व्यय/आय को पूंजीगत निधि के माध्यम से ले जाया गया है।

**8. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार**

विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को लेन–देन के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा की दर पर अभिलेखित किया गया है।

9. अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का अभिन्न भाग बनाने के लिए संलग्न किया गया है।

| ह0/– | ह0/– | ह0/– | ह0/– |
|---|---|---|---|
| **प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)** | **सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

# ग) वर्ष 2009–10 के लिए भादूविप्रा के लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा

**31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट**

हमने भारत सरकार, असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333 (असा.) दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 में नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक–महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में श्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों, आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हैं, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतया भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गैर–अभियुक्तियों से स्वतंत्र हैं। एक लेखापरीक्षा में शामिल है – परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखाओं के समान प्रपत्र'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा द्वारा लेखाओं की बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

(iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार हैं।

(v) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उक्तउल्लिखित मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–। में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के कार्यों के तुलन–पत्र से संबंधित हैं, ये 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार हैं, और

(ख) जहां तक ये ''घाटे'' के आय और व्यय लेखा से संबंधित हैं, ये भी उसी तारीख को समाप्त वर्ष से संबंधित हैं।

**भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से**

**ह0/–**
**(आर0पी0 सिंह)**
**महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक–तार)**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 अक्तूबर, 2010

## अनुलग्नक– I

### (1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा ने स्वतंत्र प्रभार के साथ अगस्त 2009 तक एक पूर्णकालिक तकनीकी अधिकारी (आंतरिक लेखापरीक्षा) नियुक्त किया था, जोकि भादूविप्रा–सीपीएफ लेखा की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए भी उत्तरदायी था। इसके पश्चात आंतरिक लेखापरीक्षक के अतिरिक्त प्रभार के साथ अनुभाग अधिकारी (लेखा) ने वर्ष 2009–10 के लिए भादूविप्रा–सीपीएफ लेखा के लेखाओं तथा संदत्त वाउचरों की जांच की है।

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

### (2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा–सीपीएफ लेखा में कोई नकद संव्यवहार नहीं किया जाता है क्योंकि समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान केवल चेक द्वारा ही किए जाते हैं। सीपीएफ कटौतियों की प्राप्तियां तथा सीपीएफ आहरण अथवा अस्थायी अग्रिमों के फलस्वरूप भादूविप्रा–सीपीएफ के सदस्यों को किया गया भुगतान प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों के अनुरूप किया जाता है तथा बैंक बही में इसको नियमित रूप से दर्ज किया जाता है। भादूविप्रा–सीपीएफ की निधियों का निवेश विनिर्धारित सरकारी प्रतिभूतियों/नियत जमा/म्यूचुअल फंडों में किया जाता है। इस प्रतिभूतियों पर प्रोद्भूत ब्याज को ब्याज की आय में उचित रूप से दर्ज किया जाता है। निधियों के निवेश के निर्णय ट्रस्टियों के बोर्ड की आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं। सदस्यों के सीपीएफ जमा पर ब्याज को सामान्य भविष्य निधि के अंशदान पर ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट दरों पर उनके व्यक्तिगत खातों में अंतरित किया जाता है। सदस्यों को देय ब्याज पर घाटे को, यदि कोई हो, को भादूविप्रा सामान्य निधि से पूरा किया जाता है। भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के सदस्यों को सीपीएफ नियमों के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपनी शेष राशि में से धन निकालने अथवा अस्थायी अग्रिम लेने की अनुमति दी जाती है। सदस्यों के दिए जाने अग्रिमों के मामले में, अग्रिम की वसूली के लिए संबंधित सदस्य के वेतन से की जाने वाली मासिक कटौती के बारे में भादूविप्रा के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सूचित किया जाता है।

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

*अस्वीकरण : "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"*

## वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर–लाभ अर्जन संगठन)
## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण –अंशदायी भविष्य निधि खाता
## 31.3.2010 को तुलन–पत्र

(राशि रु0)

| कोष/पूंजीगत निधि तथा देयताएं | अनुसची | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| ट्राई–सीपीएफ सदस्य खाता | 1 | 45396949.00 | 30077334.00 |
| रिजर्व एवं अधिशेष | 2 | - | - |
| निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां | 3 | - | - |
| सुरक्षित ऋण तथा उधार | 4 | - | - |
| असुरक्षित ऋण तथा उधार | 5 | - | - |
| आस्थगित ऋण देयताएं | 6 | - | - |
| चालू देयताएं और प्रावधान | 7 | - | - |
| **कुल** | | **45396949.00** | **30077334.00** |
| **परिसंपत्तियां** | | | |
| नियत परिसंपत्तियां | 8 | - | - |
| निवेश–निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से | 9 | - | - |
| निवेश–अन्य | 10 | 40656924.00 | 27312216.00 |
| चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 11 | 4740025.00 | 2765118.00 |
| विविध व्यय–निवेशों के ल्य पर ह्रास के कारण (बट्टे खाते में न डाली गई अथवा समायोजित न की गई) | | | - |
| **कुल** | | **45396949.00** | **30077334.00** |
| उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां | 24 | | |
| आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां | 25 | | |

| ह0/– | ह0/– | ह0/– | ह0/– | ह0/– |
|---|---|---|---|---|
| श्री जे.एस. भाटिया | श्री एस.डी. शर्मा | श्री एस.बी. सिंह | श्रीमती पूनम खुराना | श्री एम.एस. सीतारामन |
| सं0 सलाहकार (लेखा) | उप सलाहकार (एचआरएंडओएस) | उप सलाहकार (विधि) | वै0सहा0 (बीएंडसीएस) | सलाहकार (प्र0एवंका0) |
| पदेन न्यासी | पदेन न्यासी | न्यासी | न्यासी | पदेन अध्यक्ष |

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण –अंशदायी भविष्य निधि खाता
## 31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

| आय | अनुसची | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| बिक्री/सेवाओं से आय | 12 | - | - |
| अनुदान/आर्थिक सहायता | 13 | - | - |
| शुल्क/अंशदान | 14 | - | - |
| निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश से आय–निधियों में अंतरित) | 15 | - | - |
| रॉयल्टी/प्रकाशन आदि से आय | 16 | - | - |
| अर्जित ब्याज | 17 | 2290442.62 | 1441699.83 |
| अन्य व्यय | 18 | - | - |
| निर्मित वस्तओं के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) तथा निर्माणधीन कार्य | 19 | - | - |
| **कुल (क)** | | **2290442.62** | **1441699.83** |
| **व्यय** | | | |
| स्थापना व्यय | 20 | - | - |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | 21 | 499.25 | 339.00 |
| अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय | 22 | - | - |
| ब्याज | 23 | 2841422.00 | 1828344.00 |
| म्यूचुअल फंडों में निवेश का ह्रास मूल्य | | 162883.00 | - |
| मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)) | | - | - |
| **कुल (ख)** | | **3004804.25** | **1828683** |

(जारी....)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)** | | **-714361.63** | **-386983.17** |
| निवेश | | | - |
| सामान्य रिजर्व को/से अंतरण | | | |
| अधिशेष/(घाटा) जो शेष था, ट्राई सामान्य निधि से वसूली योग्य को ले जाया गया | 11 | -714361.63 | -386983.17 |
| उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां | 24 | | |
| आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां | 25 | | |

| ह0/– | ह0/– | ह0/– | ह0/– | ह0/– |
|---|---|---|---|---|
| श्री जे.एस. भाटिया | श्री एस.डी. शर्मा | श्री एस.बी. सिंह | श्रीमती पूनम खुराना | श्री एम.एस. सीतारामन |
| सं0 सलाहकार (लेखा) | उप सलाहकार (एचआरएंडओएस) | उप सलाहकार (विधि) | वै0सहा0 (बीएंडसीएस) | सलाहकार (प्र0एवंका0) |
| पदेन न्यासी | पदेन न्यासी | न्यासी | न्यासी | पदेन अध्यक्ष |

## वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर–लाभ अर्जन संगठन)
## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
## 31.3.2010 को तुलन–पत्र का भाग बनने वाले अनुसूचियाँ
## अनुसूची–I–भादूविप्रा–सीपीएफ सदस्यों का लेखा

(राशि रु0)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि | 30077334.00 | 21932585.00 |
| जोड़ें: सदस्यो के खाते में अंशदान | 15319615.00 | 8144749.00 |
| जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय (व्यय) को शेष | - | - |
| आय और व्यय लेखा - | - | |
| **वर्ष की समाप्ति पर शेष** | **45396949.00** | **30077334.00** |

ह0/–
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–2–रिजर्व और अधिदेश

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. पूंजी रिजर्व : | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | | |
| वर्ष के दौरान जमा | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| 2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व : | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | | |
| वर्ष के दौरान जमा | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| 3. विशेष रिजर्व : | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | | लागू नहीं |
| वर्ष के दौरान जमा | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| 4. सामान्य रिजर्व : | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | | |
| वर्ष के दौरान जमा | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| कुल | | |

ह0/–
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–3 : विनिधार्रित/बंदोबस्ती निधि

(राशि रु0)

| | निधिवार ब्यौरा | | | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | निधि डब्ल्यूडब्ल्यू | निधि एक्सएक्स | निधि वाईवाई | निधि जेडजेड | | |
| क) निधि का अर्थ शेष | | | | | | |
| ख) निधि में जमा राशियां | | | | | | |
| i. दान/अनुदान | | | | | | |
| ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय | | | | | | |
| iii. अन्य प्राप्यिां (प्रवृत्ति निर्दिष्ट करें) | | | | | | |
| **योग (क+ख)** | | | | | | |
| ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय | | | | | | |
| i. पूंजीगत व्यय | | | | | | |
| - नियत परिसंपत्तियां | | | | | | |
| - अन्य | | | | | | |
| **कुल** | | | | | | |
| ii. राजस्व व्यय | | | | | | लागू नहीं |
| - वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि | | | | | | |
| - किराया | | | | | | |
| - अन्य प्रशासनिक व्यय | | | | | | |
| **योग** | | | | | | |
| **योग (ग)** | | | | | | |
| **वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)** | | | | | | |

**टिप्पणियां**

1) अनुदानों से संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।
2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए

ह0/–
**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची–4 : सुरक्षित ऋण और उधार

(राशि रु0)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. केन्द्रीय सरकार | | |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | | |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | | |
| 4. बैंक | | |
| क) सावधि ऋण | | |
| –ब्याज प्रोद्भूत और देय | | |
| ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें) | | |
| –ब्याज प्रोद्भूत और देय | | लागू नहीं |
| 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | | |
| 6. डिबेंचर और बाण्ड | | |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **योग** | | |

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

## अनुसूची–5 : असुरक्षित ऋण और उधार

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. केन्द्रीय सरकार | | |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | | |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | | |
| 4. बैंक | | |
| क) सावधि ऋण | | |
| –ब्याज प्रोद्भूत और देय | | |
| ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें) | | |
| –ब्याज प्रोद्भूत और देय | | लागू नहीं |
| 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | | |
| 6. डिबेंचर और बाण्ड | | |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **योग** | | |

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

## अनुसूची–6 : आस्थगित ऋण देयताएं

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) पूंजीगत उपस्करों के आडमान द्वारा ली गई स्वीकरोक्ति तथा अन्य परिसंपत्तियां | | लागू नहीं |
| ख) अन्य | | |
| **योग** | | |

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/–
**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची–7 : चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि रु0)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| **क) चालू देयताएं** | | |
| 1) स्वीकरोक्तियां | | |
| 2) विविध ऋणदाता | | |
| क) वस्तुओं के लिए | | |
| ख) अन्य | | |
| 3) प्राप्त अग्रिम | | |
| 4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं: | | लागू नहीं |
| क) सुरक्षित ऋण/उधार | | |
| ख) असुरक्षित ऋण/उधार | | |
| 5) साविधिक देयताएं | | |
| क) अतिरिक्त | | |
| ख) अन्य | | |
| 6) अन्य चालू देयताएं | | |
| **कुल (क)** | | |
| **ख. प्रावधान** | | |
| 1. कराधान के लिए | | |
| 2. ग्रेच्युटी | | |
| 3. अधिवर्षिता/पेंशन | | |
| 4. संचित अवकाश भुगतान | | |
| 5. व्यापार वारंटी/दावे | | |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल (ख)** | | |
| **कुल (क+ख)** | | |

ह0/–
**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियां

(राशि रु0)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान कटौतियाँ | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ पर | वर्ष के दौरान कटौतियों पर | वर्ष की समाप्ति तक योग | चालू वर्ष की समाप्ति पर | पिछले वर्ष की समाप्ति पर |
| **क) नियत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | |
| 1. भूमि | | | | | | | | | | |
| क) फ्रीहोल्ड | | | | | | | | | | लागू नहीं |
| ख) लीज़होल्ड | | | | | | | | | | |
| 2. भवन | | | | | | | | | | |
| क) फ्रीहोल्ड भूमि पर | | | | | | | | | | |
| ख) लीजहोल्ड भूमि पर | | | | | | | | | | |
| ग) स्वामित्व फ्लैट/ परिसर | | | | | | | | | | |
| घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं | | | | | | | | | | |
| 3. संयत्र मशीनें और उपस्कर | | | | | | | | | | |
| 4. वाहन | | | | | | | | | | |

(जारी....)

## अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियां (जारी...)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान कटौतियाँ | वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ पर | वर्ष के दौरान कटौतियों पर | वर्ष की समाप्ति तक योग | चालू वर्ष की समाप्ति पर | पिछले वर्ष की समाप्ति पर |
| 5. फर्नीचर जुड़नार | | | | | | | | | | |
| 6. कार्यालय उपस्कर | | | | | | | | | | |
| 7. कंप्यूटर/ पेरिफेरिल | | | | | | | | | | |
| 8. इलेक्ट्रिक स्थापना | | | | | | | | | | |
| 9. पुस्तकालय की पुस्तकें | | | | | | | | | | |
| 10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति | | | | | | | | | | |
| 11. अन्य नियत परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| चालू वर्ष का योग | | | | | | | | | | |
| **पिछला वर्ष** | | | | | | | | | | |
| **ख. चालू पूंजीगत कार्य** | | | | | | | | | | |
| **योग** | | | | | | | | | | |

(टिप्पणी : उपर्युक्त में शामिल किराया–खरीद आधार पर परसंपत्तियों की लगात के अनुसार की जाए)

ह0/–
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–9 : निर्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि से निवेश

(राशि रु0)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | | |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | | लागू नहीं |
| 3. शेयर | | |
| 4. डेबेंचर एंड बाँड | | |
| 5. आनुषंगिक और संयुक्त उद्यम | | |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| कुल | | |

## अनुसूची–10 : निवेश अन्य

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | | |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां | 14467117.00 | 5350000.00 |
| 3. शेयर | - | - |
| 4. डेबेंचर एंड बाँड | - | - |
| 5. आनुषंगिक और संयुक्त उद्यम | - | - |
| 6. अन्य (बैंकों/पीएसयू में सावधि जमा) | 26189807.00 | 21962216.00 |
| कुल | | **40656924.00** |

## अनुसूची–11 : चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| **क. चालू परिसंपत्तियां** | | |
| 1. सूची | | |
| क) स्टोर्स और स्पेयर्स | - | - |
| ख) लूज टूल्स | - | - |
| ग) स्टॉक–इन–ट्रेड | | |
| तैयार माल | - | - |
| कार्य प्रगति पर | - | - |
| कच्चा माल | - | - |
| 2. विविध ऋणदाता: | | |
| क) छह माह से अधिक अवधि के लिए लंबित ऋण | - | - |
| ख) अन्य | - | - |
| 3. हाथ में नकद शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित) | | |

(जारी....)

## अनुसूची–11 : चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी...)

(राशि रु0)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| **4. बैंक में शेष राशि :** | | |
| क) अनुसूचित बैंक के साथ | | |
| - चालू खाते पर | - | - |
| - जमा चाते पर (मार्जिन धनराशि शामिल) | - | - |
| - बचत खाते पर | 1174760.44 | 453752.96 |
| क) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ | | |
| - चालू खाते पर | - | - |
| - जमा चाते पर | - | - |
| - बचत खाते पर | - | - |
| **5. डाकघर–बचत खाता** | - | - |
| **कुल (क)** | **1174760.44** | **453752.96** |
| **ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां** | | |
| 1. ऋण | | |
| क) स्टाफ | | - |
| ख) संस्था के समान कार्यकलापों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं | | - |
| ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | - |
| 2. नकद में अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूल किए जाने वाले अग्रिम और अन्य राशिः | | |
| क) पूंजीगत खातेपर | | - |
| ख) पूर्व भुगतान | | - |
| ग) अन्य | | - |
| **3. प्रोद्भूत आय** | | |
| क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर | | - |
| ख) निवेश पर – अन्य | 2850904.17 | 1924383.28 |
| ग) ऋण एवं अग्रिम पर | | |
| घ) अन्य (देय आय में शामिल है वसूली न गई रु0) | | |
| 4. प्राप्त होने वाले दावे - (714361.63-1.24) | 714360.39 | 386981.76 |
| **कुल (ख)** | **3565264.56** | **2311365.04** |
| **कुल (क+ख)** | **4740025.00** | **2765118.00** |

ह0/–
**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची–12 : बिक्री सेवाओं से आय

(राशि रु0)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| **1. बिक्री से आय** | | |
| क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री | | |
| ख) कच्चे माल की बिक्री | | |
| ग) कबाड़ की बिक्री | | |
| **2. सेवाओं से आय** | | |
| क) मजदूर और प्रक्रमण प्रभार | | |
| ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं | | लागू नहीं |
| ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली | | |
| घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति) | | |
| ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

## अनुसूची–13 : अनुदान/आर्थिक सहायता

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| (अप्रत्यादेय अनुदान/आर्थिक सहायता प्राप्त) | | |
| 1) केन्द्रीय सरकार | | |
| 2) राज्य सरकार | | |
| 3) सरकारी एजेंसियां | | लागू नहीं |
| 4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय | | |
| 5) अंतरराष्ट्रीय संगठन | | |
| 6) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

## अनुसूची–14 : शुल्क/अंशदान

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. प्रवेश शुल्क | | |
| 2. वार्षिक शुल्क/अंशदान | | |
| 3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क | | लागू नहीं |
| 4. परामर्श शुल्क | | |
| 5. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

टिप्पणीः–प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

ह0/–
**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची–15 : निवेशों से आय

### विनिर्धारित निधि से निवेश

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| (निधियों में अंतरित विनिर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों पर निवेश से आय) | | |
| 1) ब्याज | | |
| क) सरकारी प्रतिभूतियों पर | | |
| ख) अन्य बाण्ड/डिबेंचर | | लागू नहीं |
| 2) डिविडेंड | | |
| क) शेयरों पर | | |
| ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर | | |
| 3) किराया | | |
| 4) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |
| **निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित** | | |

## अनुसूची–16 : रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. रॉयल्टी से आय | | |
| 2. प्रकाशन से आय | | |
| 3. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| **कुल** | | |

## अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1) सावधि जमा पर | | |
| क) अधिसूचित बैंकों के साथ | 301272.78 | 299925.65 |
| ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ | | - |
| ग) संस्थाओं के साथ | 1878714.84 | 1105106.18 |
| घ) अन्य | | |
| 2) बचत खातों पर | | |
| क) अधिसूचित बैंकों के साथ | 110455.00 | 36668 |
| ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ | - | - |
| ग) संस्थाओं के साथ | - | - |
| घ) अन्य | - | - |
| 3) ऋणों पर | | |
| क) कर्मचारी/स्टाफ | - | - |
| ख) अन्य | - | - |
| 4) ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज | - | - |
| **कुल** | **2290442.62** | **1441699.83** |

ह0/–

**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## अनुसूची–18 : अन्य आय

(राशि रु0)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ | | |
| क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां | | |
| ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां | | |
| 2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन | | लागू नहीं |
| 3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क | | |
| 4. विविध आय | | |
| कुल | | |

## अनुसूची–19 : निर्मित माल एवं चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) अंतिम स्टॉक | | |
| – तैयार माल | | |
| – चल रहा कार्य | | |
| ख) घटाएं पूर्व स्टॉक | | |
| – तैयार माल | | लागू नहीं |
| – चल रहा कार्य | | |
| कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख) | | |

## अनुसूची–20 : स्थापना व्यय

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) वेतन और मजदूरी | | |
| ख) भत्ते और बोनस | | |
| ग) भविष्य निधि में अंशदान | | |
| घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें) | | |
| ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय | | |
| च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाएं लाभ | | |
| छ) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| कुल | | |

ह0/–
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

## अनुसूची–21 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि रु0)

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) क्रय | – | – |
| ख) मजदूर तथा प्रक्रमण व्यय | – | – |
| ग) कार्टेज एवं कैरिएज प्रभार | – | – |
| घ) विद्युत एवं पावर | – | – |
| ङ) जल प्रभार | – | – |
| च) बीमा | – | – |
| छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण | – | – |
| ज) सीमा शुल्क | – | – |
| झ) किराया, दर और कर | – | – |
| ञ) वाहन चालन एवं मरम्मत | – | – |
| ट) डाक, दूरभाष और संप्रेषण प्रभार | – | – |
| ठ) मुद्रण एवं लेखन–सामग्री | – | – |
| ड) यात्रा एवं किराया प्रभार | – | – |
| ठ) सम्मेलन/कार्यशाला पर व्यय | – | – |
| ज) अंशदान व्यय | – | – |
| त) शुल्क पर व्यय | – | – |
| थ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक | – | – |
| द) आथित्य व्यय | – | – |
| ध) वृत्तिक व्यय | – | – |
| ण) बुरे तथा संदेहप्रद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान | – | – |
| प) वसूल न होने वाले शेष–बट्टे खाते में डाला गया | – | – |
| फ) पैकिंग प्रभार | – | – |
| व) मालभाड़ा और अग्रेषण क्रय व्यय | – | – |
| भ) वितरण व्यय | – | – |
| म) विज्ञापन और प्रचार | – | – |
| य) अन्य (बैंक चार्जेज) | 499.25 | 339.00 |
| **कुल** | | **499.25** |

## अनुसूची–22 : अनुदानों, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान | | |
| ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थक सहायता | | |
| **कुल** | | |

## अनुसूची–23 : ब्याज

| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| क) नियत ऋणों पर | - | - |
| ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित) | - | - |
| ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) – *सदस्यों को देय ब्याज* | 2841422.00 | 1828344.00 |
| **कुल** | **2841422.00** | **1828344.00** |

ह0/–

**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)**

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
## 31.3.2010 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान

| प्राप्तियां | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. अर्थशेष** | | | **1. व्यय** | | |
| क) हाथ में रोकड़ | | - | क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप) | | . |
| ख) बैंक बैलेंस | | | ख) प्रशासनिक व्यय (अनसुची 21 के अनुरूप) | 499.25 | 339.00 |
| i) चालू खातों में | | - | | | |
| ii) जमा खातों में | | - | | | |
| iii) बचत खातों में | 453752.96 | 629829.96 | | | |
| **II) प्राप्त अनुदान** | | | **II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरूद्ध किया गया भुगतान** | | |
| क) भारत सरकार से | | | (प्रत्येक परियोजनाओं के लिए किए गए भुगतान के विवरणों के साथ) | | |
| ख) राज्य सरकार से | | | | | |
| ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) | | | | | |
| (पूंजीगत एवं राजस्व के लिए अनुदानों को अलग दर्शाएं) | | | | | |
| **III) निम्न से निवेश पर आय** | | | **III.** किए गए निवेश और निक्षेप | | |
| क) निर्धारित/बंदोबस्ती विधियां | | | क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से | | |
| ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश) | | | ख) स्वयं की निधि से (निवेश–अन्य) | 19689807.00 | 12759777.00 |
| **IV) प्राप्त ब्याज** | | | **IV.** नियत परिसंपत्तियों पर व्यय तथा चल रहा पूंजीगत कार्य | | |
| क) बैंक जमा पर – (अनुसुची क) | 580433.00 | 469257.00 | क) नियत परिसंपत्तियों की खरीद | | |

(जारी....)

## 31.3.2010 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान (जारी....)

| प्राप्तियां | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| ख) ऋण, अग्रिम | | | ख) चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय | | |
| ग) विविध – (अनूसुची ख) | 783488.73 | 455915.00 | | | |
| **V)** अन्य आय (निर्दिष्ट करें) | | | **V)** अधिक राशि/ऋणों की वापसी | | |
| विविध आय को | | | क) भारत सरकार को | | |
| | | | ख) राज्य सरकार को | | |
| **VI)** उधार ली गई राशि | | | ग) निधियों के अन्य प्रावधान | | |
| **VII)** कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें) | | | VI) वित्त प्रभार (ब्याज) | | |
| शुल्क | | | | | |
| पूंजीगत निधि को | | | VII) अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें) | | |
| प्रकाशनों की खरीद को | | | अंतिम भुगतान | 1732366.00 | 678383.00 |
| परिसंपत्तियों की खरीद को | | | अग्रिम तथा वापसी | 2529420.00 | 3126200.00 |
| सदस्यों से योगदान | 10135390.00 | 5704198.00 | | | |
| ट्राई से योगदान | 3415482.00 | 3852211.00 | VIII) अंत शेष | | |
| शेष का अंतरण | 2722501.00 | 407,897.00 | क) हाथ में रोकड़ | | |
| अग्रिम का पुनर्भुगतान | 466606.00 | 156682.00 | ख) बैंक में शेष | | |
| एफडी की परिपक्वता/म्युचुअल फंडों का भुगतान | 6182216.00 | 4697851.00 | i) चालू खाते में | | |
| ट्राई सामान्य निधि से वसूला गया कम ब्याज | 386983.00 | 644,609.00 | ii) जमा खाते में | | |
| ट्राई को देय | - | 2.00 | iii) बचत खाते में | 1174760.44 | 453752.96 |
| **कुल** | **25126852.69** | **17018451.96** | **कुल** | **25126852.69** | **17018451.96** |

ह0/–
श्री जे.एस. भाटिया
सं0 सलाहकार (लेखा)
पदेन न्यासी

ह0/–
श्री एस.डी. शर्मा
उप सलाहकार (एचआरएंडओएस)
पदेन न्यासी

ह0/–
श्री एस.बी. सिंह
उप सलाहकार (विधि)
न्यासी

ह0/–
श्रीमती पूनम खुराना
वै0सहा0 (बीएंडसीएस)
न्यासी

ह0/–
श्री एम.एस. सीतारामन
सलाहकार (प्र0एवंका0)
पदेन अध्यक्ष

## अनुसूची 24 –उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

**1. लेखांकन परंपराएं :**

(क) वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2007 के पत्र सं0 एफ.सं. 19(1)/मिस./2005/टीए/450–490 द्वारा अनुमोदित ''लेखाओं के समान प्ररूपों'' में तैयार किए गए हैं।

(ख) लेखे वर्तमान वर्ष, अर्थात 2009–10 के लिए प्रोदभूत आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन पद्धति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं है।

## अनुसूची 25 – आकस्मिक देयाताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां :

**आकस्मिक देयताएं:**

1. संस्था के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – शून्य

**लेखाओं पर टिप्पणियां:**

1. निवेश वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 14 अगस्त, 2008 की अधिसूचना, जो 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी है, में निर्दिष्ट पैटर्न पर किए गए हैं।

2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, किए गए निवेशों पर अर्जित ब्याज तथा उपभोक्ताओं को देय ब्याज के बीच ब्याज की कमी, यदि कोई है, भादूविप्रा सामान्य निधि से वहन की जाएगी। तदनुसार, इस वर्ष भादूविप्रा सामान्य निधि से वसूले जाने वाली 714361.63 रू0 की राशि हिसाब में ली गई है।

3. भारतीय चाटर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)–13 की अपेक्षाओं के अनुपालन में तथा वित्त वर्ष 2008–09 के एसएआर में लेखापरीक्षा दल द्वारा सुझाए गए अनुसार, 31.03.2010 को म्यूचुअल फंड निवेश में डिमिनुएशन वैल्यू के रूप में 162883–/ रू0 की राशि को सम्यक रूप से लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है।

| ह0/– | ह0/– | ह0/– | ह0/– | ह0/– |
|---|---|---|---|---|
| श्री जे.एस. भाटिया | श्री एस.डी. शर्मा | श्री एस.बी. सिंह | श्रीमती पूनम खुराना | श्री एम.एस. सीतारामन |
| सं0 सलाहकार | उप सलाहकार | उप सलाहकार | वै0सहा0 | सलाहकार |
| (लेखा) | (एचआरएंडओएस) | (विधि) | (बीएंडसीएस) | (प्र0एवंका0) |
| पदेन न्यासी | पदेन न्यासी | न्यासी | न्यासी | पदेन अध्यक्ष |

## इस संकलन में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची

| | |
|---|---|
| 2जी | दूसरी पीढ़ी |
| 3जी | तीसरी पीढ़ी |
| एडीबी | एशियाई विकास बैंक |
| एडीसी | एक्सेस डेफिसिट प्रभार |
| एजीआर | समायोजित सकल राजस्व |
| एनाटेल, ब्राजील | एजेंसिया नेशनल डी टेलेकम्यूनेकोज़ (ब्राजीली दूरसंचार विनियामक) |
| एपीटी | एशिया पैसेफिक टेलीकम्युनिटी |
| एआरपीयू | एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र |
| एएस | स्वायत्त प्रणाली |
| एटीएन | एक्शन टोकन नोट्स |
| एयूएसपीआई | एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया |
| बीएआरसी | ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल |
| बीजीपी | बार्डर गेटवे प्रोटोकॉल |
| बीएसएनएल | भारत संचार निगम लिमिटेड |
| बीएसओ | बुनियादी सेवा प्रचालक |
| बीडब्ल्यूए | ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस |
| सीएजी | कन्ज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप |
| सीएपीईएक्स | पूंजीगत व्यय |
| सीएएस | सर्शत उपागम प्रणाली |
| सीएटीवी | केबल टेलीविजन |
| सीडीएमए | कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस |
| सी–डॉट | सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलेमैटिक्स |
| सीआईआई | भारतीय उद्योग परिसंघ |
| सीएलआईपी | कॉलर लाइन आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन |
| सीएलएस | केबल लैंडिंग स्टेशन |
| सीएमटीएस | सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा |
| सीओएआई | सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया |
| सीपीजीआरएएमएस | एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली |
| सीपीपी | कॉलिंग पार्टी पे |
| सीयूजी | क्लोज़ड यूजर ग्रुप |
| सीयूटीसीईएफ | दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि संबंधी समिति |
| डीईएल | डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन |
| डीआईटी | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग |
| डीएलसी | घरेलू लीज्ड सर्किट |
| डीओटी | दूरसंचार विभाग |
| डीटीएच | डायरेक्ट–टु–होम |
| ईईटीटी, ग्रीस | हैलेनिक टेलीकम्युनिकेशंस एंड पोस्ट कमीशन |
| ईवीडीओ | इवोलूशन डाटा ऑप्टिमाइज्ड |
| एफडीआई | फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट |
| एफएलआरआईसी | फार्वड लुकिंग लॉग इन इंक्रिमेंटल कॉस्ट |
| एफटीए | फ्री–टु–एयर |

| | |
|---|---|
| जीएमपीसीएस | ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम |
| जीपीआरएस | जनरल पैकेट रेडियो सर्विस |
| जीएसएम | ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल्स |
| एचआईटीएस | हैड एंड द स्काई |
| आईसीटी | इंफॉर्मेशन्स एंड कम्युनिकेशन्स टेक्नॉलॉजी |
| आईईटीएफ | इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स |
| आईएलडी | इंटरनेशनल लॉंग डिस्टेंस |
| आईएलडीओ | इंटरनेशनल लॉंग डिस्टेंस ऑपरेटर |
| आईएमईआई | इंटरनेशनल मोबाइल इक्यूपमेंट आइडेंटिटी |
| आईएन | इंटेलीजेंट नेटवर्क |
| आईपी | अचसंरचना प्रदाता |
| आईपीएलसी | इंटरनेशनल प्राइवेट लिंक सर्किट |
| आईपीटीवी | इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन |
| आईपीवी6 | इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 |
| आईएसपी | इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर |
| आईएसपीएआई | इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया |
| आईटीईएस | इंफारमेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज |
| आईटीयू | इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन |
| आईयूसी | इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेस |
| एलआरएन | लोकेशन रूटिंग नम्बर |
| मिनिस्ट्री ऑफ आई एडं बी | सूचना और प्रसारण मंत्रालय |
| एमडीयू | मल्टीपल डवेलिंग यूनिट |
| एमआईसी जापान | आंतरिक कार्य एवं संचार मंत्रालय, जापान |
| एमएलपीए | मोबाइल नम्बर पोर्टैबिलिटी |
| एमएनपी | मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी |
| एमओयू | मिनट्स ऑफ यूसेजेज |
| एमएससी | मोबाइल स्विचिंग सेंटर |
| एमएसओ | मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स |
| एमटीएनएल | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड |
| एमवीएनओ | मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर |
| एनडीएनसी | राष्ट्रीय कॉल–न–करें रजिस्ट्री |
| एनजीएन | नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क |
| एनजीएन–ईको | नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क एक्सपर्ट कमेटी |
| एनजीओ | गैर–सरकारी संगठन |
| एनआईसी | राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र |
| एनआईडीक्यूएस | राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री इंक्वायरी सर्विस |
| एनआईएक्सआई | नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया |
| एनएलडी | नेशनल लॉंग डिस्टेंस |
| एनएलडीओ | नेशनल लॉंग डिस्टेंस ऑपरेटर |
| एनएनपी | नेशनल नम्बरिंग प्लान |
| एनआरआरडीए | राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी |
| एनटीपी | नई दूरसंचार नीति |
| ओबीडी | आउट बाउंड डायलर |

| | |
|---|---|
| ओईसीडी | आर्थिक सहयोग और विकास संगठन |
| ओएफसी | ऑप्टिक फाइबर केबल |
| ओएचडी | ओपन हाउस चर्चा |
| ओपीईएक्स | प्रचालनात्मक व्यय |
| ओटीईएफ | एकबारीय प्रवेश शुल्क |
| पीसीओ | पब्लिक कॉल ऑफिस |
| पीएमआरटीएस | पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज |
| पीओआई | प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन |
| पीओपी | प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस |
| पीएसयू | सरकारी क्षेत्र के उपक्रम |
| क्यूओएस | सेवा गुणवत्ता |
| आरआईओ | संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव |
| एसएसीएफए | फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी परामर्शदात्री समिति |
| एसएटीआरसी | दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद |
| एसडीसीए | शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया |
| एसआईएम | सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोड्यूल |
| एसएमएस | शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस |
| एसपी | सेवा प्रदाता |
| एसआरएस | सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस |
| टीएएम | टेलीविजन दर्शक मापन |
| टीसीईपीएफ | दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि |
| टीडीएसएटी | दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण |
| टीईसी | दूरसंचार इंजीनियरी सेंटर |
| टीआरएआई | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण |
| टीआरपी | टेलीविजन दर्शक अंक |
| टीटीओ | दूरसंचार टैरिफ आदेश |
| यूएएसएल | यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस |
| यूसीसी | अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण |
| यूएसएल | सार्वभौमिक सेवा उद्ग्रहण |
| यूएसओएफ | सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि |
| यूएसएसडी | गैर–अवसंरचनात्मक अनुपूरक सेवा आंकडे |
| वीएएस | मूल्यवर्धित सेवा |
| वीसीसी | वर्चुअल कॉलिंग कार्ड |
| वीओडी | वीडियो ऑन डिमांड |
| वीओआईपी | वॉयर ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल |
| वीपीटी | ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन |
| वीएसएटी | वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल |
| डब्ल्यूआई–एफआई | वायरलैस फीडेलिटी |
| डब्ल्यूआईएमएएक्स | वर्ल्डवाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फार माइक्रोवेव एक्सेस |
| डब्ल्यूएलएल | वायरलैस इन लोकन लूप |
| डब्ल्यूपीसी | वायरलैस प्लानिंग समन्वय |
| डब्ल्यूटीओ | विश्व व्यापार संगठन |

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरु मार्ग
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002